खण्ड-140, अंक-5
बुधवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(15 सितम्बर, 1954 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४**

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करन सिंह , श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी , श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण , श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दातारांम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री

सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## तारांकित प्रश्न

### आगरा जिले में बटेश्वर के घाटों की दुरवस्था

*१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि बटेश्वर (जिला आगरा) के घाटों की दशा दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है और उनका कुछ भाग गिरने भी लगा है?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—जी हां।

*२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह घाट बहुत प्राचीन है और इसके गिरने से यमुना नदी की धारा ही बदल जायगी और कई मील का क्षेत्र नदी के लाभ से वंचित रह जायेगा?

श्री कृपाशंकर—जी हां।

*३—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार इन घाटों के रख-रखाव व मरम्मत का उचित प्रबन्ध करने का विचार कर रही है?

श्री कृपाशंकर—बटेश्वर के घाटों के रखरखाव और मरम्मत के लिये क्या कुछ किया जा सकता है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही हुई? घाटों का निरीक्षण हो चुका है, उसके कोई एस्टीमेट्स आ चुके हैं?

श्री कृपाशंकर—इसका अभी ब्योरा पूरा नहीं है कि यहां का कितना खर्चा होगा, लेकिन इस सिलसिले में जांच-पड़ताल हो रही है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को विदित है कि इसमें जितनी देर होगी उतना ही घाट का खर्चा ज्यादा होने की संभावना है?

श्री कृपाशंकर—ऐसा तो नहीं है कि देर हो जाने से खर्चा ज्यादा हो जाय, लेकिन यह जरूर है कि इससे नुक्सान होने का बहुत अन्देशा है और जहां तक हो, जल्दी होने की जरूरत है।

## आगरे में वेयर बनाने की योजना

*४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या स्वशान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने आगरा में कोई weir बनाने की योजना सरकार के पास भेजी है? यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कृपाशंकर—जी नहीं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई योजना नहीं भेजी । आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड की प्रार्थना पर स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग ने विदेशी फ़र्मों से आरम्भिक पूछताछ कर के मोटे तौर से अनुमान किया है कि इस योजना में प्रायः २०.३७ लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है। इस समय सिंचाई विभाग के इंचीनियर इस योजना की विस्तृत छानबीन कर रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह छानबीन कब तक खत्म हो जायगी और इसकी योजना कब तक बन जायगी ?

श्री कृपाशंकर—चूंकि इसमें रुपया ज्यादा लग रहा है। पूरी योजना तैयार हो जाने के बाद तब यह देखा जायगा कि इसको वहां की म्युनिसिपैलिटी कर सकती है या और इमदाद की जरूरत पड़ेगी और वह कहां से दी जायगी ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित हुआ है कि इस वेयर के बन जाने से आगरे के ताज महल का सौंदर्य बहुत बढ़ जायगा ?

श्री कृपाशंकर—जी हां ।

## दोहरी टाउन एरिया के कुप्रबंध की शिकायतें

*५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास दोहरी टाउन एरिया के कुप्रबन्ध और टैक्सेशन में ज्यादती और पक्षपात के विषय में कोई शिकायत आई है? अगर हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृपाशंकर—सरकार के पास केवल एक शिकायत दिसम्बर, १९५३, में आयी थी जिसमें यह कहा गया था कि कमेटी के कुछ सदस्यों की रंजिश के कारण प्रार्थी पर १९५३-५४ में ग़लत टैक्स लगा दिया गया था। जांच करने पर यह शिकायत ग़लत पाई गई।

श्री झारखंडे राय—क्या मन्त्री महोदय, बताने का कष्ट करेंगे कि यह शिकायत किस की ओर से आई थी ?

श्री कृपाशंकर—सागरमल जालान की ओर से।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस विषय की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री कृपाशंकर—शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी गयी थी और यहां भी आयी थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी जांच करवाई है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह जवाब दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन टैक्सों की शिकायत सरकार के पास आयी है क्या दरख्वास्त देने के बाद उन शिकायतों को सरकार के द्वारा दूर कराया गया है?

श्री कृपाशंकर—यहां के मुताल्लिक़ सिर्फ एक ही शिकायत आयी है और कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उस आवेदन पत्र में यह भी कहा गया है कि टाउन एरिया के अधिकतर मेम्बर कांग्रेसी हैं जिनके कारण यह टैक्स ऐसे लोगों पर लगाया जा रहा है ?

श्री कृपाशंकर—हां, ऐसा लिखा हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इन शिकायतों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करने पर विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर—जो शिकायत थी वह यह थी कि टैक्स अनुचित लगाया गया है इसलिये केवल टैक्स के बारे में जांच करायी गयी और इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी कि मेम्बर नाजायज काम करते हैं और न इसके लिये जांच कराने की कोई मांग आयी थी। इसलिये इसकी कोई जांच नहीं करायी गई। अगर अब से कोई शिकायत आयी तो सरकार उस पर विचार करेगी।

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[हटा दिया गया]

## एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलने की स्वीकृति

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नई एलोपैथिक व आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरियां अब तक खोली गयी हैं ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—इस वर्ष निम्नलिखित स्थानों पर एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों की स्वीकृति हुई है।

### एलोपैथिक

१—अकराबाद (जिला अलीगढ़) २—दूभर (जिला बलिया) ३—इरिच (जिला झांसी) ४—दनिया (जिला अलमोड़ा) ५—मुन्स्यारी (जिला अल्मोड़ा) ६—जनाना अस्पताल रूरा (जिला कानपुर) ७—चोपान (जिला मिर्जापुर) ८—रासिन (जिला बांदा ) ९—तिकोनिया (जिला खीरी) १०—इमिलिया (जिला हमीरपुर) ११—मोरावां अस्पताल (जिला उन्नाव) (जिला बोर्ड अस्पताल का प्रान्तीयकरण) १२—कटरा दीवान खेरा अस्पताल (जिला उन्नाव) (जिला बोर्ड अस्पताल का प्रान्तीयकरण )। १३—जनाना हस्पाताल (हल्द्वानी जिला नैनीदताल) (जिला बोर्ड अस्पताल का प्रान्तीयकरण)

### आयुर्वेदिक तथा यूनानी

१—गोनी गन्डेवा (जिला हरदोई)
२—मातवर (जिला मिर्जापुर)
३—चान्दापुर (जिला शाहजहांपुर)
४—जेवन्ती (जिला मैनपुरी)
५—मथौली (जिला देवरिया )
६—जगजीवन पुर (जिला उन्नाव)
७—सेवापुरी (जिला बनारस)
८—पुरा (जिला कानपुर)
९—सतरीख (जिला बाराबंकी ) (यूनानी)
१०—चैनसुख धर्मार्थ औषधालय, गोमठ (जिला अलीगढ़)
(स्थानीय संस्था के औषधालय का प्रान्तीयकरण)

कुछ खुल चुके हैं, बाक़ी भी अक्तूबर के अन्त तक सब खुल जायेंगे।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार इससे अधिक एलोपैथिक और यूनानी डिस्पेंसरी इस साल खुलनी चाहिये थीं ?

**श्री बनारसी दास**---यह तो सब योजना के अनुसार ही है ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन डिस्पेंसरीज में से कहां कहां खुल चुकी हैं ?

**श्री बनारसी दास**---केवल चार एलोपैथिक डिस्पेंसरीज के आदेश अभी यहां से नहीं गये हैं। और सब के आदेश जा चुके हैं। जहां तक खुलने का सवाल है, जिलों से अभी तक यह पूरी सूचना नहीं मिली है कि खुली हैं या नहीं खुली हैं।

**श्रीमती सज्जन देवी महनोत** (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी गोंडा जिले के धानीपुर बाजार में जो अस्पताल है उसका प्रान्तीयकरण करने का विचार रखती हैं ?

**श्री बनारसी दास**---इस वक्त कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**---क्या सरकार इन डिस्पेंसरीज में दी जाने वाली दवाओं के लिये ग्रान्ट बढ़ाने का विचार रखती है ?

**श्री बनारसी दास**---इसमें ऐसा है कि जहां कहीं दवाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है उनको अतिरिक्त भी स्वीकृति दे दी जाती है।

**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने यह अस्पताल खुले हैं उसमें सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

**श्री बनारसी दास**---यह जितने अस्पताल खुले हैं वह सब सरकार के ही हैं। पूरा रुपया ही सरकार का है।

## जिला इटावा में सहायल अस्पताल की इमारत का निर्माण

*८---**श्री गजेन्द्र सिंह** (जिला इटावा)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले में सहायल अस्पताल की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ?

**श्री बनारसी दास**---अस्पताल का मुख्य भवन व कम्पाउन्ड और नौकरों के निवास स्थान बन चुके हैं और यह अस्पताल के प्रयोग के लिये सिविल सर्जन को सौंप दिये गये हैं। केवल डाक्टर का भवन तथा कुओं का बनना बाक़ी है।

*९---**श्री गजेन्द्र सिंह**---यदि अब तक नहीं हुआ, तो क्यों ?

**श्री बनारसी दास**---यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री गजेन्द्र सिंह**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पी० डब्लू० डी० द्वारा करवाया गया या किसी ठेकेदार के द्वारा ?

**श्री बनारसी दास**---पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा ।

**श्री गजेन्द्र सिंह**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भवन निर्माण का कार्य कितने साल होता रहा ?

**श्री बनारसी दास**---१९४८ शुरू में किया गया था।

**श्री गजेन्द्र सिंह**---इतने दिनों से क्यों पड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है ?

**श्री बनारसी दास**---पहले इस कार्य का एस्टीमेंट २८ हजार रुपये का था और १९५२ तक इसमें कुछ काम हुआ। इसके बाद एस्टीमेट को रिवाइज किया गया। वह ३८ हजार रुपये का हुआ। उसमें कुछ समय लगा। इस दौरान में अन्दर इस भवन के दरवाजे, खिड़कियां, और फर्श आदि तो बाक़ी हैं, बाक़ी सब बन गया है। उसके बाद चीफ इंजीनियर ने इसी साल रिपोर्ट की है कि ३८ हजार रुपया काफी नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसमें ४७ हजार रुपये का एस्टीमेट होगा। बाक़ी जो रुपया उन्होंने मांगा है उस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है।

**श्री राम सुभग वर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के भवन निर्माण में कुल कितना रुपया अब तक व्यय हुआ है?

**श्री बनारसी दास**---इसका तो मैंने उत्तर दिया है कि ३८ हजार रुपया स्वीकृत है। उसमें से लगभग सभी व्यय हो चुका है १९५३ के मार्च तक।

**श्री गजेन्द्र सिंह**---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जितने दिन तक भवन नहीं बना है उस पीरियड में ईंटों की रखवाली के लिये जो दो चौकीदार रखे गये उसमें कई हजार रुपया सरकार का खर्च हुआ?

**श्री बनारसी दास**---जब से भवन बन रहा है यह सही है कि उसमें रखवाली के लिये दो चौकीदार रखे गये। उनका वेतन तो देना ही पड़ा होगा।

## जिला बोर्डों को लोकल रेट एवं सेस की अदायगी के बारे में सरकारी आदेश

*१०---**श्री रामलखन** (जिला बनारस)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ४ मई, सन् १९५४ को कोई सरकारी आदेश समस्त जिलाधीशों को जिला-बोर्डों को मिलने वाले लोकल रेंट एवं सेस की रक़म की अदायगी के बारे में भेजा गया है? यदि हां, तो आज उक्त रक़म की अदायगी के वास्ते कोई शर्त भी रक्खी गयी है?

**श्री कृपाशंकर**---जी हां।

*११---**श्री रामलखन**---क्या स्वाशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रक़म जो Compensatory Grant के रूप में मंजूर हुई है पूरे Revenue वसूली के बाद payable है?

**श्री कृपाशंकर**---जी नहीं।

**श्री रामलखन**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त जी० ओ० में कोई सूरत रक्खी गयी थी कि पेमेंट के लिये?

**श्री कृपा शंकर**---जी हां।

**श्री रामलखन**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त शर्त को सरकार ने हटा लिया है या नहीं?

**श्री कृपाशंकर**---जी हाँ, हटा लिया है।

*१२---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[ स्थगित किया गया। ]

## आगरा तथा बरेली के मानसिक चिकित्सालयों में पुराने रोगियों की संख्या

*१३---**श्री देवकी नन्दन विभव**---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा बरेली के मानसिक चिकित्सालयों में कितने प्रतिशत पुराने बीमार हैं जो दो वर्ष से अधिक से वहां हैं?

श्री बनारसी दास—आगरा तथा बरेली के मानसिक चिकित्सालयों में दो वर्ष से अधिक पुराने रोगियों की प्रतिशत संख्या निम्नलिखित है :—

| | | |
|---|---|---|
| आगरा | .. | ६०.०८ |
| बरेली | .. | ६६.१४ |

*१४—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार इस व्यवस्था पर विचार कर रही है कि पुराने मरीजों के लिये एक उपनिवेश बना दिया जाय तथा नये मरीजों के लिये अधिक प्रवेश की व्यवस्था कर के आधुनिक चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री बनारसी दास—पुराने रोगियों के लिये पृथक उपनिवेशन बनाने के प्रश्न पर तो सरकार अभी विचार नहीं कर रही है परन्तु आगरा मेन्टल अस्पताल ने शीघ्र ही ३८ शय्याएं और बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचारा धीन है। नये रोगियों के लिये अधिक व्यवस्था व उनके चिकित्सा में उन्नति का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या मंत्री जी को यह विदित है कि जब दो तिहाई जगहें तीन साल पुराने मरीजों से घिरी रहती हैं तो नये मरीजों के प्रवेश में दिक्कत होती है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—हां, यह सत्य है कि इस तरह के पुराने मरीजों के रखने से नये मरीजों के लेने में काफी असुविधा होती है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि क्या वह नई उन्नत योजनाओं को लेने के लिये विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस विषय का संबंध है सरकार अवश्य यह चाहती है कि इस प्रकार के मरीजों की अधिक संख्या बढ़ जाने के कारण वह किसी दूसरी स्थान पर एक भवन और अस्पताल का निर्माण करे और उसे वह अपनी अगली योजनाओं में रखने वाली भी है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली और आगरा में वह और जगहों पर पुराने मरीजों के लिये अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं ऐसा तो कोई निर्णय नहीं किया गया लेकिन जितने मरीजों की संख्या इस प्रकार बढ़ती जाती है उससे हम यह अनुभव कर लेते हैं कि हम एक दूसरी जगह पर इस प्रकार के मरीजों के लिये स्थान ढूंढ़े। पहले हमारा विचार बरेली जेल को होम डिपार्टमेंट से मांगने का था लेकिन बरेली का जेल फिर से स्थापित होने वाला है इसलिये वह जगह तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन हम फिर किसी और जगह पर, नई जगह में ऐसे मरीजों के लिये अस्पताल का निर्माण करेंगे या अगर कोई पुरानी इमारत इस कार्य के लिये मिल सकेगी तो उसमें इस प्रकार के मरीजों को रखने के ऊपर विचार किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने की है कि प्रान्त में मस्तिष्क के रोगी कितने हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितने मस्तिष्क के रोगी ऐसे होते हैं जो कि वायलेंट किस्म के समझे जाते हैं वे तो इन अस्पतालों में रख दिये जाते हैं बाकी तो प्रदेश में इधर उधर घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं।

श्री गेंदा सिंह—सरकार जो उपनिवेश मस्तिष्क के रोगियों को बसाने के ऊपर विचार कर रही है तो प्रान्त में जो रोगी इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं उनको भी वहां बसाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कभी कभी ऐसे रोगियों को अस्पताल में नहीं रक्खा जाता बल्कि कहीं दूसरी जगह भेज दिये जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह—ऐसा उपनिवेश सरकार कहां पर बसाने का विचार कर रही है है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में ५२ जिले हैं उनमें कहीं न कहीं पर वह भेज दिये जाते हैं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मानसिक चिकित्सालयों में समुचित प्रबन्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकतर रोगी बिहार के रांची अस्पताल में जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना तो नहीं है। कुछ अवस्था के रोगी स्वयं वहां जाते हैं। रांची का बड़ा अस्पताल था वह उच्चकोटि के मरीजों के लिये समझा जाता था और स्वयं वहां जाते थे। वहां पर खर्चा भी ज्यादा होता था। पहले वह अस्पताल अंग्रेजों के लिये रखा गया था और आबहवा के कारण कुछ लोग वहां पर भेजे जाते थे।

श्री कमला सिंह—क्या सरकार रांची के अस्पताल की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोई अस्पताल ऐसा खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई रांची ऐसा स्थान इस उत्तर प्रदेश में बनाने का विचार नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया एक और स्थान पर इस प्रकार का अस्पताल निर्माण करने की बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मेंटल अस्पतालों में एक आदमी को रखने की क्या अवधि होती है या वह लामियाद रखे जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब तक बीमार ठीक नहीं होता है वहां पर रखा जाता है। काफी लोग अच्छे हो कर वहां से चले आते हैं।

*१५—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया।]

*१६—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)— [स्थगित किया गया।]

*१७—श्री बेचनराम गुप्त—[१३ सितम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१८—१९—श्री मुस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

## पंचायत निरीक्षकों में हरिजनों की संख्या

*२०—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने पंचायत निरीक्षकों के स्थान रिक्त हैं और कितने पदों पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

श्री कृपाशंकर—इस समय राज्य में पंचायत निरीक्षकों के कुल ४० पद रिक्त हैं जिनमें से २२ पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

*२१—श्री जोरावर वर्मा—क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पंचायतराज निरीक्षक हैं और उनमें कितने परिगणित और पिछड़ी जातियों के हैं ?

श्री कृपाशंकर—कुल ४४४ पंचायत निरीक्षक हैं इनमें से १३ परिगणित तथा २२ पिछड़ी जातियों के हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या जो स्थानापन्न २२ व्यक्ति काम कर रहे हैं यह विभागीय हैं या बाहर के हैं ?

श्री कृपाशंकर—जो लोग स्थानापन्न काम कर रहे हैं ये लीव रिजर्व के लोग हैं।

श्री गेंदा सिंह—जो लोग इस समय अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री कृपाशंकर—जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से २५ फीसदी लोगों को स्थायी कर देने का सरकार का विचार है। उनकी संख्या १०० के करीब और वह जल्दी ही अमल आने वाला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो स्थानापन्न पंचायत निरीक्षक हैं उनमें अधिकतर पंचायत सेक्रेटरी और क्लर्क रखे गये हैं ?

श्री कृपाशंकर—जी हां, ऐसे कुछ लोग स्थानापन्न काम कर रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थान रिक्त हैं क्या उनकी पूर्ति के लिये हाल ही में कोई सेलेक्शन हो रहा है, यदि हां तो कब ?

श्री कृपाशंकर—इस समय ४० स्थान रिक्त हैं जिनमें से १४ का तो पदोन्नति के द्वारा सेलेक्शन होने वाला है, बाक़ी २६ के बारे में सरकार अभी विचार कर रही है। पी० एस० सी० से सलाह करने के बाद अन्तिम निर्णय किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिक्त स्थानों के सेलेक्शन में कितने प्रतिशत लोग डिपार्टमेंटल लिये जाते हैं ? और कितने प्रतिशत लोग बाहर के होते हैं ?

श्री कृपाशंकर—मैंने अभी जवाब में बताया कि कुल ४० स्थान रिक्त हैं जिनमें से १४ स्थान पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे बाकी २६ के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि जिन पंचायतराज इंसपेक्टरों को पी० एस० सी० द्वारा चुना गया था अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुयी है ?

श्री कृपाशंकर—पी०एस०सी० द्वारा २८ आदमी चुने गये थे जिनमें से २७ की नियुक्ति हो गयी है तथा एक बाकी है। इसके अतिरिक्त २० नाम और सरकार के पास भेजे गये थे, उनकी नियुक्तियां बाकी हैं।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ जिलों के जिलाधीशों ने यह शिकायत भेजी है कि नीचे के मंत्रियों की नियुक्ति कर देने के बाद जब कोई बदलता है तो वह काम नहीं करता लिहाजा ये नियुक्तियां न की जाया करें ?

श्री कृपाशंकर—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल जो ४४४ हैं उनमें १८ प्रतिशत से हरिजनों की ८० नियुक्तियां होनी चाहिये, इन ८० नियुक्तियों के न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कृपाशंकर—पंचायत निरीक्षक के अप्वाइंटमेंट होने के समय जो उम्मीदवार आये उनमें पददलित या शिड्यूल कास्ट के उतने उम्मीदवार नहीं थे कि १८ प्रतिशत के हिसाब से उनकी नियुक्ति की जा सकती ?

**श्री जोरावर वर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है कि आगे जो पंचायत इंसपेक्टर नियुक्त हों, उनमें इस प्रकार से नियुक्तियां की जायं कि यह १८ प्रतिशत का कोटा पूरा हो जाय। क्या सरकार इसके लिये हरिजनों को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

**श्री कृपाशंकर**---यदि क्वालीफाइड उम्मीदवार मिले तो ऐसा करने की कोशिश की जायगी ।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इंसपेक्टर्स का सलेक्शन होता है तो क्या कोई परीक्षा होती है अथवा स्वविवेक के अनुसार उनका सेलेक्शन किया जाता है या कोई क्वालीफिकेशन देखी जाती है ?

**श्री कृपाशंकर**---जो नियुक्तियां पहले हुयी हैं वे इंटरव्यू द्वारा हुयी थीं, अब नियुक्तियां पी०ए०सी द्वारा होती हैं। जो स्थान भरे जाने वाले उनके लिये एक कमेटी बिथा दी गयी है जिसमें एक पी०एस०सी० का आदमी भी होगा जिसमें इंटरव्यू द्वारा नियुक्तियां की जायंगी ।

## सहायक जिला पंचायत अधिकारियों की नियुक्तियां

*२२---**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक जिला पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति कब हुयी थी तथा उनको मुस्तकिल करने के सम्बन्ध में क्या कोई निश्चय हुआ था ? यदि हां, तो कब और क्या ?

**श्री कृपाशंकर**---सहायक जिला पंचायत अधिकारियों की नियुक्तियां जून १९५१ में हुयी थीं। इन पदों में से १३ पदों को १,४,४५ से स्थायी घोषित किया जा चुका है और इन पर पदाधिकारियों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारियों के कुल कितने पद हैं और जो पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं उन पर अभी तक किसी को स्थायी क्योंनहीं किया गया है ?

**श्री कृपाशंकर**---सहायक जिला पंचायत अधिकारियों की कुल ५१ जगहें हैं जिनमें १३ स्थायी की जाने वाली हैं और वे जल्दी ही होंगी। उस पर सरकार विचार कर रही है।

**श्री जोरावर वर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने सहायक जिला पंचायत अधिकारी हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

**श्री कृपाशंकर**---कुल ५१ हैं लेकिन उसमें हरिजनों की संख्या क्या है, इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

*२३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ पंचायत मंत्रियों व क्लर्कों को पंचायत इंसपेक्टरों के स्थानों पर नियुक्त करने का उसने निश्चय किया था ? यदि हां, तो कब और इसकी सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को कब दी गयी थी तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

**श्री कृपाशंकर**---जी हां, अगस्त १९५३ में यह निर्णय किया गया था जिसकी सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को उसी समय अगस्त १९५३ में ही दे दी गयी थी। संचालक, पंचायत-राज द्वारा पदाकांक्षियों का अंतरिम साक्षात्कार किया गया और तदोपरान्त पदाकांक्षियों को अंतिम साक्षात्कार के लिये १५,१६ १६ सितम्बर, १९५४ को बुलाया गया है।

**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस सम्बन्ध में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

श्री कृपाशंकर---इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखी पढ़ी करनी पड़ती है और जब उनकी मंजूरी हो जाती है तब कोई कदम उठाया जाता है, इसलिये देर हो जाती है।

*२४--श्री लक्ष्मण राव कदम---[स्थगित किया गया।]

*२५--श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---[१४ सितम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

## जिला बोर्ड शाहजहांपुर का १९५३-५४ का संशोधित आय-व्यय

*२६--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर) [अनुपस्थित]---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड शाहजहांपुर का १९५३-५४ का संशोधत आय-व्यय सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री कृपाशंकर---जी नहीं।

## गोंडा जिले में मोतीगंज-डुमरियागंज डीह सड़क पर चमदाई नदी पर पुलिया की मरम्मत की आवश्यकता

*२७---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोतीगंज से डुमरियागंज डीह तक जो सड़क पर चमदाई नदी पर की पुलिया करीब ५,७ वर्ष से टूटी पड़ी है जिससे यातायात में असुविधा होती है ?

श्री कृपाशंकर---जी हां।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत है या पी० डब्ल्यू०डी० के अन्तर्गत है ?

श्री कृपा शंकर---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत है।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस पुल को बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है या नहीं ?

श्री कृपाशंकर---अध्यक्ष महोदय, जिला बोर्ड गोंडा ने यह कहा है कि इसी वर्षा के बाद उस पुल को बनवा देंगे।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि उस पुल के न बनने से स्त्रियों और बच्चों को चार कोस का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है ?

श्री कृपा शंकर---हो सकता है कि ऐसी बात हो।

श्री शिवनारायण---यह गोंडा जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने सरकार से कुछ रुपया भी मांगा है ?

श्री कृपाशंकर---जी नहीं।

## दर्शक दीर्घा प्रदर्शन जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि २३ अगस्त, सन् १९५४ के विधान सभा के दर्शक दीर्घा में जो प्रदर्शन हुआ था उसकी जांच के लिये मैंने एक समिति का [illegible] किया था। उसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये १५ दिवस का

---

नोट---प्रश्न २६ श्री गेंदा सिंह ने पूछा।

समय दिया गया था। समिति अभी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। उसके सभापति की प्रार्थना पर इसके समय को मैं एक मास के लिये अर्थात् १५ अक्तूबर तक बढ़ाता हूं।

## विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ३१ अगस्त सेपूर्व ही विशेषाधिकार समिति ने अपना निर्णय भेज दिया था और आपने कई बार कहा है कि उस पर सदन में विचार किया जायगा। मैं चाहता हूं कि आप कोई तिथि निश्चित कर दीजिये कि जिस दिन उस विशेषाधिकार समिति के निर्णय पर विचार हो सके।

**श्री अध्यक्ष**---वह रिपोर्ट आ गयी है लेकिन वह हस्तलिखित या टाइप की हुयी है छपी हुयी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। जब तक माननीय सदस्यों को छपी हुयी रिपोर्ट न मिल जाय तब तक सदन उस पर विचार नहीं कर सकता इसलिये हम प्रेस से तकाजा कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र छपी हुयी कापियां भेज दें और जैसे ही वह आ जायगी कोई तिथि निश्चित करके मैं सदन को सूचित कर दूंगा।

## उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४ तक पारित करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप आज्ञा दें कि मैं अपना पहला संशोधन न रख कर दूसरा संशोधन रखूं।

**श्री अध्यक्ष**---आप अपना पहला संशोधन वापस लेना चाहते हैं और उसके स्थान पर दूसरा रखना चाहते हैं ?

**श्री रामनरेश शुक्ल**---जी हां।

(सदन की अनुमति से पहला संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री रामनरेश शुक्ल**---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :---

संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति २ में शब्द "तथापि" प्रदेश तक के शब्द निकाल दिये जायं। पंक्ति ४ के शब्द "अपने नियमित" से लेकर उसी पंक्ति के शब्द "होगी" तक के शब्द निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "अगले बृहस्पतिवार तक प्रतिदिन ६ बजे शाम तक होगी" रख दिये जायं, पंक्ति ५ मे "१८ सितम्बर" के स्थान पर "१७, सितम्बर" रख दिया जाय, पंक्ति ५ में शब्द "पारित कर दिया जाय" के पश्चात् शब्द "और उस दिन यह सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय" रख दिये जायं तथा पंक्ति ६ के अंक "१४" के स्थान पर "१५" रख दिया जाय।

**माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)**---मुझे स्वीकार है।

**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लूं कि कल इस सदन में जब यहां इस सम्बन्ध में बातचीत हुयी थी तो हम लोगों ने प्रसन्नता के साथ इस बात को स्वीकार किया था कि जितनी जल्दी हो इस विधेयक को अगर सरकार पारित कराना चाहती है तो कर दिया जाय परन्तु भाषणों के लिये उचित समय माननीय सदस्यों

[श्री राजनारायण]

को रहे। मगर श्रीमन् मुझे आज आश्चर्य हुआ जब मैं इस विधेयक में संशोधन को देख रहा हूं श्रीमन् कुल १२५ संशोधनों की सूचना इस समय तक है उसमें से ३६ संशोधन माननीय मौर्य जी के है, जो इस विधेयक को लेकर पेश कर रहे हैं और १६ संशोधन माननीय रामनरेश जी शुक्ल जो कांग्रेस पार्टी के हिवप हैं, उनके हैं तो एक तरीके से श्रीमन् आप समझिये कि जो विधेयक प्रस्तुत है उस विधेयक को ही दूसरे विधेयक के रूप में परिणत किया जा रहा है। श्रीमन्, कल एजेण्डे में जो बात नहीं थी वह आज एक नया आइटम देखने में आ रहा है कि माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी का तीन पेज का एक संशोधन आ रहा है। अब जरा इस पर सोचिये कि जब सारे प्रांत के किसानों से सम्बन्धित यह विधेयक है और जब सरकार की ओर से खुद इसमें इतने अमेंडमेंट आवें तब इस पर इतनी जल्दी करना सरकार के लिये कहां तक उचित है, इसलिये मैं खुद चाहता हूं और आपके जरिये माननीय राम नरेश शुक्ल से निवेदन करूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रकार हमको इस तरह का मौका न दें कि उनको यह समझने में आये कि बराबर हम उनकी बात नहीं मानते। इतना ही निवेदन करके मैं बैठना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है.....

**श्री अध्यक्ष**---मैं संशोधन के बारे में कुछ नहीं पूंछना चाहता हूं। उनकी आपसे यह प्रार्थना है कि इस बारे में जल्दी न की जाय, इसके सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---मैं समझता हूं कि जो रामनरेश शुक्ल जी ने संशोधन पेश किया है उसको मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये क्योंकि यह जो समय बढ़ाने के लिये है उसमें यह है कि समय के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और मैं समझता हूं कि इतने समय में सभी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं सामान्य विवाद में काफी समय लग चुका है इसलिये मेरा तो यही अनुरोध है कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह स्वीकार कर लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**---(श्री रामनरेश शुक्ल से) कल मैंने यह कहा था कि आप आपस में बात कर लें और उसके बाद अगर कोई निर्णय सब का हो जाता है तो कोई एक परिवर्तित संशोधन आप पेश कर दें। यह मैंने सदन में कहा था तो क्या आप इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश डाल सकते हैं?

**श्री रामनरेश शुक्ल**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैंने नेता विरोधी दल, उपनेता विरोधी दल और माननीय गेंदा सिंह से बातचीत की और उस दौरान में जो इच्छायें उन्होंने प्रकट की थीं उनको हमने स्वीकार किया था और यह तय किया था कि शुक्रवार को चाहे कितनी देर तक ही बैठना पड़े इस विधेयक को पारित कर देंगे। और बहुत सी बातें हुयी थीं लेकिन कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की कि जिस पर उन्हें कोई शिकायत हो।

**श्री अध्यक्ष**---तो इसके ऊपर विवाद जारी रहेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

**श्री राजनारायण**---इस प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा या रामनरेश जी के संशोधन पर?

**श्री अध्यक्ष**---वह दोनों बातें सदन के सामने मौजूद हैं और इन पर अगर किसी को कुछ कहना हो तो मैं सुनना चाहता हूं।

**श्री राजनारायण**---इस सम्बन्ध में यद्यपि माननीय मौर्य जी का संशोधन बाद में देख कर तो मेरा विचार बिल्कुल बदल गया मगर मैं रामनरेश जी

से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि इस संशोधन की बहुत सी बातों से मैं असहमत हूं मगर सामान्य विवाद के लिये तो उन्होंने जो रखा है उसको तो वह रख दें, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, वह आज सवा बजे तक खत्म हो जाय मगर आगे के लिये जो समय वह निर्धारित कर रहे हैं कि १७ तारीख तक खत्म हो ही जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता । कल तक तो हमको इस पर आपत्ति नहीं थी और मैं इस बात को मानता हूं कि कल जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बहुत सी बातों की सफाई कर दी है, और मैं यह भी चाहता हूं कि वह यह न समझें कि हम इसको शुक्रवार तक पास नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द पास हो जाय लेकिन इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि सब काम अपनी जगह पर ठीक हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई विलम्ब करने की चेष्टा नहीं की जायगी और इसके साथ ही साथ हम यह प्रयत्न करेंगे कि विधेयक जल्द से जल्द पास हो लेकिन इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जो विधेयक में संशोधन आ रहे हैं उनके ऊपर क़ायदे से भाषण हों । अगर यह शुक्रवार को समाप्त न होगा तो हम सटरडे को बैठें और यह भी हो सकता है कि सदन की बैठक सन्डे के दिन भी हो और उस दिन बैठ कर हम इसको पास करें, मगर इस वक्त शुक्रवार के लिये तय हम करें।

**माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**—श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस है कि बावजूद दो दिन की कोशिश होने के माननीय नेता जी विरोधी दल से जो एक बहुत छोटी सी दरख्वास्त थी और बहुत माकूल दरख्वास्त थी कि १२, १३ अक्तूबर तक इस विधेयक को ऐक्ट बन जाना चाहिये, वह उनको मंजूर नहीं है। यहां से यह जवाब निकल जायगा तो कुछ दिन का नोटिस कौंसिल को होगा। कौंसिल में ५, ४ दिन लग ही सकते हैं। उसके बाद फिर छुट्टियां आ जाती हैं। फिर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना जरूरी है और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। राष्ट्रति के हस्ताक्षर के लिये जरूरी होता है कि सब मिनिस्ट्रीज ये सब डिपार्मेंट्स से होकर वह जाता है। लिहाजा यह दरख्वास्त की गई। लेकिन उसमें भी माननीय नेता जी कहते हैं कि कोई खास बात हो तो देखा जायगा। शनिवार को न रख कर हमने कहा कि शुक्रवार को हो तो अब यह कहते हैं कि अगर कोई खास कठिनाई न हुई तो खुद ही हो जायगा। लेकिन वह अपने आप को पाबन्द नहीं करना चाहते। मैं आप के जरिये यह दरख्वास्त करता हूं कि पाबन्दी हो जानी चाहिए। नहीं तो फिर उस समय यही बातें होंगी।

**श्री राजनारायण**—३६ संशोधन माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य के हैं १२५ में से यह भी तो आप देखिये ।

**श्री चरण सिंह**—३६ नहीं ७२ हों वह.....

**श्री अध्यक्ष**—मैं आपस में इस तरह की बातचीत की इजाजत नहीं देता हूं ।

अब इसके ऊपर मैं राय लिये लेता हूं । पहले संशोधन पर राय लूंगा फिर संकल्प पर राय ले लूंगा ।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—संशोधन जब स्वीकार है तो उस पर राय लेने की क्या जरूरत है? संकल्प पर ही राय ले ली जाय ।

**श्री अध्यक्ष**—यह तो आप को स्वीकार है, सदन को शायद यह स्वीकार न हो सके। इसलिये राय लेना जरूरी है ।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "तथापि प्रदेश" के शब्द निकाल दिये जायं, पंक्ति ४ के शब्द "अपने नियमित" से ले कर

[श्री अध्यक्ष]

उसी पंक्ति के शब्द "होगी" तक के शब्द निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर शब्द "अगले वृहस्पतिवार तक प्रति दिन ६ बजे शाम तक होगी" रख दिये जायं, पंक्ति ५ में "१८ सितम्बर" के स्थान पर "१७ सितम्बर" रख दिया जाय, पंक्ति ५ में शब्द "पारित कर दिया जाय" के पश्चात् शब्द "और उस दिन यह सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय" रख दिये जायं तथा पंक्ति ६ में अंक "१४" के स्थान पर "१५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में---१७४
विपक्ष में---२६।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं संशोधित संकल्प उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को शीघ्रातिशीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अगले वृहस्पतिवार तक प्रति दिन ६ बजे शाम तक होगी और उक्त विधेयक को दिनांक १७ सितम्बर, १९५४ तक पारित कर दिया जाय और उस दिन यह सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तथा उसे पारित करने के हेतु उक्त विधेयक पर सामान्य विवाद १५ सितम्बर, १९५४ को १ बज कर १५ मिनट तक ही हो और संशोधनों के प्रस्तावक तथा मंत्री जी के प्रथम भाषण के लिये १०--१० मिनट तथा अन्य भाषणों के लिये ५--५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मेरे ख़याल से ५--१० मिनट वाली बात इस संशोधन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मूल प्रस्ताव में है और संशोधन में वह अंश काटा नहीं गया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१८३
विपक्ष में---२९।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब जब किसान विरोधी नीति में यह सरकार अपनी हठवादिता पर डटी हुई है तो अब तक तो हमने अपने हाथों से यहां काम लिया। अब मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि थोड़ा सा पैर से भी हम काम लें और एक सिम्बालिक वाक आउट पांच मिनट के लिये हम करते हैं।

(इसके पश्चात् समाजवादी तथा संयुक्त दल के सदस्य ५ मिनट के लिये बाहर चले गये।)

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि।)

श्री अध्यक्ष---ऐसे मौक़े पर और उत्तेजना न बढ़ाइये। अपने पैर से वे काम ले रहे हैं हाथ से काम आप शुरू न कर दें।

## *उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार जारी रहेगा।

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३, अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, क्या मुझ पर भी यह पांच मिनट की पाबन्दी लागू होगी ?

श्री अध्यक्ष---इस समय इसके लिये नहीं।

श्री जयपाल सिंह---मैं कल यह बात कह रहा था कि हमारे प्रान्त में इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि यहां पर लैंड मैनेजमेंट ऐक्ट बने और कल्टीवेशन के सिलसिले में जोत और उसके इन्तजाम के बारे में ऐक्ट बनना चाहिये जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया है और उसी पालिसी को हमारी केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस पालिसी के अन्तर्गत सेलिंग आफ़ होल्डिंग की बात भी कही गयी है कि एक मैक्सिमम होल्डिंग मुक़र्रर कर देनी चाहिये और वह किस तरीके से की जानी चाहिये उसमें बहुत काफ़ी गुंजायश भी रखी गयी है । ऐसा नहीं है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम होल्डिंग को निर्धारित करने से पैदावार में कमी हो जायगी। मैं आप की आज्ञा से पहली पंचवर्षीय योजना के सफ़ा १९० से पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :---

"There should be an absolute limit to the amount of land which any individual may hold. The limit should be fixed by each State having regard to its own agrarian history and its present problems."

दूसरा यह है---

"The cultivation and management of land held by an individual owner should conform to the standard of efficiency to be determined by law."

इस प्रकार से तो दो-दो उसूल की मैक्सिमम होल्डिंग हमारे यहां होनी चाहिए और एक ऐसा भी कानून होना चाहिये कि एफ़िशेन्सी हमारी पैदावार के बारे में होनी चाहिये। आवश्यक हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई वजह नहीं है कि हमारे देश की उत्पति में कमी पड़े और दूसरे लोग उसको अपने क़ब्ज़े में रखने की गरज से दूसरों को फर्ज़ी तरीके से असामी बना कर उठाते रहें और उनसे अनाज या लगान की शकल में वसूल करते रहें । ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता हूं कि सरकार की यह पालिसी ज़मींदारी उन्मूलन से या जो रिफार्म हुआ है उसके अनुसार मिलती है। मैं समझता हूं कि जब तक ऐसा ऐक्ट नहीं बनाया जायगा तब तक हमारी पैदावार में भी बढ़ोत्तरी नहीं होगी और न हमारे किसान इस तरफ़ रुजू होंगे कि वह पैदावार को बढ़ाएं। इस तरीके से मैं समझता हूं कि जो हमारी केन्द्रीय सरकार की पालिसी है उस पर हमारी सरकार को अमल करना चाहिये और उस पर इस प्रकार के रूल्स फ्रेम करने चाहिये कि उस खेत पर काम करने वाला अच्छा बीज भी ले सके और मजदूरों की वेजेज़ भी दे सके । इस तरह का कानून बनना लाजिमी है । जब तक इस तरह का कानून नहीं बनेगा तब तक खेतिहर मजदूरों का न फायदा होगा और न किसानों का फायदा होगा और न किसानों को पैदावार बढ़ाने का इंसाइटमेंट होगा कि अगर इतनी खेत में पैदावार न होगी तो हमारी जमीन चली जायगी।

एक बात कही गयी है कि अगर तीन साल तक जमीन बेकार पड़ी रहे तो उसको नोटिस दे कर कलेक्टर या एस० डी० ओ० ले लेंगे और दूसरे असामी को दे देंगे। हमारी जो केन्द्रीय सरकार की पालिसी है उससे यह मेल नहीं खाता। इस तरीके से जो जमीन

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

बेकार पड़ी है उसको तुरन्त ले लेना चाहिये । जैसा कि फाइव इयर प्लान में भी कहा गया है। १९८ पृष्ट पर आगे कहा गया है कि वह बड़े-बड़े फार्म जिनके तोड़ने से पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पैदावार ज्यों की त्यों रहती है उसको नहीं तोड़ना चाहिये लेकिन वह फार्म जिनमें पैदावार बढ़ सकती है उनको तोड़ना चाहिए या यों कहिए कि जो बड़े-बड़े फार्म हैं जिनकी पैदावार ऐसी नहीं होती है जैसी कानून के अन्दर निर्धारित की गयी है उनको तोड़ डालना चाहिये और उसको लैंड मैनेजमेंट ऐक्ट के अनुसार ऐसे किसानों को उठा देनी चाहिये जो भूमिहीन या खेतिहर मजदूर हैं। मैं यह समझता हूं कि इस तरीके से जो जमीन मिलेगी खेतिहर मजदूरों की बड़ी भारी समस्या को हल करेगी। यह कहा जाता है बार-बार कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और बिलकुल विपरीत चलने की बात हमेशा होती रहती है। हमारे माननीय मंत्री जी इस बात के लिये तैयार ही नहीं हैं कि खेतिहर मजदूरों को इस तरह से कुछ लाभ हो सके। पता नहीं क्या वजह है? लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर खेतिहर मजदूरों की समस्या को हल नहीं किया गया जब कि हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी भारी संख्या है – ६ करोड़ ३२ लाख की संख्या है, जब तक हम सब को रोजगार नहीं देंगे, जब तक घरेलू इंडस्ट्रीज पूरे तरीक़े से नहीं हो जायंगी तब तक जमीन की पालिसी को हल करने के लिये उनको जमीन देनी पड़ेगी। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि ९३ लाख एकड़ जमीन गांव समाज के पास गयी उसमें से कितनी खेतिहर मजदूरों की दी गई? सब हवा में उड़ गयी। कोई पता नहीं है उसका। अफसरान और गांव समाज के प्रधान, नम्बरदार और मुखिया मिल कर सब हड़प कर रहे हैं। और अधिकारी वर्ग भी उन्हीं का साथ देता है। उनको रेगुलराइज कर रहे हैं कि यह जमीन गांव समाज के अन्दर नहीं थी। बाकायदा जोत में थी । इस तरह से नये-नये प्रपंच कर के सारी जमीन हड़प कर रहे हैं। इस तरह से गसब किया जाना और जिन खेतिहर मजदूरों को दी जाने के लिये जमीन थी उनको न दिया जाना, मैं नहीं समझता हूं कि यह कैसी सरकार है और किस तरीके से ठीक कर के तरीके से इंतजाम कर सकती है। श्रीमन्, इस जमीन का प्रबन्ध नहीं हो सका जिस मक़सद के लिये यह रक्खी गई थी, उनको यह न मिल सकी तो मैं समझता हूं कि सरकार अपनी पालिसी में दृढ़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कमजोर हैं और जनता सरकार विश्वास नहीं करेगी । तो ऐसी अवस्था में यह कह देना चाहता हूं कि दोबारा जमीन का बटवारा करना ही होगा, आज नहीं किया जायगा तो साल भर बाद करना होगा। इसके बारे में समस्या का हल नहीं होगा।

सरकार ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी की बात कहती है । कहा जाता है कि मजदूरों को दूसरे धंधों में लगाना चाहिये, दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाना चाहिये लेकिन इसके लिये साधन कोई नहीं बतलाये जाते । मजदूरों को बतलाया गया कि ये इंडस्ट्रीज हैं और इतने-इतने मजदूर फलां-फलां इंडस्ट्री में लग सकते हैं— ४४, ४५ लाख खेतिहर मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में। यह बतलाया जाय कि हम उनको इन-इन इंडस्ट्रीज में लगायेंगे और इतना इतना रुपया देंगे तब तो मैं समझता हूं कि समस्या का हल हो सकता है। लेकिन यह कहा जाय कि हम जमीन तो दे नहीं सकते और बड़े किसानों की सरकार मदद करना चाहती है बड़ी-बड़ी तक़ावी दे कर, बीज और ट्रेक्टर्स दे कर तो इस से खेतिहर मजदूरों की समस्या हल नहीं हो सकती। एक ट्रैक्टर जब किसी गांव को दिया जाता है तो वह उस गांव के मजदूरों को बेकार कर देता है। ट्रैक्टर्स के लिये तकावी दे कर गांव के मजदूरों को बेकार कर देना मैं समझता हूं कि यह मुनासिब न होगा। यह पालिसी मजदूरों के हित के खिलाफ होगी। हमें मजदूरों की रहनुमाई करनी है जैसी कि केन्द्रीय सरकार की पालिसी भी है। कांग्रेस के फंडामेन्टल्स में भी यह सवाल निहित है कि हमें मजदूरों के लिये कुछ करना है। मैं समझता हूं कि हमें मौजूदा पालिसी को बदलना होगा और रिडिस्ट्रिब्यूशन के सवाल पर विचार करना होगा और हर बड़े फार्म्स से जमीन ले कर मजदूरों में तकसीम करनी होगी ।

जहां तक टुकड़ों का सवाल है एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में यह बात दी हुई है, उस कमेटी के सफा ९ पर जो लिखा है उसे पढ़ देता हूं। यह कमेटी सन् ४७ में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जब कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे उन्होंने नियुक्त की थी।

"The Committee has, therefore, recommended that the optimum size should be three times the size of the economic holding. Certain exceptions, however, have been allowed in cases of joint families and charitable institutions."

इसमें साफ यह कह दिया गया है कि मेक्जिमम होल्डिंग एक्नामिक होल्डिंग की तिगुनी तक हो सकती है। इसी तरह से रिपोर्ट के पृष्ठ २२ पर भी लिखा हुआ है "We feel that with bullock and plough technique the optimum unit in the interest of proper management by the owner cultivator should not be more than three times the economic holding."

इसका भी अर्थ यही है कि एक हल और बैल की खेती करने पर एक शख्स के पास मेक्जिमम होल्डिंग एक्नामिक होल्डिंग की तिगुनी से अधिक न होनी चाहिये। एक्नामिक होल्डिंग के बारे में इस बिल में स्वीकार किया गया है कि सवा ६ एकड़ एक ऐसी एक्नामिक होल्डिंग है जिसके जरिये से ५, ६ सदस्यों का परिवार अच्छी तरह से अपना पालन पोषण कर सकता है। और दो बैल से उसकी अच्छी खेती हो सकती है। इस तरीके से सवा छ-एकड़ में वह अच्छी पैदावार कर सकता है और उसके लिये वही इक्नामिक होल्डिंग हो सकती है। तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि उनको इतनी जमीन न दी जाय। इस कारण मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि जब कि यह प्रिन्सिपल हमारे सामने मौजूद है तो कोई वजह नहीं है कि इस प्रिन्सिपल को क्यों न अप्लाई किया जाय और क्या वजह है कि हमारे जमींदारों का पक्ष लिया जाय और उनको इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाय कि बड़े बड़े ट्रैक्टर के जरिये से उनकी मदद करने की कोशिश की जाय। इससे यह कहा जायगा कि वे खेती की इतनी उन्नति कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से वे खेती कर रहे हैं उसी तरीके से ये लोग भी उन्नति कर के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं किन्तु अगर इन ग़रीबों लोगों को जमीन नहीं दी जाती है तो इसका मतलब यही है कि आप उन लोगों की हिफ़ाजत करना चाहते हैं।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक जमीन जिसके पास होगी उसको लेने की बात कही गयी है और अगर वह तीन साल तक नहीं जोतते हैं तो वह उनसे ली जायगी। मैं समझता हूं कि यह जिस तरीके से ली जायगी वह हमारी बेसिक पालिसी के मुताबिक नहीं बैठता है। इसके लिये तो यह होना चाहिये था कि जो लोग पैदावार नहीं करते हैं उनसे तुरन्त ही जमीन लेनी चाहिये थी। जब कि हमारे देश में गल्ले की कमी है और हमको पैदावार बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि दूसरे देशों से हमको गल्ला क़र्जे की शकल में लेना पड़ता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि हम इस तरीके से जमीन को उनके पास इस तरह से छोड़ रखें और इस बिल के अन्दर भी इसी कमी को रख छोड़ें। इस प्रकार से हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। गल्ले के मामले में हमारा देश बहुत पीछे रहा है तो अगर उनसे ३ वर्ष के बाद लेने को कहा जायगा तो इससे हमारे देश की ही हानि होगी।

सरकार ने मेम्बरों के खिलाफ़ और गांव समाज के प्रधान के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये कुछ प्रयोजन इस बिल में किये हैं। मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि यदि आप गांव समाज और प्रधान और मेम्बरों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं तो जो वहां पर उच्च वर्ग के लोगों का एक क्लिक बना हुआ है जिसमें आफिसर भी शामिल हैं उन सब के खिलाफ़ आप को कार्यवाही करनी चाहिये। उनके अन्दर वहां बड़ी जाति के लोग भी शामिल रहते हैं और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। मेरे सामने कई इसके केसेज

[श्री जयपाल सिंह]

हैं जिनमें अधिकारी वर्ग यह कहता है कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो तुम क्यों इन हरिजनों की पैरवी करते हो तुम्हारा अगर कोई काम हो तो बतलाओ मैं उसको अभी कर दूं। यह तो हमारे यहां की हालत है और हमारे समाज की यह दशा है तो फिर अधिकारी वर्ग से किस प्रकार आशा की जा सकती है कि वह सब लोगों को भलाई कर सकते हैं। सरकार को उनके लिये सख्ती से बर्ताव करना पड़ेगा तभी कुछ काम हो सकता है। मेरा खयाल है कि अगर सरकार सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आयेगी तो यह काम नहीं चल सकता है। यदि सरकार यह समझती है कि वह गांव समाज की जमीन है और उसकी उसकी रक्षा करनी चाहिये तो सरकार को सख्ती से काम लेना पड़ेगा। आज गांव समाज इस दशा में नहीं है कि वह अपने यहां की जमीन की रक्षा कर सके। आप गांव समाजको अधिकार दें यह भले ही ठीक हो लेकिन जब वह अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर वह क्या कर सकता है। अधिकारीवर्ग के पास जब उनकी शिकायत पहुंच जाय तो उनको उस जगह पर जाकर तुरन्त इन्क्वायरी करनी चाहिये। वहां पर सब पंच लोग मौजूद रहते हैं तो तुरन्त ही सब मिलकर तुरन्त ही फैसला कर दें कि यह बात ऐसी है और ऐसा होना चाहिये लेकिन वहां पर प्रोसीडिंग चलती है और गवाही चलती है। आप जानते हैं कि जहां पर गवाही आयेगी तो वह मुआफिक भी आयेगी और खिलाफ भी आयेगी तो तब मुश्किल हो जायगा कि किसको माना जाय और किसको न माना जाय। मैं समझता हूं कि यह जो अधिकार वर्ग है यह इस बात को समझता है और जो फैसला कर लिया जायगा उसको बाद में रेगुलाइज्ड कर लिया जा सकता है। आप यदि किसी तरह से इस उसूल को मानते हैं और यह सही है, ठीक है मैं भी मानता हूं लेकिन आपको इसके ऊपर सख्ती बरतने की जरूरत है नहीं तो आपका काम नहीं चल सकता है।

एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि २५० से कम के जो मालगुजार हैं उनके किसानों को असामी माना गया है और वह किसी वक्त बेदखल किये जा सकते हैं और वह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की दफा १३३ (३) के अनुसार कभी भी बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान लोग उन बड़े लोगों के शिकंजे में फंस जायेंगे और उनको एक्सप्लाइट करने का मौका मिलेगा। बहुत से लोगों को इसके पहले ही मालूम हो गया था कि ऐसी तरमीम आ रही है उन्होंने उसी समय से अपने भाई, भतीजे, औरत और दादा आदि के नाम जमीन करनी शुरु कर दी हालांकि वे सब एक ही स्थान पर एक ही जगह रहते हैं और जिनके पास जमीन थी उनको आसामी ट्रीट किया गया।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जरा धीरे बोलें क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं?

**श्री जयपाल सिंह**--ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि इस तरह से जितने भी आसामी हैं वे सब बेदखल कर दिये जायेंगे। इस तरह से ज्यादती हो रही है जब कि हमारा कानून कहता है कि "लैन्ड विलांग्स टु दि टिलर आफ दी स्वायल" जो जमीन को जोतता है, उसको बोता है, जिसके कब्जे में है, जो उसमें मेहनत करता है, जमीन उसी की है। जब हमारा यह उसूल है तो इसका पालन पूर्णरूप से होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि किसी सूरत से भी भूमिधर या सीरदार को जमीन उठाने या वापस ले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस तरह की तरफदारी अदालतों और अदालती पंचायतों में होती है, इस तरह की तरफदारी को छोड़कर कानून का ठीक तौर से अमल कराने की कोशिश करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कानून हम बनायें उस पर पूरी तरह से अमल हमको करना चाहिये जिससे हमारे देश वासी किसान और गरीबों का भला हो सके।

इसके अतिरिक्त एक बात और कह देना चाहता हूं कि कानून बना कर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को भी जमीन दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है और सरकार केवल नोटिस कर उनके लिये जमीन हासिल कर सकती है। यह ठीक है। एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को खेतिहर मजदूरों से प्रायरिटी दी गयी है। अब थोड़ी देर के लिये मान लिया कि कुछ ऐसी भी संस्थायें हों जो जमीन का उपयोग ठीक प्रकार से न करती हों तो ऐसी अवस्था में जमीन कहां जायगी? अगर ऐसी कोई मिसाल हो कि जमीन जिस काम के लिये संस्था को दी गयी थी उस काम में नहीं आ रही है तो वह जमीन उनसे लेकर खेतिहर मजदूरों को दी जानी चाहिये। सिवाय उनके और किसी को वह न दी जाय, ऐसा कर दिया जाय नहीं तो लोग इसमें भी बेईमानी करना शुरू कर देंगे। और संस्थाओं के नाम करके जुतवाना शुरू कर देंगे। जो कि किसी भी तरह से नामुनासिब नहीं है और जमींदारी जो कि खत्म कर दी गयी है वह दूसरे तरीके से फिर शुरू हो जायगी कल श्री सुरेशप्रकाश सिंह ने कहा पुराने जमींदार लोग जिनके पास बड़ी बड़ी खेती है वे मुट्ठीभर हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इन मुट्ठीभर लोगों ने जोंक का काम किया है। ये मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनकी वजह से छोटे लोगों को कष्ट हो रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को सरकार को शय न देनी चाहिये और इनके पास जो फालतू जमीन है, उनके परिवार से अधिक जमीन है वह उनसे तुरन्त ले लेनी चाहिये तभी हम देहात और गरीबों की समस्या को हल कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आज तो हमें गरीबी और बेरोजगारी के दृष्टिकोण को रख कर काम करना है। जब इस कानून का सम्बन्ध देहात से है, जबकि इसका सम्बन्ध देहात के साढ़े चार करोड़ लोगों से है तो हमें निश्चय ही उन लोगों की ओर से पैरवी करनी होगी, उनकी भलाई का ख्याल रखना पड़ता पड़ेगा, उनके बच्चों की शिक्षा और आमदनी का प्रबंध करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह कभी भी कल्याणकारी राज नहीं हो सकता। बस मैं यही कहना चाहता था।

†राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से इस भवन में बहस हो रही है श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि जो कल और परसों बहस हुयी उसके बाद मैं आपके जरिये इस भवन को और सरकार को बतलाना चाहता हूं कि करीब करीब जो संशोधन पहले था उसमें सरकार ने पूरे इरादे और पूरे मकसद को ही बदल दिया है जिसे सिर्फ पब्लिक वेस्ट और समय बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने जो इसका विरोध किया उसका मुख्य कारण यही है कि जब सरकार कोई बिल लाया करे तो श्रीमन् कम से कम वह अपनी नीति निर्धारित कर लिया करे और उसे अच्छी तरह से समझ लिया करे। श्रीमन्, आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा माननीय मंत्री जी ने हमलोगों को यह समझाया कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिये इसमें देर न होनी चाहिये। कल आपके ही सुझाव पर हम लोगों की भी यह राय थी कि कुछ ज्यादा समय देकर भी इसे समाप्त करने की कोशिश करें लेकिन आज तो बिल का पूरा स्कोप ही बदल गया मालूम होता है ऐसी हालत में तो इसको कमेटी में, प्रवर समिति में जाना ही चाहिये। इसका जो मूल सिद्धान्त है करीब करीब पूरे बिल का बदल गया है और इस संशोधन द्वारा यह साबित होता है। माननीय मौर्य जो यहां विराजमान हैं, उन्हीं का संशोधन है और वही सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे खुशी है कि हम लोगों के विरोध करने के बाद सरकार ने अपनी गलती को समझ करके उसे दुरुस्त किया, इसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको यह चाहिये कि वे पहिले से सोच समझ कर कोई बिल हमारे सामने लावें। अगर पहले से समझ कर वे इस बिल को लाये होते तो यह इतना जटिल नहीं होता और हम लोगों को भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं होती जिसके लिये इस भवन में कहने की जरूरत पड़ती। जब सरकार ने बिल के मूल सिद्धांत को ही बदल दिया है तो मैं तो कहता हूं कि एक कमेटी फिर बैठायी जाय।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ राजा वीरेंद्रशाह ]

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा बजे तक और मित्र भी बोलने वाले होंगे इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं आपसे कहूं कि सरकार ने जो एक सिद्धांत बनाया और जिस सिद्धांत द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन करके जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था में सुधार किया और एक भूमिधर नामक नया काश्तकार बनाया। आपने एक स्पेशल ऐक्ट बना कर उसको अधिकार दिया। अब अगर उसमें से श्रीमन्, मैं कुछ पढ़ कर आपके सामने सुनाऊं तो समय नष्ट होगा। श्रीमन्, उसमें लिखा हुआ है कि तुम दस गुना देने के बाद मालिक होगे, अपनी जमीन का किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें यह लिखा हुआ है कि तुम चाहे जमीन को जोतो या उसमें भट्ठा लगाओ या इमारत बनाओ। कल माननीय मंत्री जी ने जोरों से कहा कि अब तो अन्न उत्पादन की आवश्यकता रह नहीं गयी है। यदि कोई अपनी जमीन तीन साल तक न जोते तो उसे अधिकार है कि उसे ले सके, वह मालिक नहीं होगा, तीन वर्ष के बाद वह निकाला जा सकता है। तो आपने एक मूल सिद्धांत को बदल दिया है। जब सरकार कोई मूल सिद्धांत बदले तो उसे हमलोगों को कुछ समय देना चाहिये ताकि हमलोग उस पर विचार करें कि क्या होना चाहिये। भूमिधर बनने के लिये जब औरों ने पैसे दिये हैं तो या तो उनका पैसा वापस किया जाय या क्या हो यह मैं कुछ सजेस्ट करना नहीं चाहता। लेकिन सब के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी की कुछ महिलाओं का भी भाषण हुआ। उन्होंने भी अपने भाषण द्वारा सदन को बतलाया है कि उनके साथ भी इसमें ज्यादती हुयी है उनके साथ भी ज्यादती हो रही है उसमें श्रीमन्, "विडो वोमेन" बढ़ाकर कहा जाता है कि उनको हक मिलेगा और वीमेन के लिये नहीं होगा। तो यह सब चीजें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि आप इतने बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। दूसरी ओर देखिये श्रीमन्, हिन्दू ला को भी ये बदलना चाहते हैं। इसमें लिखा गया है कि भतीजे अर्थात् भाई के लड़के को हक मिले बजाय लड़की के लड़के नवासे के जो आज मिलता है। तो उसको भी आप बदलना चाहते हैं एक तरफ केन्द्र में आप यह कहते हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है और यहां इस तरह से भेद की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बहुत "आप आप" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या आप का मतलब मुझ से है।

राजा वीरेन्द्र शाह---जी नहीं, श्रीमन्, आप का मतलब सरकार से है समय बचाने के लिये मैं आप शब्द ले रहा हूं। इतने परिवर्तन और इतने कम समय में हम से कहा जाय कि पास कीजिये और हमारे ऊपर लादा जाय श्रीमन्, यह उचित नहीं है। ३६ अमेंडमेंट तो सरकार के हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पायेंगे और वे पास कर दिये जायेंगे। अभी हमारे बहुत से मित्रों को सुझाव देने हैं, हमें भी कहना है कि उनको भी कहना है। असेम्बली तो होती रहेगी। अभी दूसरा बिल ले लीजिये और हमें समय दीजिये यह समझ लें कि क्या परिवर्तन होने चाहिये या क्या नहीं। सरकार जो स्वयं एक बहुत बड़ी जमींदार हो गयी है उसके क्या-क्या हथकंडे हैं। पुराने जमींदार तो चले गये जिनके लिये यह सरकार कहा करती थी कि हथकंडे उनके हैं अब यह इस सरकार के हथकंडे हैं। कितनी ही चीजें अन्याय की हो रही हैं। औरतों के साथ, बच्चों के साथ कि उनके खेत शिकमी नहीं दिये जायेंगे, सीरदारों को हक दे रहे हैं, भूमिधरों के हकों को कम कर रहे हैं। इतनी बड़ी-बड़ी चीजें और इस कम समय में पास करवा लेना इसको हथकंडा ही कहेंगे। जैसा सीताराम जी शुक्ल ने कल कहा था कि वे पुराने जमींदार सब एक ही तरह के रहे हों ऐसी बात नहीं है। फिर श्रीमन् चाहे अकेला ही क्यों नहीं भारतीय संविधान के अनुसार अन्याय उसके साथ भी नहीं होना चाहिये। उन पुराने जमींदारों की विधवायें हैं अपाहिज हैं उनके साथ जो रियायत अबालिशन बिल में की गयी थी वह आज छीनी जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि जिनके पास जमीन है उनको जमीन दीजिये लेकिन जिनके पास

जमीन नहीं है तो उनके पास उनकी जीविका के क्या साधन हैं। उनके पास कोई काम करने वाला भी नहीं है। सरकार कोई पेंशन भी उनको नहीं देती है। मुआविजा को तीन-तीन साल हो गया है। बराबर मुआविजे का ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन उनका मुआविजा किस तरह से मिला है श्रीमन् मैं वह यहां कहना नहीं चाहता। उनके साथ श्रीमन् न्याय होना चाहिये। आपकी कोई लिमिट होनी चाहिये। लेकिन श्रीमन् ऊपर की लिमिट का भी पता नहीं है और नीचे की लिमिट आपने सवा ६ एकड़ रखी थी लेकिन अब श्रीमन् यह सरकार उस सिद्धांत को भी बदल रही है। पहले आपने तय किया था सवा ६ एकड़ से कम किसी को नहीं देंगे लेकिन आपने अब उसको कम कर दिया है यह मैं मानता हूं कि उससे थोड़ा बहुत फायदा होगा लेकिन यहां तो आपने उस सिद्धांत को बदला है। अब उसके बदलने का सवाल है। आज हालत यह है कि आप ऊपर की लिमिट को भी नहीं रखते और नीचे की लिमिट भी आपकी गड़बड़ है तो यह ऐसा एक मेल्टिंग पाट में रख रहे हैं ग्राम सुधार और सुधार को और चाहते हैं जल्दी से पास हो जाय। माननीय विरोधी दल के नेता और हमारे नेता ने भी कल बतलाया था कि सरकार के सामने कोई प्लान होना चाहिये रूरल एकोनामी देहात में किस तरह से तरक्की करे इसके लिये कोई प्लान होना चाहिये। यह कोई इमारत नहीं है कि जो नक्शा बना है उसको जब चाहें बदल दें, दूसरा बना लें। इस काम में बरसों लग जायेंगे, कितनी ही सरकारें आयेंगी जब कहीं जा कर देहातों का उत्थान हो सकता है इस तरह से नहीं हो सकता है कि रोज नये-नये बिल आयें और उनमें रोज अमेंडमेंट आयें, आज यह निकाल दिया जाय और कल वह रख दिया जाय। यह श्रीमन्, पुराने मुगल टाइम से जो रेवेन्यू सिस्टम रखा गया था उसको अंग्रेजों ने बदला और अब आप बदलना चाहते हैं तो इसके लिये जरूरी है कि समझ बूझ कर आगे बढ़िये। मैं समझता हूं कि सरकार इसमें सुधार करना चाहती है और हम इसमें उसके साथ हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल का हर एक सदस्य इस बात को चाहता है कि रूरल एरियाज में, हमारे देहाती क्षेत्रों के काश्तकारों को अधिक से अधिक फायदा हो और इस प्रयत्न में वह आपका साथ देने को भी तैयार हैं लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वह चीज एक वोटकैचिंग चीज हो। जब वोट का सवाल सामने आये तो बतलाया जाय कि ४४ लाख नहीं बल्कि १५ लाख है और १५ लाख का उद्धार हुआ है। मैं यह मंत्री जी के कहने के मुताबिक बतला रहा हूं। मैं कहता हूं और मानता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम इसे अच्छे कार्य को करते समय उस पर विचार न करें और जो गड़बड़-सड़बड़ हो वह सब कर जायं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको फिर से एक कमेटी में भेजिये जो इस पर एक बार फिर विचार करे।

**माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नायिका भेद का पूरा जानकार तो नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि माननीया नायिकाओं को कितना ही मनाओ मगर वह मानना जानती ही नहीं और आज उसका सब से बड़ा सबूत विरोधी दल ने दिया कि चूंकि मैंने एक ऐसा संशोधन इसमें रख दिया है इसलिये वह रूठ कर निकल गये। कितना भी कुछ करते जाइये और कितना भी उन्हें मनाते जाइये लेकिन फिर भी उनका मनौना रुकने वाला नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें किस तरह से मनाया जाय। इसलिये हम लोग तो अपना कर्तव्य पालन करते चलेंगे वह चाहे मानें या न मानें।

राजा साहब ने कहा कि भूमिधरी हक जो दिया गया था वह भी आज इस संशोधन विधेयक के जरिये से सरकार खत्म करने जा रही है। उनको यह हक हो कि भूमिधर हैं तो अपनी जमीन को खाली रक्खे रहें, कुछ न पैदा करें लेकिन सरकार उसमें कोई दखल न दे। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भूमिधर अपनी जमीन को खाली रखता है तो वह एक तरह का उसका मिस-मैनेजमेंट है। यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि उसका इंतजाम ठीक हो, उस जमीन की पैदावार बढ़े, देश का कल्याण हो और देश की अन्न की समस्या हल हो और इसलिये अगर वह जमीन खाली रहती है तो उसको मुनासिब तरीके पर दूसरों को दे दिया जाय, उनकी तरफ से सरकार उसका इंतजाम कर दे ताकि वह इस्तेमाल में आये

[ श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ]

और उस जमीन से मुनासिब पैदावार हो । तो मैं नहीं समझता कि राजा साहब को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिये जबकि वह जमीन खाली रहे और तीन बरस तक लगातार खाली रहे तो उसका एक इंतजाम कर दिया जाय । विरोधी दल की तरफ से इस पर आक्षेप यह किया गया कि यह तो बड़े-बड़े लोगों की सहायता कर रही है सरकार, यानी वह जमीन को खुद न जोतें न काश्तकारी करें तो उसकी तरफ से सरकार खुद शिकमी का इंतजाम कर देती है । मैं विरोधी दल से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिधर जब अपनी जमीन का ठीक इंतजाम न करे और सरकार उसकी तरफ से इंतजाम को अपने हाथ में ले तो और क्या दूसरा तरीका हो सकता है सिवा इसके कि दूसरे के जरिये से उस जमीन में काश्त कराये । यह कहना कि वह अपनी जमीन को खाली रखें तो हम उसको ले लें तो यह तो जब तक कि हम किसी भी संपत्ति के लिये उसका मुआविजा न दे लें तब तक विधान हम को इस बात की आज्ञा नहीं देता कि हम किसी की संपत्ति को इस तरह से लें । लेकिन इंतजाम करने की बात को हमने अपने हाथ में लिया है और इस तरीके पर मैं समझता हूं कि जो जमीन बेकार थी वह काम में आयेगी और उससे देश का कल्याण होगा । हमारी एक माननीया सदस्या ने यह कहा कि औरतों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और जो धारा १७१ में उत्तराधिकार दिया गया था लड़की के लिये चाचा के पहले वह चाचा को अब पहले कर दिया, लड़की को बाद में कर दिया गया । वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले केवल अविवाहिता लड़की के लिये था । लेकिन इस संशोधन के जरिये से अविवाहिता शब्द हटाकर अविवाहिता हो या विवाहिता हो, दोनों को उत्तराधिकार का हक दे दिया गया है । इससे यह पता चलता है कि उत्तराधिकार का हक जो शादीशुदा लड़कियां थीं जिनको पहले नहीं था, उनको भी दिया गया है । इससे तो अधिकार बढ़ा ही है । जहां तक चाचा की बात है, यह आम तरीके पर देखा गया है कि जब पिता मर गया लड़की का तो चाचा ही उसका संरक्षक होता है, सगा चाचा । शादी व्याह के बाद लड़की का नाता घर से छूट नहीं जाता । आना जाना, आपस के ताल्लुकात बने रहते हैं । अगर चाचा को हक न देकर के पहले लड़की को दे दिया जाय तो लड़की की जब शादी हो गयी और उसके बाद वह अपने घर गयी तो अब चाचा और उस लड़की के दरम्यान इतना मनमुटाव हो जायगा कि लड़की शायद शादी विवाह में आने जाने में रस्म रिवाज में कभी भी शामिल न हो सके । फिर काश्त करने की बात है । लड़की शादी के बाद अपने घर जायगी । तो फिर यहीं आकर रहे, घर न जाय क्योंकि खेती करना है तो इसलिये फिर चाचा से मुकदमेबाजी हो, या किसी दूसरे आदमी की मदद लेकर वह एक हक खड़ा करे तो इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि चाचा जो उसका हकीकी है उसको पहले रखा जाय और इसमें किसी तरह से उनके अन्दर आपस में ऐसे झगड़ा न हो कि लड़की की जिन्दगी स्वयं एक मुसीबत हो जाय ।

जहां तक जमीन के अधिवासी का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पर माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत कुछ कहा कि यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है अधिवासियों को यह बिल वापस ले लिया जाय, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ४१ लाख आदमियों के नाम से खाते दर्ज हैं और इतनी जमीन जिस पर कि अधिवासी का कब्जा बिलकुल आज एक हवा में लटक रहा था और यह भी था कि आठ एकड़ तक के लिये सरकार बेदखली अधिवासियों को खोले उसमें इतनी बड़ी बात इस विधेयक के जरिये से की गयी कि कोई भी अधिवासी बेदखल न हो और उन अधिवासियों का सीरदार या भूमिधर बनने का मौका अविलम्ब दे दिया जाय, तो मैं नहीं समझता कि यह विरोधी दल की तरफ से इसको बिलकुल नगण्य कर देना केवल इसलिये कि उनकी भूमि के बटवारे की बात जो बार बार कही जाती है, वह इस विधेयक में नहीं आयी, इसलिये यह जो अधिकार अधिवासियों को दिये गये हैं, वह बिलकुल नगण्य हैं, कोई अधिकार नहीं यह बिलकुल ऐसी बात है जो तथ्य से परे हैं ।

श्री राजनारायण—जो अमेंडमेंट के जरिये दे रहें हैं वह या जो विधेयक में है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—जो संशोधन विधेयक है उसके जरिए अमेंडमेंट तो अभी आ रहा है वह तो जब पेश किया जायगा मैं समझता हूं उस समय उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा। लेकिन जो मौजूदा विधेयक है इसके ही द्वारा अधिवासियों को जो इतना बड़ा अधिकार दिया गया, यह कोई कम अधिकार अधिवासियों के लिये नहीं कहा जा सकता यानी जो लोग जमींन में काश्त कर रहे हैं वह सभी अपने ज़मीन के मालिक बन गये। जब सभी को अपनी जमीन का मालिक बना दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि इससे अधिक और वह क्या चाहते हैं। क्या अधिवासियों के लिये बाक़ी रह जाता है यह नेता विरोधी दल ने नहीं बतलाया। एक बात की शंका उन्होंने प्रकट की कि अधिवासी रुपया जमा नहीं करेंगे और वह बेदख़ल हो जायेंगे। मेरा अपना ख्याल तो यह है कि कोई भी अधिवासी ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो रुपया जमा न करे और भूमिधर न बन जाय। क्योंकि मैंने अधिवासियों की इस उतावली को अपने जिले में और खास तौर से अपने जिले की एक तहसील मड़ियाहूं में देखा है जहां पर जून के महीने में अधिवासियों ने ८०० बयनामे क्षेत्रपतियों से करा लिये हैं, वह कम क़ीमत पर हुये हैं। क्षेत्रपतियों ने सोचा कि उनकी जमीन वैसे ही निकल जायगी, इसलिये उन्होंने कम क़ीमत पर जमीन दे दी और अधिवासियों ने देखा कम कीमत पर इस समय उनको जमीन मिल रही है इसलिये उन्होंने जमीन ले ली और इस तरह से केवल एक महीने में ८०० बयनामे हो गये। मैं देखता हूं कि अगर किसी को भूमिधरी के हक़ मिलें तो वह हज़ार उपाय कर के भूमिधर बन जायगा। लेकिन उन्होंने फिर भी शंका प्रकट की कि रुपया जमा नहीं होगा और वह बेदखल हो जायंगे। मैं समझता हूं कि यह शंका उनकी निर्मूल है।

माननीय नेता विरोधी दल की ओर से और श्री गेंदा सिंह ने भी यह कहा है कि सर्किल रेट फिर से मुकर्रर होना चाहिये और लगान में कोई कमी नहीं की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्किल रेट काफी अर्सा हुआ जब बना था, कहीं १९०१ में और भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न समय में बना था। उस समय गल्ले का भाव बहुत नीचा था यानी गल्ला आज के भाव से काफी सस्ता था तो कायदा यह है कि जितनी पैदावार हो उसका १/५ कायम किया जाता है तो आज अगर फिर से सर्किल रेट मुकर्रर किया जाय तो चौगुना और पंचगुना हो जायगा क्योंकि जो आज गल्ले का भाव है और जो पैदावार है उसके अनुसार अगर सर्किल रेट मुक़र्रर किया जायगा तो पहले के रेट से वह कई गुना ज्यादा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज किसानों को कितना कम देना पड़ रहा है। मैंने अपने जिले में देखा है और खास तौर से मछली शहर कस्बे में और जौनपुर के इर्द गिर्द, जो १० गुना और १५ गुना क्षेत्रपति का लगान है उस पर वह शिकमियों का आराजी उठाते हैं। आज वह इतना अधिक दे रहे हैं और उनको कम कर के दुगने तक हम लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह कहना कि कम नहीं किया जा रहा है बड़ा अन्याय हो रहा है, यह कहां तक सही है। अधिवासी काफी इस बात की आशा लगाये बैठे थे। ५ वर्ष का इन्तजार ही उनके लिये एक बहुत कठिन हो रहा था। तो मैंने जहां तक देखा है अधिवासियों ने इस विधेयक का स्वागत किया है और यह बड़ा ही क्रान्तिकारी अधिकार उनको मिला है जिसकी आशा वह नहीं करते थे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिवासियों के दिलों में इस बात का विश्वास नहीं होता था, जब उनसे कहा जाता था कि तुमको अपनी जमीनों में हक़ मिल्कियत मिलने वाला है। इसके लिये वह इन्तजार नहीं करना चाहते थे और डरते थे कि कहीं हमारी जमीन निकल न जाय और वह बयनामें करा रहे हैं। कितने ही अधिवासियों ने यह समझ कर के कि हक़ मिले या न मिले, उन्होंने कितनी ही ज़मीनों का जो चालाक क्षेत्रपति हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया और कभी ऐसा भी किया उन लोगों ने कि इस आराजी को छोड़ दो तुम्हें दूसरी आराजी देंगे, तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ और उनके दिलों में यह बात जमती ही नहीं थी कि जिस जमीन को वह शिकमी जोते हुये हैं और १३५८ फसली के काबिज रहे और १३५६

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

में नाम दर्ज है उस पर उनको हक़ मिल्कियत मिल जायगा। हम लोगों ने उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया, उसको इस तरह से कम करना, मैं समझता हूं कि वाक़यात से बिलकुल इन्कार करना है और एक ऐसा गलत प्रोपेगेंडा करना है, जनता को एक गलत धोखे में डालना है, लेकिन जनता विरोधी दल के इस प्रोपेगंडे में, इस भ्रम में नहीं पड़ सकती है, जैसा कि उनका खयाल है।

बटवारे की बाबत जो आपत्ति की गयी, तो ३ १/८ एकड़, यानी ५ बीघा तक के ऊपर अगर कोई खाता है तो उसका बटवारा करने की बात इस विधेयक में रखी गयी है। मैं नहीं जानता कि गेंदासिंह जी या विरोधी दल के लोग क्या चाहते हैं? चाहे कितना भी छोटे से छोटा खाता हो, उसके बटवारे की आखिर कोई मिकदार तो होनी चाहिये कि उससे कम होल्डिंग हमारी न हो। यह बात मैं गेंदासिंह जी की मानता हूं कि मौके पर दो भाई, ३ भाई हैं, अलग-अलग अपना बटवारा कर के काश्त करते हैं, लेकिन उस ३ १/८ एकड़ यानी ५ बीघा से कम की आराजी का भी बटवारा होता रहे, तो फिर यह स्माल होल्डिंग्स को हम कहां तक ले जायं कानून के जरिये से, यह सोचने की बात है। वैसे तो चकबन्दी में इस बात की ब्यवस्था कर दी गयी है कि अगर कोई अपने चक को अलग करना चाहे तो उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। खाते एकजाई हैं, अपने हिस्से का चक अलग बनवा ले। एक किसान के कई-कई खाते होते हैं, वह अपने सब खातों को मिला कर के एक चक बना लेगा, लेकिन यहां हम बटवारे को बिला किसी रुकावट के खोल दें, यह मुनासिब नहीं मालूम होता। जो अलग से अपना अदालत के बाहर कर लेते हैं वह करें उसमें हम उन्हें रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदालत से कोई प्रबन्ध न हो। कोर्ट में हम बिलकुल इस बात का प्रतिबन्ध न रखें कि आखिर हमारी स्मालेस्ट होल्डिंग होगी क्या? तो इसलिये जो ३ १/८ का प्रतिबन्ध रखा गया है वह हमारे पूर्वी जिलों में है और माननीय गेंदासिंह जी ज्यादा जानते हैं इस चीज़ को, कि जिस काश्तकार के पास ५ बीघा भूमि है वह अपनी अच्छी तरह से गुजर करता है और जब हमारी जमीन पर इतना प्रेशर है और हमारे यहां इतनी छोटी छोटी होल्डिंग्स है और थोड़े-थोड़े रक़बे में बाजाब्ता गुजर होती है तो इसका खयाल करते हुये साढ़े बारह को हटा कर के ३ १/८ कर दिया गया और जो एक मुनासिब रक़बा है और इसके नीचे बटवारा होना हर्गिज मुनासिब नहीं है।

माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा कि एक तरफ तो चकबन्दी कर के होल्डिंग्ज को बड़ा बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ बटवारा खोल रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि ३ १/८ तक भी बटवारा नहीं होना चाहिये। तो मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जोतों की चकबन्दी का यह मतलब नहीं है कि हम कोई होल्डिंग बड़ी बनाने जा रहे हैं। उसका तो यही मतलब है कि जो जिसकी जोत है वह एक जगह कर दी जाय। तो यह कहना कि एक तरफ हम जोतों की चकबन्दी कर रहे हैं इसलिये ३ १/८ तक भी बटवारा न खोलें यह ठीक नहीं है। इसमें यह भी है कि जिसका जितना हिस्सा है वह चाहे तो अपने अलग-अलग चक बना ले।

कहा यह गया कि धारा १० की उपधारा (२) में औरतों को शिकमी देने का अधिकार मिल गया है और औरतें चाहें तो बेदखल कर लें अपने असामी को। तो मैं धारा २१ में एक संशोधन सब क्लाज (ज) में उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें पहले यह था कि वे सब असामी ही होंगे जो ऐसे लोगों की तरफ से जमीन काश्त करते हैं जिनका जिक्र धारा १० की उपधारा (२) में है या धारा १५७ में है। उपधारा १० (२) में औरत रखी गयी है और धारा १५७ में विधवा या परित्यक्ता है। तो जहां तक उपधारा १० (२) के असामीं होने की बात थी उसको हमने निकाल दिया यानी अब केवल १५७ की कैटेगरी में जो लोग अपनी जमीन को उठायेंगे वही असामी होंगे। उपधारा १० (२) के निकाल देने से यह अर्थ हुआ कि उनके द्वारा वे असामी की परिभाषा में नहीं आयेंगे।

तो यह कहना कि हम लोगों ने औरत को वैसा ही रख छोड़ा है, कि औरत चाहे तो अपनी जमीन उठाये, यह बात नहीं है। अब औरत को उस धारा २१ से निकाल दिया गया है ।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--वह सीरदार होंगे या अधिवासी होंगे ?

**श्री उम्मेद सिंह** (जिला गोंडा)--श्रीमन्, एक सवाल पूछना चाहता हूं । सभा सचिव साहब जो परिभाषा समझा रहे हैं दफ़ा २१ (एच) की यह बिलकुल ग़लत है। वह समझे नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष**--यह तो कोई सवाल नहीं हुआ ।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--धारा २१ में से उपधारा (२) को निकाल दिया गया है और जो शंका विरोधी दल के लोगों की थी वह नहीं रही ।

माननीया चन्द्रवती जी ने यह कहा कि औरतों को इसमें से क्यों निकाला जा रहा है । उनके कहने का मतलब यह था कि औरतों के लिये एक छूट होनी चाहिये कि वह अपनी जमीन को शिकमी पर उठा सकें। औरत का अगर पति जीवित है तो कोई वजह नहीं है कि वह खुद खेती क्यों न करे। पति जीवित रहते हुये उसको वही अधिकार देना कि वह शिकमी पर उठा सके यह मुनासिब नहीं रहेगा। यह मुनासिब नहीं लगता कि लोग अपनी जमीन औरत के नाम से लिख दें या औरत को अपनी जमीन का मालिक बना दें और फिर छूट हो जाय उसके लिये। तो हमारे जो कानून की मंशा है कि इनवैलिड लोगों को शिकमी पर उठाने का अधिकार हो, वह ग़लत हो जायगा। जो लोग चाहते हैं कि हम खुद खेती न करें, दूसरों के जरिये खेती करायें फिर उनके लिये छूट मिल जाती है। लोग अपनी जमीन को अपनी औरतों के नाम से करा कर कानून का दुरुपयोग करेंगे। इसलिये यह कहना कि औरत के लिये पहले की व्यवस्था रहे वह मुनासिब नहीं है। इसलिये वह संशोधन किया गया है। जहां तक जुरिस्डिक्शन की बात है उसमें अधिवासी के लिये इस विधेयक के जरिये रेवेन्यू कोर्ट में जुरिस्डिक्शन कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई सिविल कोर्ट में जाता है तो फिर उसका जाना तो नहीं रोका जा सकता है । वहां पर जब अधिवासी का प्रश्न होगा तो वह इश्यू रेवेन्यू कोर्ट में आयेगा और रेवेन्यू कोर्ट अधिवासी के सम्बन्ध में जो निर्णय देगी वह सिविल कोर्ट को मान्य होगा। यदि कोई अधिवासी स्वयं आ कर के रेवेन्यू कोर्ट में नालिश कर दे अपने हक़ की बाबत तो वह भी रेवेन्यू कोर्ट में ही रहेगा । लेकिन अगर कोई प्लैंटिफ किसी अधिवासी के खिलाफ यह कह कर दीवानी में नालिश कर दें कि यह हमारा गासिब है, अधिवासी न कबूल करे तो वह दीवानी में नालिश कर सकता है । दीवानी में नालिश किसी को ट्रेसपासर कह कर की जा सकती है। दीवानी हमेशा उसके लिये खुली थी। लेकिन ट्रेसपासर कह कर नालिश करना और बात है। मुद्दाअलेह उसमें अपने को कह सकता है कि मैं इसका अधिवासी हूं तब तो दीवानी को इश्यू भेजना लाजमी हो जायगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें परेशान करने की , लड़ा कर बरबाद करने की या उनको तबाह करने की कौन सी बात है। जिस पर बहुत जोरों से हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस तरह से जुरिस्डिक्शन के मामले मे सरकार लड़ा कर के किसानों को बर्बाद करना चाहती है।

**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)--अब तो अधिवासी को आप सीरदारी का हक़ दे रहे हैं, उस वक्त सीरदार और अधिवासी दोनों ही रेवेन्यू कोर्ट में जायंगें या सिर्फ सीरदार ही ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--जो भी अधिवासी हैं वे सब सीरदार बना दिये जायं यह एक संशोधन है और वह संशोधन सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित होगा लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर वह संशोधन स्वीकृत हो गया तो जो आज अधिवासी हैं

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

उनको जिस तरह से रेवेन्यू कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उनको भी उसकी तरह से जो अधिवासी से सीरदार बनेंगे रेवेन्यू कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा जब वह संशोधन उपस्थित होगा उस समय विशेष प्रकाश डाला जा सकेगा ।

एक माननीय सदस्य ने एक यह और आपत्ति उठायी थी अगर किसी औरत ने बैनामा कर दिया तो उसके लिये इस विधेयक में कोई गुंजायश नहीं है कि वह बैनामा उसकी जिन्दगी तक रहेगा। उसका कहना यह है कि अगर किसी विडो ने बैनामा कर दिया , अपनी भूमि को जिसे ट्रान्सफर कर दिया वह हमेशा के लिये मालिक बन जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। कोई स्त्री अपने लास्ट मेल होल्डर की भूमिधर बन जाती है तो उसको उतने ही दिन तक अधिकार रहेगा जब तक कि वह दूसरी शादी न कर ले या वह मर न जाय। उसके मरने के बाद उसकी विरासत चली जायगी और जो लास्ट मेल होल्डर का वारिस है उसको वह चली जायगी। ट्रान्सफर के सिलसिले में भी यही चीज लागू होती है। अगर कोई औरत भूमिधरी के राइट को ट्रान्सफर करती है तो अगर मैरिज कर लेती है तो वह हक़ खत्म हो जाता है या मर जाती है तो भी ट्रान्सफर का हक़ खत्म हो जाता है और लास्ट मेल होल्डर के वारिस को जायदाद चली जायगी। अगर ऐसी कोई शंका है तो वह निर्मूल है और वह शंका न होनी चाहिये। इसी तरह से अगर कोई औरत सीरदार है, अपने शौहर से या लास्ट मेल होल्डर से उसने सीरदारी प्राप्त की और १० गुना जमा कर दिया और भूमिधरी का राइट हासिल कर लिया तो उसको हक़ होगा या नहीं, क्योंकि उसने स्वयं रुपया जमा किया है, उसको ट्रान्सफर करने का क्योंकि वह पूरी मालिक है। यह बात भी इस विधेयक में साफ कर दी गयी है कि यह एक्सेशन टू दि प्रापर्टी होगा। ट्रान्सफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट जैसे एक मार्गेजी जो चीज मार्गेज्ड है उसमें कुछ बढ़ा लें, कोई जमीन मार्गेज्ड है उस पर मार्गेजी मकान बना ले तो वह एक्सेशन टू दी प्रापर्टी हो जायगा और उसकी विरासत भी उसी तरह से चली जायगी जैसे मैंने पहले निवेदन किया। श्री जयपाल सिंह ने कहा कि यह सरकार बड़े लोगों की हिफाजत करती है और छोटे लोगों को बरबाद कर रही है और छोटे लोगों को कोई हक़ नहीं मिला, उनको कोई जमीन नहीं मिली। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन पर जो काश्त कर रहे हैं चाहे वह हरिजन हों, चाहे वह ग़रीब काश्तकार हों, सब की अपनी-अपनी जमीन जिस पर वह काश्त करते थे वह उसके मालिक हो गये हैं, उनको मालिक बनाया गया है। भूमिहीनों के लिये विधेयक में यह रखा गया है कि जो खेतिहर मजदूर होंगे उनको जमीन दी जायगी, जो खाली जमीन गांव समाज के अधिकार में है वह उनको दी जायगी । अब यह गांव समाज के अधिकार की बात है । उन्होंने कहा कि कितनी जमीन उठायी गयी तो यह तो गांव समाज के सोचने की बात थी। कुल क्षेत्र का जितना रक़बा था उसका दस फीसदी तो दरख्त लगाने के लिये छोड़ दिया गया । कुछ सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीन छोड़ दी गयी इस तरह से बहुत जगह उठायी गयी। उन्होंने कहा कि वह ग़लत उठायी गयी तो उसके लिये सरकार क्या कर सकती है। कानून मौजूद है अगर किसी ने गलत तरीके से उठायी है तो उसके ऊपर अदालत में एतराज़ किया जा सकता है और वह ग़लती सही की जा सकती है यहां पर भवन में इसका क्या उपाय हो सकता है ? इसकी शिकायत करनी चाहिये और उसका उपाय वहां पर हो सकता है । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि बड़े लोगों के पास जमीन है और छोटे लोगों को जमीन नहीं दी जाती है और फिर यह कहना कि जिनके पास जमीन है उन सब से ले कर बराबर जितनी जमीन हो अगर उसका जितना औसत आवे वह बांट दी जाय यह नहीं हो सकता है । सब किसानों का जितना रक़बा है अगर उस सब का बटवारा किया जाय तो यह बात बहुत मुश्किल और असम्भव है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो आपत्ति उठायी गयी है वह मुनासिब नहीं है और जो

विरोध प्रकट किया गया है वह कोई ऐसा नहीं है कि जिस विरोध में कोई अहमियत हो। विरोधी दल के लोग तो इस प्रकार की बातें प्रोपेगन्डा के लिये कहते रहते हैं और इसीलिये उनका विरोध होता है।

**श्री अध्यक्ष**---यह "प्रोपेगेन्डा" शब्द का यहां पर प्रयोग करना उचित नहीं मालूम होता है।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---मैं "प्रोपेगेण्डा" शब्द को वापस लेता हूं। उनके विरोध करने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वह उसके तहत में यहां पर सब बातें कह सकें।

**श्री अध्यक्ष**---मैं पहले श्री जोरावर वर्मा के संशोधन को लेता हूं :---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

**खण्ड २**

२---मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के वर्तमान उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--- उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २ का संशोधन

"(४) कोई क्षेत्र जो प्रांविसेज ऐंड स्टेट्स (एक्साप्शन आफ इनक्लेब्ज) आर्डर १९५० में पारिभाषित किसी इनक्लेव (अन्तर क्षेत्र) के जो उक्त आर्डर के अधीन संयुक्त प्रांत में मिला लिया गया हो २५ जनवरी, १९५० को अन्तर्गत था, अथवा"

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---उपाध्यक्ष महोदय, खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

२---मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) में :---

(१) खंड (ङ) का उपखंड (४) निकाल दिया जायं, और

(२) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ङङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(ङङ) कोई क्षेत्र जो २५ जनवरी, १९५० को प्रांविसेज ऐन्ड स्टेट्स (एब्साप्शन आफ एनक्लेब्ज) आर्डर, १९५० में दी हुयी 'ऐंक्लेव' की परिभाषा में आने वाले ऐसे एंक्लेव के, जो उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो, अन्तर्गत ( included ) रहा हो, अथवा"

यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है। विधेयक में जिस तरीके से दिया हुआ था बिलकुल वही है लेकिन लफ्जों में कुछ उलट फेर कर दिया गया है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"२---मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) में

(१) खंड (ङ) का उपखंड (४) निकाल दिया जायं, और

(२) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ङङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

(ङङ) कोई क्षेत्र जो २५ जनवरी, १९५० को प्रांविसेज ऐंड स्टेट्स (ऐक्साप्शन आफ एंक्लेज), आर्डर १९५० में दी हुयी 'एंक्लेव' की परिभाषा में आने वाले ऐसे एंक्लेव के, जो उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो, अन्तर्गत ( included ) रहा हो, अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(क) खंड (२२) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (२२-क) के रूप में रख दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम

"(२२-क) "स्वीकृत शिक्षा संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था अथवा शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में प्रख्या पित करे, १,१९५१ की धारा का संशोधन।

(ख) खंड (२८) के अन्त में पूर्ण विराम (फुलिस्टाप) के स्थान पर अर्ध विराम, (सेमीकोलन) रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "और" रख दिया जाय, और

(ग) खंड (२८) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (२९) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२९) भाग १ में जहां भी "अधिकार अभिलेख" (Record of rights) का प्रसंग आया हो उसके अन्तर्गत यथावश्यक यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ के अधीन तैयार किये गये "ऐनुअल रजिस्टर" (वार्षिक रजिस्टर) का भी प्रसंग है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

खंड ३ के उपखंड (क) में प्रस्तावित खंड (२२-क) निम्न प्रकार से रख दिया जाय—

"(२२-क) स्वीकृत शिक्षा संस्था का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था या शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन स्वीकृत कर लिया हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस उपस्थित अधिनियम (२२-क) के स्थान पर मैं संशोधन रखना चाहता हूं वह इस प्रकार है :—

"(२२-क) स्वीकृत शिक्षा संस्थाओं का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था अथवा शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में प्रख्यापित करे।"

इन दोनों में उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर यह है कि इस विधेयक द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी यह अधिकार लेना चाहते हैं कि जिनका नाम सरकार गजट में स्वीकृत संस्था के रूप में

प्रकाशित करे उन्हीं को जमीनें दी जायं और सरकार की तरफ से या गांव सभा की तरफ से जमीनें एक्वायर करके उनको जमीनें दी जायं और उन्हीं को लाभ पहुंचे। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत संस्थायें हैं उनको वे सभी सुविधायें देनी चाहिये जो आप नयी कृषि सम्बन्धी शिक्षा के सम्बन्ध में दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि यह कमी, यह त्रुटि इस विधेयक में कैसे रह गयी। और जब मैंने उन माननीय सदस्यों की असहमति टिप्पणी देखी जो कि प्रवरसमिति में थे तो मुझे और तज्जुब हुआ। मैंने पहले यह समझा कि भूल से यह रह गयी हो लेकिन उनके बारबार जोर देने पर भी माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सरकार द्वारा वह स्वीकृत नहीं किया गया कि जितनी ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत हैं जो रिकगनीशन कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं उनको यह सुविधा दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इससे हमें तो आशंका होती है कि एक तरफ तो शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति में ही काफी अड़चनें हैं तथा उसमें काफी कठिनाइयां व गड़बड़ियां पैदा कर दी जाती हैं, उसके बाद भी जब कोई जूनियर हाई स्कूल या सेकेंडरी हाई स्कूल या कोई अन्य शिक्षा संस्था, शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत होती है तो उसकी लिस्ट पर फिर से सरकार विचार करे और उसमें से वह कुछ को चुने, कुछ को निकाल दे, इससे एक बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जायगी और उसमें सरकार के लिये काफी कठिनाई होगी। माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये भी कठिनाई होगी क्योंकि तरह-तरह से लोग उन पर प्रभाव डालेंगे और उनको गलत काम करने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है तो सीधे उनको भी जहमत से छुटकारा पाने के लिये आवश्यकता है कि जो भी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत या रिकग्नाइज्ड संस्थायें शिक्षा की हैं और जहां-जहां कृषि की शिक्षा देनी हो उन्हीं को यह सुविधा प्रदान करें और दुबारा गजट में प्रकाशित करने की तकलीफ न उठायी जाय। मैं समझता हूं कि यह मांग उचित इतनी है कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इसको भी नहीं मानते तो वह स्वयं अपने शिक्षा विभाग पर भी अविश्वास कर रहे हैं और मैं अगर किसी गलतफहमी में ऐसा कह गया हूं तो माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया इस पर प्रकाश डालें कि इस बात के रखने की अब क्या जरूरत पड़ गई? इस समय तो मैं केवल इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो यह त्रुटि रह गयी है उसको माननीय राजस्व मंत्री जी अवश्य सुधार लेंगे।

**श्री चरण सिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बहुत बारीक बात होती तो कहा जा सकता था कि समझ में नहीं आया। श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने और श्री त्रिपाठी जी ने भी इसका डिसेंटिंग नोट में जिक्र किया और ध्यान आकर्षित कर दिया। बहुत मोटी सी बात है इसको उन्होंने भी कहा। बहुत मोटी सी बात है तभी भी मुझे शिकायत है कि इसकी जरूरत क्या है एजूकेशन डिपार्टमेंट जिन संस्थाओं को रिकग्नाइज्ड करती है वह कोई स्टैट्यूटरी चीज नहीं है वह तो एजूकेशन कोड में रिकग्नाइज कर ली जाती है लेकिन उसकी स्टैट्यूटरी अथारिटी नहीं है। अगर कहीं एजूकेशन ऐक्ट होता और उस ऐक्ट में यह लफ्ज रिकग्नाइज आया होता तब तो बात ठीक थी कि उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन वहां ऐसा नहीं है। कल को रिकग्नाइज्ड की जगह उन्होंने कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो यह बेकार हो जायगा। फिर वहां रिकगनीशन विदड्रा कर लिये जाते हैं। कभी लड़कों की इनडिसिपिलन के कारण, मैनेजमेंट की गलती से या और किसी कारण कोई संस्था आज रिकग्नाइज्ड है और कल से नहीं है और फिर ६ महीने के बाद वही रिकग्नाइज्ड हो सकती है तो लेजिस्लेटिव ऐक्शन इस तरह से नहीं होता वह किसी ऐक्ट के मातहत होता है। वह तो एक एक्जीक्यूटिव ऐक्शन है। लिहाजा इसमें रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स की परिभाषा कहीं न कहीं तो करनी है इसलिये कर दिया है। गवर्नमेंट एक है चाहे एजूकेशन डिपार्टमेंट हो और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो। हम यहां रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स की परिभाषा करके आर्डर दे सकते हैं कि जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स आज हैं। लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा रिकग्नाइज्ड के क्या माने होंगे। मुझे तो अधिक नहीं मालूम लेकिन दर्जा २ तक के या दर्जा ४ के जो स्कूल हैं ६ तक के जो स्कूल्स हैं, वह भी रिकग्नाइज्ड हैं। यह हो सकता है कि उनको भी जरूरत

[ श्री चरणसिंह ]

पड़ जाय मुमकिन है किसी केस में हो लेकिन यह जो रिकनाइज्ड शब्द है यह कोई स्टेटुटरीली डिफाइन्ड टर्म नहीं है इसलिये जरूरत पड़ गयी कि यहां पर डिफाइन किया जाय और रही बात कि शायद राजस्व मंत्री पर जोर पड़े, दबाव पड़ जाय तो मैं खुद गवर्नमेंट के हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं रखना चाहता जिसमें इंडिविजुअल मामलों में राइट एक्सरसाइज करने का सवाल पैदा हो। उसके लिये तो रूल बनेंगे और उन रूल्स के हिसाब से काम होगा। यह नहीं होगा कि फैजाबाद में मान लीजिये ९ स्कूल्स हैं और उन ९ में से ६ स्कूल रिकग्नाइज्ड हैं और तीन रिकग्नाइज्ड नहीं हैं और उनका रिकगनिशन जब तक माननीय त्रिपाठी जी नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ऐसा नहीं करने का इरादा है। जो भी रूल बनेंगे वह एजूकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर बनेंगे। यही है वर्ना मुझे क्या गरज है कि जो एजूकेशन डिपार्टमेंट से हों वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकग्नाइज न करे।

*श्री केशभानराय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं। यह सरकार की ओर से जो सरकारी शिक्षा संस्थाओं को प्राथमिकता देने की बात आयी है उसके इतिहास पर यदि हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि क्यों इसका विरोध करना चाहिये। अभी हाल ही में जूनियर हाई स्कूलों में जो नयी स्कीम लागू हुयी है उसके अनुसार जूनियर हाई स्कूलों के पास थोड़ी भूमि होना अनिवार्य है, १० एकड़ भूमि अवश्य उनके पास होनी चाहिये। उस शिक्षा के कार्यक्रम में खेती एक प्रकार से अनिवार्य कर दी गयी है इसलिये उनके पास खेत का होना अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे खेत सभी जूनियर हाई स्कूलों को कहां से मिलेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रख कर सरकार ने यह कुछ शिक्षा संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की है। अब यह प्रश्न उठता है कि श्री रामनारायण जी के संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर सभी प्रकार की शिक्षा-संस्थायें, जिनको मान्यता प्राप्त है, इस जमीन को पाने की हकदार हो जायेंगी लेकिन मेरा यह खयाल है कि सभी शिक्षा संस्थाओं को यह भूमि मिलनी नहीं चाहिये। यह तो दूसरी बात है कि शिक्षा संस्थाओं के पास सम्पत्ति हो जाय, मैं इस बात पर कोई एतराज नहीं करता लेकिन यहां पर जो इसका मूल उद्देश्य है वह ऐसी शिक्षा संस्थाओं को भूमि देने से है जिनके लिये कि वह अनिवार्य हो। मान लीजिये कि कोई संस्कृत पाठशाला है और उसको भी सरकारी मान्यता प्राप्त है लेकिन उसमें खेती एक अनिवार्य विषय नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि उसको भी पठन-पाठन के लिये भूमि मिले। यदि सम्पत्ति के रूप में उसे कोई भूमि मिले तो दूसरी बात है लेकिन अपने पाठ्य-क्रम को संचालित करने के लिये उसे अनिवार्यरूप से भूमि देना आवश्यक नहीं है किन्तु इसके विपरीत जूनियर हाई स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों या सेकेन्डरी स्कूलों में जो देहातों में हैं और जहां कृषि अनिवार्य कर दी गयी है उनको भूमि देना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रख कर केवल उन्हीं शिक्षा संस्थाओं को कि जिनके पाठ्य-क्रम में कृषि अनिवार्य हो प्राथमिकता देने की बात कही गयी है। दूसरी संस्थायें शहर में रिकग्नाइज्ड हो सकती हैं लेकिन उनके यहां कृषि अनिवार्य नहीं हो सकती, उनके यहां उद्योग धंधे अनिवार्य हो सकते हैं तो वहां उनके लिये जरूरी नहीं है कि पाठ्य क्रम को संचालित करने के लिये उन्हें भूमि दी जाय। उन्हें प्राथमिकता देनी जरूरी नहीं। यूं तो सम्पत्ति रखने के लिये उनके पास जमींदारी हो जाती थी, कर दी जाती थी, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, अब भी अगर आप दूसरे तरीकों से भूमि उन शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त कराना चाहते हैं तो कोई बाधा नहीं है, वह प्राप्त हो सकती हैं उनको, लेकिन यह प्राथमिकता जो अन्य शिक्षा संस्थाओं के मुकाबिले में इन शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही है उसको पाने का हक उन्हें है इसलिये कि उन्हें अपने पाठ्य क्रम को संचालित करने के लिये भूमि का रखना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो सरकार की ओर से रखा गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं, वह सही है। इसमें केवल ऐसी शिक्षा संस्थाओं का वर्ग है जिसे सरकार घोषित करे। सरकार जिन्हें उचित समझती है और जिन जूनियर हाई स्कूल्स में और प्राइमरी स्कूल्स में कृषि अनिवार्य होगी उन्हें सरकार इस वर्ग में घोषित कर देगी। अगर वह समझेगी कि दूसरों के लिये भी आवश्यकता है तो उन्हें भी घोषित कर सकती है। लेकिन जब तक हम कृषि अनिवार्य विषय सब शिक्षा संस्थाओं में घोषित नहीं करते हैं तब तक ऐसे वर्ग के लिये प्रिफेंस देना मैं उचित समझता हूं और इसी आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और यह आशा करता हूं कि माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस समय इस प्रस्तुत संशोधन को पढ़ा था उस समय मुझे भी ख्याल हो रहा था कि इस संशोधन का स्वीकृत होना आवश्यक है परन्तु इसके बाद जिस समय मैंने माननीय माल मंत्री के स्पष्टीकरण को सुना मेरी शंका का समाधान हो गया। यह कहना कि रिकग्नाइज्ड इन्सटीट्यूशन्स की परिभाषा क्या हो, माल के जितने अधिनियम बनाये गये हैं उनमें कहीं पर भी रिकग्नाइज्ड इस्टीट्यूशन्स की परिभाषा नहीं रही है। रिकग्नाइज्ड इन्सटीट्यूशन की परिभाषा आवश्यक है। परन्तु दोनों में फर्क आ जाता है। जो परिभाषा माननीय त्रिपाठी जी ने उपस्थित की है उस पर हम गौर करें और जो इस विधेयक में दिया गया है उसे हम पढ़ें दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बिलकुल प्रगट हो जायगा साफ तौर पर कि जो विधेयक में दिया गया है वह ज्यादा अच्छा है। बहुत सी संस्थायें आज खुली हुयी हैं और बहुत सी संस्थायें रेकग्नाइज्ड भी हैं। जैसे हमारे राजस्व मंत्री जी ने अभी बतलाया कि बहुत सी ऐसी संस्थायें होती हैं जिनको कि चन्द दिनों के लिये रिकगनीशन प्राप्त हो जाता है, एक दो महीने के लिये या ६ महीने के लिये। बहुतों को तो इम्तहान देने के लिये ही, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ही रिकग्नीशन दे दिया जाता है और अगर किसी कारण से उनकी स्वीकृति वापस कर ली गयी तो फिर अगर उनको कोई जमीन दे दी गयी तो उस समय उस जमीन का क्या इन्तजाम होगा और उसका मूल्य क्या होगा? किसी कारण किसी ने अगर उस संस्था को जमीन दे दी तो उसे कागजात कैसे दिखाया जायगा। शिक्षा संस्थाओं का वर्गीकरण करके उनका गजट में प्रकाशन हो जायगा और उस वक्त में जो उनको जमीन देना चाहेंगे, वह उन्हें जमीन दे सकेंगे। यों बहुत से स्कूल हमारे यहां खुले हुए हैं, बहुत सी संस्थायें खुली हुयी हैं लेकिन इस तरह से अगर जमीन उनको दे दी जाय जिनको कि कुछ समय के लिये रिकग्नीशन प्राप्त हो जाता है तो यह उचित नहीं होगा।

कल माननीय रामेश्वरलाल जी ने इसी तरफ संकेत किया था अपने भाषण में और उनको बड़ी शिकायत थी कि इससे यह होगा कि संस्कृत की जो शिक्षा संस्थायें हैं, उनको जमीन नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जहां गवर्नमेंट की तरफ से शिक्षा प्रणाली संस्कृत की प्रचलित है वहां १२ वर्ष में शास्त्री एक व्यक्ति होता है परन्तु उन्होंने यह बताया कि संस्कृत की बहुत सी शिक्षा संस्थायें केवल ४ वर्षों में ही शास्त्री को परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता प्रदान कर देती हैं उनको भी मान्यता प्राप्त है और उनको भी जमीन मिलनी चाहिये। यह उनका सुझाव था जहां तक मैं उसको समझ पाया था यही उनका अभिप्राय था। मैं समझता हूं कि इसमें संस्कृत शिक्षा हो या किसी प्रकार की शिक्षा हो या किस प्रकार की शिक्षा हो, किसी भी शिक्षा संस्था के लिये कोई मुमानियत नहीं है, किसी शिक्षा संस्था के लिये किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जो सरकार की तरफ से विधेयक में प्रस्तुत किया गया है उससे किसी के लिये रुकावट नहीं पड़ती है, बल्कि सबको अधिकार होगा जैसे कि किसी एक संस्था को हो सकता है।

मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है, वह कुछ गलतफहमी के कारण उन्होंने उपस्थित किया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

संशोधन को वापस ले लें और जो संशोधन गवर्नमेंट की तरफ से इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है उसे जैसे का तैसा ही रहने दिया जाय।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे माननीय मंत्री महोदय को, मेरे उठने से ही इतना क्रोध क्यों आ गया ?

श्री चरण सिंह—आपको तकलीफ हो रही थी इसलिए।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मेरी तकलीफों का ख्याल आज तक तो नहीं हुआ। खैर मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है जिसके कारण उनको माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करने में आपत्तियां हैं। मैं उस संशोधन के समर्थन हेतु यहां इस समय खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं एक बात माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा बताना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक कुछ जूनियर हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को मान्यता दी जाती है, तो उनको इस समय यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि उसके लिये एक कमेटी अलग है जिसके द्वारा मान्यता दी जाती है। साथ ही साथ यह भी उनको जानना आवश्यक होता है कि बहुत सी मान्यतायें स्थायी नहीं हैं। बल्कि टेम्पोरेरी हैं, अस्थायी हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत सी शिक्षा संस्थायें हैं उनकी क्या दुर्गति होगी अगर आप इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं। जो उनका भ्रम है वह अभी तक है और स्टेच्यूट पर वह यह नहीं पाते हैं कि रिकगनीशन इंस्टीटच्यूट की क्या परिभाषा है उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जो ऐजूकेशनल कोड है वह बिल्कुल ठीक है। आज जितने स्कूल और कालेज हैं वह सब उसी की परिभाषा के अनुसार हैं और ऐजूकेशनल कोड का आज बहुत महत्व है और इसकी परिभाषा का सवाल है। श्रीमन्, अगर विभागीय मान्यता स्वीकार नहीं की जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि वह जिले में कोई ऐसी संस्था नहीं पायेंगे और अगर पायेंगे भी तो वह इनी गिनी दो चार हो सकती हैं जो आफीशियल गजट में जैसी कि वह चाहते हैं प्रकाशित हो। श्रीमन्, यह एक भ्रम है इसको दूर किया जाना चाहिये और यदि यह उनका भ्रम दूर हो जाय तो फिर इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने में उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट की नीति है कि हर विद्यालय में कृषि की उन्नति हो और कृषि को उन्नतिशील बनाने के लिये इतना धन व्यय हो रहा है और जितने साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस लिये मैं इससे सहमत नहीं हूं और आपके ग्राम सुधार की तरह से इसका भी शीघ्र से शीघ्र अन्त होगा परन्तु यह आपकी नीयत है और उसके अनुसार आप चाहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं को १० एकड़ जमीन दी जाय तो इस परिस्थिति में श्रीमन्, आपको यह मान लेना उचित होगा, नहीं तो यह कठिनाई आपको भविष्य में होगी। दूसरे माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे थे, उनका भाषण सुनने के उपरान्त मुझे भ्रम हुआ क्योंकि न तो उन्होंने संशोधन के अभिप्राय को ही समझा और न मंत्री महोदय ने जो कहा उस पर ही कुछ ध्यान दिया। उन्होंने अपना तर्क विरुद्ध दिया है और मैं समझता हूं कि उसको इस संशोधन की पुष्टीकरण में उद्धत किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में जब माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे तो बावजूद कोशिश करने के मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि वह खुद ही बहुत संशय में वशीभूत थे और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह जो कहना चाहते थे वह नहीं कह पाये । हमारे मंत्री जी को क्रोध शीघ्र आ जाता है । वह समझते हैं कि विरोधी दल की तरफ से जो बात कही जाती है वह अनर्गल और बेकार की बात होती है । मगर ऐसी बात है, अगर वह इस संशोधन को इस रूप में 72 A. नहीं चाहते हैं तो इस संशोधन को दूसरे रूप में लाया जा सकता है, जिसमें रख सकते हैं कि ऐसी संस्था हो जो विभाग द्वारा मान्यता पाये हुये हो यह रख लें। डिस्क्रीशन तो उनके पास है ही, वह कहां छीना जाता है । लेकिन हर संस्था के लिये यह आवश्यक है, आपका डिस्क्रीशन खत्म नहीं होता है, किसी भी तरह से इस पर कोई अंकुश नहीं लगता है ।

श्रीमन्, समय समाप्त हो रहा है परन्तु मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो इस पक्ष में और उस पक्ष में बोलेंगे और इससे सदन का समय नष्ट होगा और कलंक लगेगा यह कि विरोधी दल चाहता है कि यह बिल पारित न हो सके । मैं मंत्री महोदय को बतला देना चाहता हूं कि जहां तक उनके सिद्धान्त में विरोधाभास न आता हो, उनके सिद्धान्त पर कोई कुठाराघात न होता हो, उसे वह स्वीकार कर लिया करें तो इससे सदन का समय बच सकता है ।

**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जो विधेयक माननीय मंत्री ने पेश किया है कि जो सरकारी गजट में जिला शिक्षा संस्थाओं के नाम आयेंगे, प्रकाशित होंगे उन्हीं को यह भूमि-दान लेने का अधिकार होगा, तो मैं आपके द्वारा इस बात को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रतिबन्ध से शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । उधर से शिक्षा प्रसार की बहुत रट लगायी जाती है कि हम गांव-गांव में सबको शिक्षित बनाना चाहते हैं और शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, तो इस प्रतिबन्ध से उस शिक्षा को बहुत बड़ी हानि होगी । क्योंकि देहातों में जहां सरकार द्वारा शिक्षा संस्थाएं संचालित नहीं हैं वहां प्राइवेट रूप में लोग शिक्षा संस्थाएं खोलते हैं और भूमि-दान द्वारा उन संस्थाओं को चलाते हैं और उसके बाद वह सरकार से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं और धीरे-धीरे वह शिक्षा संस्थायें आत्म-निर्भर हो जाती हैं । तो ऐसी संस्थाएं जो भूमिदान से कमेटियों द्वारा चलायी जाती हैं वह अब इस प्रतिबन्ध के बाद नहीं चल पायेंगी और शिक्षा प्रचार का जो मंशा सरकार का है वह भी इससे बिल्कुल समाप्त हो जावेगा । सरकार ने यह रखा है कि जो सरकारी गजट में शिक्षा संस्थाओं के नाम आये उन्हींको यह सुविधाएं दी जायगी, लेकिन सरकार को मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे अधिक लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं वह देखते हैं कि हम खुद खेती नहीं कर पा रहे हैं तो वह अपनी भूमि इन संस्थाओं को देकर उनको प्रोत्साहित करेंगे और उन शिक्षा संस्थाओं को दान देकर यश कमाना चाहते हैं और इस प्रकार शिक्षा का उससे प्रचार होता है और प्रोत्साहन मिलता है । लेकिन इस प्रतिबन्ध के लग जाने के बाद उन संस्थाओं का हक समाप्त हो जाता है और वह किसी प्रकार से भी उस भूमि को प्राप्त नहीं कर सकेंगी जिससे संस्थाओं को चलाया जाना मुश्किल हो जायगा ।

देहातों में, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी संस्कृत पाठशालाएं हैं जिनको सरकार से पूर्ण रूप से सहायता नहीं मिलती, नाम मात्र को मिलती है और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको कुछ जमीनें दान में मिली हैं और पुरातन से जो संस्कृत पाठशालाएं चली आती हैं उनके अध्यापक और विद्यार्थी जो वहां रहते हैं उनके लिये स्कालरशिप्स और भोजन आदि का प्रबन्ध उसके द्वारा वहां किया जाता है और भी बहुत

[श्री रामसुभग वर्मा]

सी संस्थाएं हैं, जैसे जूनियर हाईस्कूल, सेकेंडरी हाईस्कूल या प्राइमरी स्कूल हैं, देहातों में अपनी ओर से शिक्षा प्रसार का प्रयत्न करती हैं। वहां के लोग अपनी तरफ से सहायता करके, कुछ भूमि देकर और अन्य मदों से उन संस्थाओं को चलाते हैं, तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यह प्रतिबन्ध हटा लें क्योंकि इससे शिक्षा प्रसार में बहुत हानि होगी और सरकार की जो शिक्षा प्रसार की नीति है उसमें भी बाधा पड़ेगी। ऐसी दशा में माननीय रामनारायण त्रिपाठी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकर कर लेंगे।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं क्योंकि गवर्नमेंट का मंशा शिक्षा प्रसार करने का है। मैं बताना चाहता हूं अपने विरोधी भाइयों को कि ८वें क्लास तक गवर्नमेंट रेकागनिशन देती है। गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि जो ही चाहे एक छप्पर रख ले और स्कूल चला दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज ९० परसेंट लोगों की विचारधारा यह है कि सरकार शिक्षा को अपने हाथों में ले ले और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अमेंडमेंट सरकार के काम में एक किस्म से रोड़ा अटकाना है। सरकार चाहती है कि शिक्षा बढ़े और जो स्कूल बनें वे रजिस्टर्ड हों। हमारे यहां राजा साहब शोहरतगढ़ ने एक मकान एक संस्था को दिया और जब जमींदारी खत्म हो गयी तो फिर कहने लगे कि मैं उसको वापस चाहता हूं। तो मैं गवर्नमेंट को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने कानून में यह रख दिया कि जो संस्थायें रजिस्टर्ड रहेंगी उनको जमीन देने का अधिकार होगा। यह बहुत सुन्दर है और धपले वाली चीज नहीं चलेगी। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने संशोधन रखा है और माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक द्वारा रक्खा गया है उन दोनों में क्या भेद है वह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि उस संस्था को ही जिसको सरकार विज्ञप्ति द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित करे अधिकार होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको जमीन देना चाहे तो दे सकता है। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी चाहते हैं कि कोई शिक्षा संस्था जो कि रेकगनाइज्ड हो उसको यह अधिकार प्राप्त हो कि अगर उसे कोई जमीन देना चाहे तो दे सके। अब दोनों में भेद क्या होगा। श्रीमन्, पब्लिक इंस्टीटच्यूशन रेकगनाइज्ड तभी होता है जब उसके पास एक निश्चित रकम होती है, एक निश्चित मकान होता है और एक निश्चित योग्यता वाला स्टाफ होता है और एक निश्चित संख्या में विद्यार्थी होते हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कि सरकारी विज्ञप्ति में सरकार द्वारा जो प्रकाशित होगा वह क्या इससे परे कोई इंस्टीटच्यूशन होगा। हां, वे इंस्टीटच्यूशन्स जो रेकगनाइज्ड न हों और किसी पाकेट में चल रहे हों, उनको अगर यह अधिकार देना हो तो मैं समझता हूं कि उसे वापस लेना चाहिये। लेकिन यदि रेकगनाइज्ड इन्स्टीटच्यूशन्न हों और उनको यह अधिकार देने की बात हो तो माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करने में।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय व्रजबिहारी मिश्र जी ने कल के मेरे भाषण की चर्चा करते हुये यह बताया कि मुझे शुबहा है कि वे संस्थायें जो संस्कृत की हैं और जिनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती उनको कोई खतरा होगा, ऐसा उनका कहना है कि मैंने कहा। मैं समझता हूं कि उनको गलतफहमी हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि अपने देश में संस्कृत के प्रति

जो सरकार का रुख है वह बहुत ही ग़लत है। मुझे मालूम है कि मेरे जिले में रामपुर कारखाना, देवरिया ऐसी कई जगहों पर कुछ संस्थायें हैं जहां संस्कृत के प्रकांड विद्वान् बैठे हैं लेकिन तड़पते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती है और उनके विद्यार्थी भीख मांग कर पढ़ते हैं और आप ऐसे इंस्टीट्यूशन्स को सहायता नहीं देते हैं और वह सरकार के पास हाथ फैलाने भी नहीं जाते, तो उनको कुछ प्रेरणा भी इस विधेयक के द्वारा मिली है कि लोग उनको जमीन दें क्योंकि उनकी जमीन पर कोई शिकमीदार या सीरदार नहीं हो सकेगा। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाय कि तुम्हारे पास फलां जमीन है, उस जमीन को किसी को शिकमी पर दो तो डर है कि वह उससे निकल जायगी और कोई पन्द्रह गुना दे कर उसका अधिकारी हो जायगा, माननीय मंत्री जी के विधेयक के अनुसार। तो अगर वह किसी इंस्टीट्यूशन को वह जमीन देना चाहता है और वह इंस्टीट्यूशन शिकमीदार नहीं होगा तो फिर कोई डर नहीं होगा। इसलिये कुछ बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं जिनको जमीन से बड़ी ममता होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि रेकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसा है जैसा कि मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, रखा है।

माननीय मंत्री जी क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि सरकारी गजट में सरकारी विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित हो। कैसे प्रकाशित होता है, कैसे होता आ रहा है, कैसे माननीय मंत्री जी रखना चाहते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रकाशित करने का अब तक का जो हम लोगों का अनुभव है वह बहुत बुरा है। सरकारी गजट में तो उन विज्ञप्तियों को ज्यादा स्थान मिलता है जिनमें सरकार का विशेष इंटरेस्ट रहता है और यदि मंत्री जी यही चाहते हैं कि जिनको वह चाहें उन्हें ही फूलने फलने दें और वह अपना एक निरंकुश अधिकार बनाये रखें तब तो फिर वह ऐसा कह दें और बहुमत उनके साथ है। लेकिन अगर न्याय और न्यायसंगत तरीके के आधार पर जनता जनार्दन और उसके साथ प्रान्त की भलाई करना चाहते हैं और अपनी ही सरकार द्वारा मान्यता जिनको प्रदान की है उनकी बात का प्रतिपादन करना है तो आवश्यक है कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का यह संशोधन कि जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अधिकार दिया जाय मान लें यही मुझे निवेदन करना है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि "स्वीकृत शिक्षा-संस्था का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था या शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन स्वीकृत कर लिया हो।"

**श्री चरणसिंह**—हेवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। शहर के अन्दर है और रिकगनाइज्ड है, उसको भी जमीन मिल जाय।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**—चूंकि राजस्व मंत्री जी ने मेरा करीब एक मिनट ले लिया इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरा एक मिनट बढ़ा दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से विशेषकर कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग किन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। मैं समझता हूं कि सदन के हर एक माननीय सदस्य, जिनका कुछ सम्बन्ध शिक्षा संस्थाओं से है, भली-भांति परिचित होंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग उन शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है जिनकी कमेटी रजिस्टर्ड हो, जिनके कोष में कम से कम १५ हजार रुपया हो, जिनका भवन बना हो, अध्यापक ट्रेंड हों और भवन के अन्दर शय्या और सामान हो। उन्हीं शिक्षा संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग मान्यता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त और भी संस्थाएं हैं

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं या दूसरी संस्थाएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह परेशानी की बात होगी। उन संस्थाओं के संचालकों के लिए जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं फिर भी उनका संचालन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थायें भी हैं जो सरकार की मर्जी के खिलाफ भी या सरकार के नियमानुकूल शिक्षा का काम नहीं करती कराती हैं। ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रस्तावित धारा के कारण बहुत ही परेशानी होगी और दान में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना अनुचित होगा। आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि सोरदारों और अधिवासियों के सम्बन्ध में सदन में कल तक वादविवाद हुआ था, जिस पर माननीय राजस्व मंत्री डटे हुए थे, लेकिन अन्त में कुछ अंशों तक उन्होंने हमारी बात मान ली। इसी तरह से राजस्व मंत्री जी को इस संशोधन को भी वापस लेना होगा, आज न लें लेकिन दस दिन के बाद लेना होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग द्वारा जिन संस्थाओं को मान्यता मिली हुई है उनके ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय, दान लेने पर, यह अनुचित होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा दान लेकर कोई ऐसी संस्था चलानी हो तो स्वीकृति आपसे मिलेगी, "स्वीकृति" शब्द मैं चाहता हूं इसे राजस्व मंत्री वापस ले लें और जो हमारे रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन आया है उसे स्वीकार करें। उसके स्वीकार करने में आपका भार घटेगा। इसका विरोध हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के सदस्य चाहे प्रत्यक्ष में विरोध न करें, लेकिन दिल ही दिल इसका स्वागत करते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**—पहले सीताराम जी शुक्ल खड़े हुए, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जोरदार शब्दों में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। अगर विदेशी हुकूमत होती, लेकिन चूंकि अपनी सरकार है, इसलिये मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। बन्दूक बुरा चीज है जब तक कि वह दुश्मन के हाथ में है, लेकिन अगर हमारे दोस्त के हाथ में है, हमारे बुजुर्ग के हाथ में है, हमारे हाथ में है, तो बड़े काम की चीज है। विदेशी हुकूमत होती, तो मुकम्मिन था कि उसका दुरुपयोग होता लेकिन यह तो अपनी सरकार है इसके हाथ में जितनी ही शक्ति रहे उतना ही अच्छा है। जितने तर्क पेश किये बहुत अच्छे तर्क पेश किये। जब आपका शिक्षा संचालक मंजूर करता है, रिकगनाइज करता है उसके बाद भी आप कहते हैं कि उसे कोई अख्तियार न मिले, इस तर्क में बेट है, वजन है। हुजूरवाला, जरा गौर फरमायें। बड़ी-बड़ी संस्थाओं को यह सरकार रिकनाइज करती है और वहां के लड़के लारी फूंकते हैं, किताबें फाड़ कर फेंकते हैं—क्या राय है आपकी कि संस्थाओं को अख्तियार दे दिये जायं, दुरुपयोग करने के लिये, नाजायज फायदा उठाने के लिये, पोलिटिकल प्रोपेगैंडा करने के लिये। इस तजुर्बे के बाद मेरी गुजारिश तो यही है कि रिकगनीशन के बाद भी उन्हें वाच किया जायगा, जांच की जायगी, कैरेक्टर देखा जायगा, क्या वह अच्छा काम करते हैं यह देखा जायगा, लेकिन अगर शिक्षा संस्थाओं के नाम पर कांसपिरेसी करते हैं जैसे हैदराबाद में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, मुशायरे के नाम पर, ऐसी शायरी पढ़ी जाती है कि "ये कहती हैं मौजे कि तूफां से खेलो, किनारे-किनारे कहां जा रहे हो," तो ऐसी संस्थाओं को मौका नहीं दिया जायगा। जो लिखने पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं उन्हें मौका दिया जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**श्री राजनारायण**—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है और सरकार की तरफ से जो विधेयक रखा गया है यदि उसको देखा जाय तो हर सद्बुद्धी वाले को यही प्रतीत होगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने से ही सरकार भी अपनी प्रतिष्ठा को बचा पायेगी। अभी माननीय राजस्व मंत्री ने बीच में खड़े होकर कहा था कि क्या लखनऊ में जो शिक्षा संस्थायें हैं उनको भी पूरी सहूलियत दे दी जाय। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर केवल लखनऊ का मतलब शहरों में जो शिक्षा संस्थायें हैं उनके लिये जमीन देने की गुंजायश से है.....

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय सदस्य ने अच्छी तरह से नहीं सुना। माननीय मंत्री ने कहा था कि यहां पर जो हैवेट इंजीनियरिंग कालेज है उसको अगर सहूलियत दी जाय।

**श्री राजनारायण**—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह सरकार की प्रतिष्ठा के साथ नहीं चल सकता है। सरकार का विधेयक कुछ है और उसकी धारायें कुछ हैं। यहां पर माननीय परिपूर्णानन्द जो बैठे हुये हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि किस प्रकार से वह शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते हैं। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं जब कि यहां पर माननीय सीताराम जी अपनी वृद्धावस्था में कुछ ऐसी बातें यहां पर कह दिया करते हैं कि जिससे सन्तुलन किसी बात का नहीं रहता है। यहां पर तो बात चल रही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं की और वह चले जाते हैं हैदराबाद और कभी चले जाते हैं कश्मीर और कभी वह दूसरे सूबे की बात यहां पर करने लगते हैं। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये सरकार ने एक संस्था बनायी है और वह मान्यता उनको देती रहती है। मान्यता प्रदान होने के लिये कुछ शर्तें हैं, जो संस्था उन शर्तों को पूरी करती है वह उनको मान्यता प्रदान कर देती है। माननीय परिपूर्णानन्द जी उसके चेयरमैन हैं। अब सवाल यह है कि इस बात से माननीय परिपूर्णानन्द जी के ऊपर कितना बड़ा लांछन लगता है। राजस्व मंत्री ने खड़े होकर अपनी बात कह दी लेकिन मैं परिपूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि वह खड़े होकर बतलायें कि किस प्रकार से किस आधार पर वह शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते हैं। क्या वह वैसे ही उनको मान्यता प्रदान कर देते हैं और किसी प्रकार से नहीं देखते हैं कि वह वास्तव में कोई संस्था है भी या नहीं? क्या वह इस प्रकार की संस्था हैं कि अगर उनको कोई जमीन दे दी जायगी तो वह उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे? यदि उनको कोई खेत खेती करने के लिये मिलता है तो वह उसको काम में नहीं लायेंगे? मैं तो शहरी शिक्षा संस्थाओं के लिये भी कहता हूं कि उनको भी जमीन दी जाय अगर वहां पर कोई जमीन हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि शहरी जमींदारी को तोड़ने का विधेयक आप लावें और मेरा यह निश्चित मत है कि शहरी जमींदारी को तोड़ने का विधेयक इस सरकार को झक मार कर लाना पड़ेगा। वह कितना भी इसको टालने की कोशिश करे मगर टाल नहीं सकती है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। इससे आगे चल कर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी जिससे कि कोई परेशानी पैदा हो। अगर सरकारी गजट में राजस्व मंत्री जी प्रकाशित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो विभाग है वह इसको देखता रहेगा, इसलिये उन संस्थाओं को भी जमीन प्रदान करना जरूरी है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि मान्यता प्रदान करने में, उनमें कुछ त्रुटियां हैं परन्तु उन त्रुटियों का परिमार्जन राजस्व मंत्री जी नहीं कर सकते हैं। उनको वही शिक्षा संस्थायें कर सकती हैं और वही अच्छी तरह से समझ सकती हैं। राजस्व मंत्री जी तो यह जान सकते हैं कि मालगुजारी किस प्रकार से वसूल होती है, खेती किस प्रकार से होती

[श्री राजनारायण]

चाहिये और उत्पादन किस प्रकार से बढ़ सकता है ? इस प्रकार की बातों को वह जान सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा संस्थाओं को जमीन जरूर मिलनी चाहिये और उनके ऊपर दोहरा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि यदि जनता अपनी सहायता से कोई शिक्षा संस्था खोलती है तो उसको भी जमीन मिलनी चाहिये, नहीं तो परिपूर्णानन्द जी के विभाग के सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा न कि राजस्व मंत्री के सामने। अगर सरकार का मतलब यह है कि उसको थोड़ी सी जमीन प्राप्त करने के लिये रेविन्यू डिपार्टमेंट में और दूसरी जगह अर्जी हाथ में लेकर फिरना पड़े तो दूसरी बात है। आखिर इसका मतलब क्या है कि जमीन लेने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी के दरबार में उनको आना चाहिये। रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब के पास वह आयें और कहें कि शिक्षा संस्थाओं में उनका नाम भी प्रकाशित करा दिया जाय ताकि इस विधेयक के अनुसार उनको भी जमीन मिल सके। इस अंकुश से सरकार जिस मकसद को प्राप्त करना चाहती है वह उसका मकसद उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये राजस्व मंत्री जी हमारे इस संशोधन को मान लें, उससे सरकार जो कहती है उससे वह मकसद उसका पूरा हो जायगा वरना वह पूरा नहीं होने का।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की बात को सुना।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब प्रस्तावक उपस्थित न हो तो दूसरा माननीय सदस्य उसका जवाब दे सकता है, यह नियम की बात है। मैं समझता हूं कि केवल प्रस्तावक ही जवाब दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास लिखित प्रार्थना-पत्र आ गया है, इसलिये मैंने उनको इजाजत दे दी है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, और ऐसा ही यहां सदैव से होता आया है।

*श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी की आपत्ति को सुना और दूसरे भाइयों की बात को भी सुना, जिनके बारे में तो मैं यह समझता हूं कि या तो वह कुछ गलतफहमी में रहे या उन्होंने कम जानकारी में ऐसा कह दिया। अगर उन्होंने पूरी बात को सुन लिया होता तो उन्होंने ऐसी बात न कही होती, लेकिन राजस्व मंत्री जी की परेशानी यह है कि कोई स्टेटुटरी प्रावीजन नहीं है मान्यता प्रदान करने के लिये इसलिये उनको इसमें कुछ दिक्कत होती है। अगर वह गजट में प्रख्यापित करना चाहें तो स्टेटुटरी प्रावीजन के मुताबिक कर सकते हैं। परिभाषा में केवल यह दिया हुआ है कि "स्वीकृत शिक्षा संस्था"। लेकिन किसी भी शिक्षा संस्था को स्वीकृति प्रदान करने का क्या तरीका होगा यह सदन के सामने नहीं है। अगर इस अंधेरे में ही हम टटोलते रहें तो स्वीकृत शिक्षा संस्था उसी को मानेंगे जो सरकारी माल विभाग या और कोई सरकारी विभाग न जाने किस तरह से, क्या-क्या शर्तें और क्या-क्या ज्यादतियां करके, उसको स्वीकृत संस्था मान लें। इस स्टेटुटरी प्रावीजन के सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज कर दूं। माननीय राजनारायण जी ने उस बात को कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि हम करोड़ो रुपया ग्रान्ट की शक्ल में स्कूलों को देते हैं लेकिन उस वक्त हम इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते कि कोई 'स्टेटुटरी' प्रावीजन है या नहीं, लेकिन अगर कोई गांव वाला दान के रूप में कुछ देता है, या कोई जमीन को मालिक जमीन को देना चाहता है तो उसके लिये स्टेटुटरी प्रावीजन की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है भीख मांगने के वास्ते। सरकार भीख मांगने वालों के लिये तो कोई कानून नहीं बनाती है लेकिन भीख देने वालों के लिये कानून बनाती है और कहती है कि उसी आदमी को भीख दो, जिस आदमी को सरकार भीख दिये जाने योग्य बताये। अगर कोई गांव वाला लोअर प्राइमरी स्कूल को कोई जमीन देता है, १-२ एकड़ या ५ बिस्वा जमीन देना चाहता है ताकि उसके बच्चे वहां पढ़ सकें तो वैसी हालत में हमारी सरकार को परेशानी हो जाती है, उसके लिये स्टेटुटरी प्रावीजन की आवश्यकता होती है। दूसरे भाइयों ने कहा कि मान लो मान्यता दे दी गई और उस मान्यता का दुरुपयोग किया गया तो जिस प्रकार सरकार के पास मान्यता हटाने का प्रावीजन है उसी प्रकार जमीन ले लेने का भी प्रावीजन होना चाहिये। अगर कोई ग़लती करता है तो जिस प्रकार जब कोई ग़लती करता है तो ग़लती करने के बाद सजा के लिये जो प्रावीजन होता है वह उसके लिये भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह केवल मल्टिप्लिसिटी है, काम को बढ़ाना है और दूसरे संस्थाओं को डिस्करेज करना है। मैं कहता हूं कि संस्थाओं को डिस्करेज न किया जाय। हमारी शिक्षा संस्थायें जितनी अधिक से अधिक हो जायं, उनकी तरक्की हो। उनको मौका मिल सकता है कि वे गांव वालों से भी कुछ जमीनें हासिल करके अपने बच्चों को खेती बारी की तालीम दिला सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई बन्धन सरकार को नहीं लगाना चाहिये। अगर सरकार इस तरह का कोई बन्धन नहीं लगाती है तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। हां, यह हो सकता है कि शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जिनको जमीन मिल जाय और उसके जरिये वे अपनी शिक्षा का काम सारे मुल्क में फैला सकें।

**श्री चरणसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि एक बहुत छोटे से अमेंडमेंट पर हम सब लोगों ने अपना इतना वक्त काट दिया जब कि और दूसरे संशोधन और दूसरी धारायें इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक केवल बात की बात पर इतना विवाद हो गया। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की नीति है उस नीति के विरुद्ध कैसे हम कोई काम करेंगे या गड़बड़ करेंगे। यह एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं। मैंने एक बात श्री रामसुन्दर पांडेय जी से पूछी थी लेकिन उसका जवाब न तो आपके नेता जी ने दिया और न उन्होंने ही दिया। जो यह कहा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो हर प्रकार की संस्था रिकग्नाइज्ड है, मसलन प्रिवेट इंजीनियरिंग स्कूल है, मुझे मालूम नहीं है कि वह रिकग्नाइज्ड है या नहीं है लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर कहा कि इस तरह की जो संस्थायें हैं, जिनका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है वे जमीन लेकर करेंगी ही क्या? आखिर जमीन उनको कोई क्यों देगा? दूसरी बात यह है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी की ही केवल एक कमेटी नहीं है जो रिकग्नाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के अधिकार में भी है कि वह कुछ स्कूलों को रिकग्नाइज कर सकता है। तो वे भी उसमें आये, फिर यूनिवर्सिटीज भी रिकाग्नाइज करती हैं जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई वास्ता नहीं है....।

**श्री राजनारायण**—यूनिवर्सिटी भी पहले से स्वीकृति ले सकती है।

**श्री चरणसिंह**—लेकिन जो संस्थायें केवल यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड हैं उसके नियम के अनुसार उसके लिये तो हो सकता है, लेकिन आपका संशोधन मान लिया जाय तो जमीन नहीं दे सकते हैं। आपका संशोधन है कि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत हो तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वह शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। इसी तरीके से, मसलन मुझे ठीक मालूम नहीं है लेकिन अब तक गुरुकुल कांगड़ी ही है जो न तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिकग्नाइज्ड है और न यूनिवर्सिटी से ही रिकग्नाइज्ड है लेकिन बाकायदा वह एक संस्था है जो एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत पुराने जमाने से चल रही है।

[श्री चरणसिंह]

तो वह भी इससे वंचित हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का लफ्ज लिखने से कोई सहूलियत नहीं होने वाली है। दूसरी बात जो रिकग्नीशन की है वह एक्जीक्यूटिव तरीके पर होती है स्टेटचूटरी कोई डिफाइन तो है नहीं।

हम जमीन केवल उन्हीं संस्थाओं को देना चाहते हैं जिनको खेती के लिये रिकग्नीशन मिला है। आप देखेंगे कि आगे चल कर लिखा है "लेटिंग आउट फौर दि परपज कनेक्टेड विद इंस्ट्रक्शंस इन ऐग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर आर एनिमल हस्बैंडरी"। तो जो इस तरह की जमीनें हैं उसमें हर प्रकार की संस्थायें नहीं आयीं। मसलन जैसे इंजीनियरिंग स्कूल हैं, उसे हम जमीन नहीं देना चाहते हैं वह जमीन का क्या करेगी। जमीन इसलिये दी जाती है कि उसमें खेती बारी व बागवानी का काम सिखलाया जाय न कि इसलिये कि उसके जरिये कोई आमदनी हो और उससे वह संस्था चले। बल्कि खेती का काम सिखलाने के लिये जमीन मिलने में संस्थाओं को सहूलियत हो जाय, यही इसका मंशा है। मसलन अब हमने यह नयी स्कीम चलायी है तो यहां अगर गजट करने की जरूरत हो तो जितने इंस्टीटचूशंस एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऐग्रीकल्चर की गरज के लिये रिकग्नाइज्ड हैं, या जहां उन्होंने क्लास खोल दिया है या खोलने का इरादा है रहा यह कि एक इंस्टीटचूशन को करना चाहते हैं। माननीय रामेश्वरलाल जी और माननीय नेता जी ने कहा, यह उनका अपना ख्याल है। अपना अक्स इन्सान हर जगह देखता है ऐसा मालूम होता है जैसा जिसका मन है वैसा ही वह दूसरों के लिये भी सोचता है। आखिर इसमें अपनी क्या मंशा है कि मेरी कोई खुशामद हो या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की खुशामद हो, हरगिज हरगिज नहीं। एक संस्था विशेष को करेंगे, वर्ग विशेष को करेंगे, एजूकेशन डिपार्टमेंट जिसको कहेगा, उसको करेंगे लेकिन एजूकेशन डिपार्टमेंट ने तरह-तरह के मकसद के लिये संस्थाओं को रिकग्नाइज कर रखा है और ऐसी संस्थायें भी उनमें हैं जिनकी कृषि से कोई गरज भी नहीं है। एक साहब ने कहा कि शिक्षा के प्रसार में रुकावट होती है उसके न रखने से। क्या वास्ता इसका शिक्षा के प्रसार से और उसमें रुकावट करने से, वह यह समझते हैं कि शिक्षा डिपार्टमेंट से जो संस्थाएं स्वीकृत हैं उन्हीं के लिये हैं। एक सज्जन जो देवरिया से तशरीफ लाते हैं उन्होंने कहा कि साहब एजूकेशन डिपार्टमेंट के रिकग्नेशन के अलावा और भी संस्थायें चल रही हैं उनको नहीं मिल सकेगा यानी खुद ही तो जो संशोधन है उनके मित्र का वह यह है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट से जो रिकग्नाइज्ड हैं उन्हीं को मिले और वह उसके समर्थन में खड़े होते हैं और तकरीर यह करते हैं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो रिकग्नाइज्ड संस्थायें हैं और अगर उन्हीं को दोगे तो और जो प्राइवेट संस्थायें चल रही हैं उनका क्या होगा और इससे शिक्षा के प्रसार में रुकावट होगी। मुबारक ऐसी दलीलों को, सदके जाऊं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि छोटी सी बात थी जिस पर इतना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी।

कुछ इशारा यह भी हुआ कि किसी खास को करना चाहते हैं और किसी खास को नहीं करना चाहते। सदन को मालूम है और उन सब साहबान को मालूम है जो सामने बैठे हुये हैं कि ऐसी संस्थायें हैं जिसमें बाहुल्य इधर बैठने वाले लोगों का नहीं है। ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जो देश की सेवा करती हैं। ऐसी ही एक शिक्षा संस्था है जिसके लिये कानून में गुंजायश नहीं थी लेकिन उसकी इमदाद करने के लिये अलग से बिल लाये। यह नहीं है कि कोई संस्था माननीय नेता जी के, या माननीय गेंदासिंह जी या माननीय तेजप्रताप सिंह जी के हाथ में है उसके साथ कोई पक्षपात किया जाता हो। इस तरह की बात करना हमारे साथ तो अन्याय है ही, खुद अपने साथ अन्याय करना है। इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) में प्रस्तावित खंड (२२–क) निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

"(२२–क) स्वीकृत शिक्षा संस्था का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था या शिक्षा संस्थाओं के वर्ग से है जिसे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन स्वीकृत कर लिया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नया खंड ३—क

**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)— मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ३ के पश्चात् नया खंड ३–क के रूप में रख दिया जाय:—

"३—मूल अधिनियम की धारा १० के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रकार के सभी लोगों के परिवार में कोई वयस्क पुरुष जाति का न हो।"

अध्यक्ष महोदय, कल से मैं सुनता चला आ रहा हूं। धारा १५७ के अक्षम्य लोगों के बारे में सभी लोगों ने बात की और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान खींचा। उसका उत्तर भी दिया गया है। लेकिन धारा १० के दूसरे उपखंड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और न उसका जिक्र ही हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि २५० रुपये से अधिक का जो जमींदार है या सीरदार है उनको सीर के शिकमी को मौरूसी हक मिल जायंगे। मगर उसकी दूसरी उपधारा से जो स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़, अन्धपन, या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ हो अथवा भारतीय नौसैनिक सेवा में नौकर रहा हो, तो उन पर यह लागू नहीं होगी। मेरा कहना यह है कि जमींदारी खत्म होने के पहले जमींदार लोग सजग रहे हैं। मैं अपने जिले के कई जमींदारों का उदाहरण दे सकता हूं, उन लोगों ने अपनी औरत के नाम जमींदारी कर दी है, अपनी औरत के नाम काश्तकारी लगा दी है, अपने लड़के के नाम कर दी है। जब जमींदारी खत्म होने वाली थी, उसके चन्द दिन या चन्द महीने पहले अपने खानदान वालों के नाम उसे करके अब पूरी जमींदारी के मालिक बने हुए हैं। गोरखपुर के कई धनी भूमिपति हमारे जिले में जमींदार हैं, उनकी औरतों के नाम से जमींदारी है। कागज में उनका हर साल जोता बोया जाता है और जहां नहीं जोता बोया जाता है मगर जोतता है असामी, वहां यह धारा उनको यह हक दिला देती है। फिर मेरा कहना यह है कि गुजारे के लिए अक्षम्य लोगों को यह चीज दी गई है। लेकिन जो बड़े जमींदार हैं, जिनके वारिस खेती करने के लिये मौजूद हैं और जो तिकड़मबाजी की वजह से अपनी जमीन बचाये हुए हैं और उसके द्वारा किसानों का शोषण कर रहे हैं उनकी तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। मैं उस तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वह इतना जोड़ दें इसमें कि उनके परिवार में अगर कोई बालिग आदमी खेती करने वाला न हो, कोई ऐसा आदमी उस पागल या अन्धे के घर में न हो, जो खेती बाड़ी कर ले तो उनको यह सुविधा मिले। मगर कोई ऐसी औरत जमींदार हो जिसका कि आदमी जिन्दा हो, तो वह बेदखल न करा सके या जो अवयस्क है लेकिन उसका बाप मौजूद है, या इसी तरह बहुत से लोगों ने अगर खानदान में कोई पागल हुआ तो उसी के नाम सारी जमीन कर दिया है उसे बचाने के लिए तो ऐसे लोग बचा न सकें। इस तरह के लोग सूबे भर में कई हैं। मेरे ही जिलें

[श्री उमांशंकर]

में कई हैं मैं उनको गिना सकता हूं। लेकिन यहां किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। इस तरह से जो चालबाजियां की गई हैं उनकी तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी ध्यान दें।

माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने कहा कि धारा २१ में कुछ ऐसी बात कर दी गई है कि १० की उपधारा (२) भी खत्म हो जाती है। मेरी तो समझ में वह बात कुछ आयी नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं देखता हूं कि इस विधान सभा ने और आज से पहले जो हमारे लोगों ने जो इस विधान सभा में कानून बनाये हैं, उनका इतना मजाक बार एसोसियेशन में होता है और अदालतों में उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी जाती हैं जिसे देखकर शर्म लगती है। रोज-रोज कानून बनाया जाता है और रोज-रोज उलटा जाता है। एक बार पहले पहल कानून बना, टेनेन्सी ऐक्ट की १७१ और उसके बाद सारे सूबे में कोहराम मच गया। दूसरी बार फिर वही लोग आये और १७१ को वापस किया तो मारे मुकदमों से अदालतें पट गईं। तो यह छीछालेदर क्यों होती हैं, ऐसे कानून बनाने की यह सरकार तो आदी हो गई है इसको छीछालेदर की परवाह नहीं है। अगर यह सरकार कानून की पाबन्दी करती तो आज वहां बैठी न रहती। कानून तो इसने तोड़े हैं। हाई कोर्ट ने इसके कानून को कई मर्तबे तोड़ कर फेंक दिया है। इस सरकार के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि कानून के तोड़ने वालों को सजा भुगतना चाहिये और इस सरकार ने खुद कानून तोड़े हैं, इसको इस सभा से मांग करनी चाहिये कि हमने कानून तोड़ा है हम कौन सी सजा भुगतें। मैं याद दिलाता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी को कि वह इस पर फिर से गौर करें और मेरे इस संशोधन को पढ़ें। मैंने उसमें यह कह दिया है कि जिनके पास कोई बालिग आदमी न हो खेती करने वाला, उन लोगों को यह अख्तियार दे दिया जाय। मगर उनको यह सुविधा हर्गिज न मिले जिनके परिवार में खेती योग्य व्यक्ति हों। उन लोगों के शिकमी को सीरदार का हक जरूर मिल जाना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, जरा गौर से सुनें कि २५० रुपये से ऊपर के जमींदारों के सीर के काश्तकारों को हेरीडेटरी टेनेन्ट्स यानी सीरदार बना दिया गया था और अगर २५० रुपये से ऊपर वाले जमींदारों में अगर स्त्री, अवयस्क, पागल या जड़ वग़ैरा है जो कि धारा १० (२) में दिया हुआ है तो सीर के काश्तकारों को अधिवासी बना दिया गया है। यानी जमींदारों में अगर स्त्री वग़ैरह हैं तो उनके काश्तकार अधिवासी थे और अगर स्त्री वग़ैरह नहीं हैं तो सीरदार थे तो इसलिये इस कैटेगरी में कोई वयस्क वग़ैरह हो या न हो, २५० रुपये से ऊपर वाले जमींदारों के अधिवासी तो बेदखल होते नहीं हैं। इसलिये यह बात कहना कि यदि इसमें वयस्क नहीं रखा गया तो वह बेदखल हो जायेंगे यह बात नहीं है, इसको वह देख लें। अब जब कि वह २५० रुपये से ऊपर वाले जमींदारों के अधिवासी हैं तो जैसी कि आशा की जाती है कि इस विधेयक में एक संशोधन है कि जब अधिवासी सीरदार हो जायंगे तो इस कैटेगरी के लोग भी सीरदार हो जायंगे, तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी सभी काश्तकार सीरदार हो जायंगे तो फिर वयस्क वग़ैरा की कोई बात हायल नहीं होती है और काश्तकारों के हक में कोई कमी भी नहीं आती है और इसी बात से १० (२) संबंधित भी हैं। जब वह अधिवासी हो गये तो फिर डर किस बात का है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और उनकी शंका मेरे इस स्पष्टीकरण से निर्मूल हो जानी चाहिये।

*श्री कमलासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री उमाशंकर जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी माननीय मौर्य जी ने सदन के सामने धारा १० (२) के अन्तर्गत जितने सब-टेनेन्ट्स आते हैं उनके लिये बतलाया कि यह अधिवासी हैं और वे सीरदार हो जायंगे। इसलिये काश्तकारों के लिये कोई फर्क नहीं होता है लेकिन जो संशोधन सदन के सामने आये हैं उनको अगर शुरू से आखीर तक देखा जाय तो साफ है कि ऐसे लोग जो धारा १० (२) के अन्तर्गत सब-टेनेन्ट्स हैं वह भी आसानी से हट रहे हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह अधिवासी कर दिये जायंगे या सीरदार कर दिये जायंगे, ऐसी कोई भी धारा नहीं है। सिर्फ ऐसा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने संशोधन ५७ में किया है या धारा २१ में जो १० (२) (ए) को निकाल दिया है उसके अन्दर कह सकते हैं कि लोग अक्षम्य समझे जायंगे जो १५७ में आते हैं या मैंटीनेंस आफ एलायन्स में जो जमीन अक्षम्यों को दी गई है उसके जो सबटेनेंट्स हैं उनको असामी करार दिया जायगा और क्लाज २ के मुतल्लिक सवाल निकलता है कि वह लोग अक्षम्य करार नहीं दिये जायंगे तो इससे एक चीज तो है कि बेदखली से रोका जा सकता है इतना मैं मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं है यह उन्होंने बतलाया तो मैं फर्क सदन के सामने रखना चाहता हूं। अगर इसी जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २४५ को पढ़ा जाय तो उसमें दिया हुआ है, सी० के बाद जो प्राविजो है—

"Provided that where the rent aforesaid was more than double the amount computed at hereditary rates applicable, the revenue shall be equal to an amount computed at such rates."

इससे यह मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जो अधिवासी होगा अगर वह भूमिधर होना चाहेगा तो किस रेट से, या कितना ऊपर उसको भूमिधर होने के लिये देना होगा। यह एक गौर करने की चीज इस सदन के सामने है। अधिवासी की अगर ऐवरेज वेल्यू देखी जाय, या लगान जो वह देता है उसका ऐवरेज देखा जाय तो मौरूसी या हेरेडिटरी रेट जो होता है उसका ढाई गुना होता है यह सब लोग मानते हैं, और जब ढाई गुना देगा तो कोई भी आदमी जो १० रुपया लगान देता है, जो मौरूसी या अधिवासी है वह १० गुना देने पर यानी सौ रुपये देने पर भूमिधर हो सकेगा और उसके बाद उसका लगान ५ रुपया होगा। उसी तरीके पर अगर हेरेडिटरी रेट हम देखें, अगर यह ५ रुपया है तो यह देखा जायगा कि ५० रुपया देने पर वह भमिधर हो जायगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो ५० रुपये की असमानता है वह बहुत ही विभिन्नता इसमें लाती है।

दूसरी चीज यह है कि यह जो एक संशोधन माननीय उमाशंकर जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही निर्दोष है। हमने देखा कि सदन में एक अमेंडमेंट १५७ के अन्दर आया है विद्यार्थियों के मुताल्लिक। यह कहा गया है कि वह विद्यार्थी जिनके बाप जीवित हैं उनके लिये १५७ के अन्दर हम कोई भी लाभ नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके पर अगर अक्षम्य व्यक्ति के घर में कोई भी प्रौढ़ आदमी है जो खेती बाड़ी का काम कर सकता है तो न्याय यही होगा। अगर हम सिद्धान्तों के साथ न्याय करते हैं कि अक्षम्य के साथ भी न्याय करना होगा और इस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर न्याय की तराजू से दोनों चीजों को तोलना चाहते हैं तो दोनों को तोलें और मैं समझता हूं कि न्याय की दृष्टि में अक्षम व्यक्ति के लिये भी यह जरूरी होगा कि अगर उसके घर में कोई भी प्रौढ़ खेती बाड़ी कर सकता है तो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिये।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ और मैं समझता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

हूं कि इस विधेयक में सब से अधिक हास्य उत्पादक संशोधन अगर कोई है तो यह हो सकता है। मुझे आश्चर्य होता है जब कि साफ तौर से कहा जाता है कि यह सरकार निकम्मी है, इसके कानून अदालतों से ठुकराये जाते हैं, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यदि यह संशोधन जनता में गया तो अदालतों में ठुकराना तो दूसरी बात है, जनता जनार्दन भी उसको ठुकरा देगी। यह कभी समझने का उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वह जमींदार जो कि जमींदारी विनाश के पूर्व ढाई सौ से अधिक माल-गुजारी देते थे, उनके जिस तरह से रिआया या सीर के काश्तकार थे, उनको मौरूसी हक दे दिया गया। सिर्फ हमारे माननीय मंत्री महोदय ने थोड़ी सी कृपा की थी उनके लिए, जो कि औरतें थीं, जो कि नाबालिग थे, पागल थे, जड़ थे या जो फौजों में थे या नेत्र विहीन होने के कारण या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती का काम नहीं कर सकते थे। श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि समाजवादी दल अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठता है और क्यों वह यह नहीं समझ पाता है कि जमींदारी टूटने के बाद भी यदि यह लांछन लगाया जाता है तो उमाशंकर जी किस पर लगा रहे हैं। यह लांछन उनके लिये है जो नाबालिग हैं, जो ल्यूनेटिक, नालायक हैं। अगर ऐसे जमींदार यह चालाकी कर सकते कि पट्टा दूसरे को दे देते तो मैं नहीं समझता हूं कि जो वह यह संशोधन लाये तो उन्होंने इस धारा को पढ़ने का कष्ट भी सहन किया या नहीं। यहां किसी को पट्टा देने का प्रश्न नहीं उठता है। इस जगह कोई भी जमींदार चाहे वह जड़ हो चाहे बुद्धिमान हो जमींदारी टूटने के वक्त पट्टा नहीं देना चाहता था। अगर अपनी सीर और खुदकाश्त और मामूली पट्टों में कोई अन्तर उमाशंकर जी समझते होते तो ऐसी बात सदन के सम्मुख न कहते। हमारे माननीय वकील साहब, जो गाजीपुर के हैं उन्होंने संशोधन को पढ़ने का कष्ट तो किया नहीं लेकिन एक बात जो ग़लत कही गयी थी उसका समर्थन करना था लिहाजा नियमों का उद्धरण देते हुये इस संशोधन से बहुत ही असंगत बात कह डाली जिसका इस संशोधन से कोई सरोकार नहीं हो सकता था। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, इधर लाल टोपी वाले कुछ सुनना चाहते हैं और आप लाल बत्ती दिखलाते हैं। तो भूतपूर्व जमींदारों में जो औरतें थीं, पागल थे, जड़ थे वे सीर अपनी नहीं उठा सकते थे। इसमें कोई ऐसी हरकत नहीं की जा सकती थी जो कि इसके उद्देश्य के विरुद्ध हो। आज मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी परिवार में कोई बालिग हो तो उस परिवार की परिभाषा क्या होगी। नाबालिग के अधिकारों का इस अधिनियम में क्या बल्कि हर जगह इतना सुरक्षित रखा गया है कि वह बालिग होने पर तक अपने अधिकारों की रक्षा के हेतु अदालतों में जा सकता है। श्रीमन्, बहुत से ल्यूनेटिक बालिग हो सकते हैं। यह संशोधन जो वह यहां बढ़ाना चाहते थे, मैं नहीं समझ सका कि उनका मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि उनका संशोधन एक भ्रम के कारण आया है और उनका उद्देश्य इस संशोधन से कदापि पूरा नहीं हो सकता है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी ने जो संशोधन इस समय प्रस्तुत किया है उसकी जो भावनायें हैं उनकी तो मैं क़द्र करता हूं लेकिन जो उद्देश्य उन्होंने बयान किया कि सरकार जो कानून बनाती है उसकी हंसी बार एसोसियेशन्स और जुडिशियरी में होती है, मैं समझता हूं कि अगर आपने इस संशोधन को इस कारण से रखा है तो इसमें ऐसी शब्दावली मौजूद है जिससे उसी चीज को वह बिल में पैदा करेंगे जिसका वह एख्तिलाफ कर रहे थे। इसमें दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला शब्द है "परिवार"। परिवार एक ऐसा लूज टर्म है जिसके बारे में बहुत सी रायें हो सकती हैं। कोई वकील या कोई हाकिम इसका कोई अर्थ लगा सकता है और दूसरा दूसरे अर्थ लगा सकता है। इसलिये इसके सिलसिले में बहुत से मुकदमात दायर होंगे और अपीलें होंगी और कहां तक यह नौबत पहुंचेगी इसको वह अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरे पुरुष जाति का शब्द जो है उससे भ्रम पैदा होता है। सेक्शन १० में जो नाबालिग, औरतें, पागल वगैरह

को जो इस तरह से अधिकार दिये गये हैं उसके साथ अगर यह प्राविजन रख दिया जायगा कि अगर उनका कोई रिश्तेदार पुरुष जाति का हुआ जो स्वयं डिसएबिल परसन है तो जो हिफाजत मिल रही है वह न मिलेगी। अगर उसका कोई रिश्तेदार डिस्एबिल ही क्यों न हो, अगर वह पुरुष जाति का है तो इस प्राविजन के मातहत जो वह प्रस्ताव कर रहे हैं संशोधन का इसके होते हुये उनको यह अधिकार नहीं होगा जो सेक्शन १० में दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इस संशोधन को रखा है उन्हीं को देखते हुए वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)— उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भी कुछ कहूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां हमारे माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कहा है कि समाजवादी दल अपने मस्तिष्क का संतुलन खो देता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से जमींदारी अबालिशन हुआ है सम्भवतः इस दल के सदस्यों के मस्तिष्क का संतुलन खो गया है और वह यही समझते हैं कि सभी के मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। बात यह है कि जब से जमींदारी अबालिशन हुआ है ऐसा भी देखने में आया है कि जब नेशनल रजिस्टर्स नहीं बने हुए थे, उसके पहले कोई सबूत नहीं था कि कोई बालिग है या नाबालिग है। मैंने ऐसे केसेज देखे हैं कि आयु २५ वर्ष की है लेकिन लिखी है १७ वर्ष या १५ वर्ष की। क्यों ऐसा किया गया? खेती करना जानते नहीं, दूसरे लोगों की कमाई खाना चाहते हैं। यह लोग जब से जमींदारी अबालिशन हुआ है, ल्यूनेटिक (पागल) और ईडियेट (मूर्ख) की कैटेगरी इनमें से कितने लोग आते हैं मैं कहना नहीं चाहता। उसमें बहुत से आदमी ऐसे भी आ गये हैं जो अच्छे भले हैं लेकिन चाहते हैं कि दूसरों के जरिये खेती करवाएं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—आज इनका भी नाम उसी में कर लिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—कम से कम इनको यह अधिकार मिला रहे। यह ढाई सौ से कम जो मालगुजार रहते हैं अगर वह इस कैटेगरी में नाम लिखा देंगे तो उनके कम से कम जो सीरदार या अधिवासी हैं उनके नाम वह जमीन नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता भी पड़ जाय तो वह सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी इस बात के लिये प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ माननीय उमाशंकर जी ने जो संशोधन रखा है मै यही कहूंगा कि अगर कोई आदमी परिवार में बालिग है तो उसमें यह बंधन लग जाना चाहिये कि अगर परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब से जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना है तब से यह चालाकी की है कि वह जमीन अपने नाम से न रख कर लड़कों के नाम करा दिया है या उन्हीं के परिवार में बहुत से आदमी मौजूद हैं जो ऐसे हैं जिनको ल्यूनेटिक तथा ईडियेट तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन बहुत कुछ इस दायरे में आते हैं, उनके नाम करा दिया है ताकि कम से कम जब तक वह जिन्दा हैं उनके नाम से खाते रहेंगे और जो वास्तव में जमीन को जोते हुए हैं, जिनको जमीन का मौरूसी अधिकार मिलना चाहिए, उनको उस अधिकार से वंचित रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री वृजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और मेरे विरोध करने का कारण यह है कि सबेरे से लेकर अब तक गिलोटिन (समय पर रोक) लगा रहे हैं।

[श्री राजनारायण]

सबेरे प्रस्ताव पास हो गया, इस सदन में, कि १७ तारीख को तब तक बैठेंगे जब तक विधेयक पारित न हो जाय तो फिर बार-बार क्लोजर मूव करने का क्या अभिप्राय है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि जितना होता है उतना होने दें, फिर तो उन्होंने समय निर्धारित कर ही दिया इसको पास करने के लिये।

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक सबेरे का जिक्र माननीय राजनारायण जी ने किया मैं नहीं चाहता था कि उस चीज का जिक्र अब सदन में होता लेकिन जो कुछ किया गया वह सब उनकी सलाह से किया गया, उनकी सम्मति से किया गया। अगर कोई उसके पीछे गया तो उधर से गये न कि इधर से गये और कोई एक साहब नहीं उससे राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी और गेंदासिंह ये तीनों साहब पीछे हटे और जितना समझौता हुआ था पूरे तौर पर शब्दशः और कामा व कामा करके रक्खा गया। अब उसका जिक्र छोड़ दें और जो हुआ सो हुआ।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। उन्होंने कुछ लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है और उसमें मेरा नाम भी उन्होंने लिया.....।

श्री अब्दुल मुईज खां---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन् इस समय एक संशोधन पेश है। बीच में जो यह दूसरी बात पेश हो गई यह किस नियम के मुताबिक होने लगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे रहे थे, पहले उनकी बात सुन ली जाय।

श्री गेंदासिंह---रामनरेश जी ने कहा कि जो कुछ भी सबेरे हुआ वह सलाह मश्विरा से हुआ तो क्या इस पर सलाह हो गई थी कि एक इतने फार रीचिंग एफेक्ट्स के संशोधन लाने वाली है, क्या उनका जिक्र भी माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने किया था। कल यह बात तय हो गई थी कि जनरल डिसकशन शाम तक होगा और उसे आज दोपहर को ही बन्द कर दिया गया और इस तरह से समझौते को तोड़ा तो किसने तोड़ा। जब दूसरे की बातें कही जायं तो अपनी बातें भी कही जायं। हमें खुद कोई आपत्ति न थी कि जल्दी से जल्दी बिल ऐक्ट का रूप धारण कर ले लेकिन इस पर सदन को विचार करने का मौका मिले, सिर्फ इतना ही हमारा कहना था, कोई और बात हमें नहीं कहनी थी।

श्री रामनरेश शुक्ल---यह बात तय नहीं हुई थी कि आज शाम तक जनरल डिसकशन होगा।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रामनरेश जी ने जो बातें कहीं वे बिल्कुल असत्य हैं और इस तरह की बातें न करनी चाहिये। एक मर्यादा होती है, उसको किसने भंग किया। खुद सरकार ने भंग किया। ६, ६ पेज के नये अमेंडमेंट्स रखे गये और यह कहा जाता है कि सारी बातें तय हो गई थीं। सरकार ने अपनी पार्टी में तय कर लिया होगा और अपने घर में तय कर लिया होगा। अगर इस तरह की बातें होंगी तो कभी कोई बात तय नहीं हो सकती। मंगलाप्रसाद जी भी आये थे लेकिन उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। रामनरेश जी के साथ क्या इस तरह के अमेंडमेंट आने की बात भी तय हो गई थी, यह बात बिल्कुल गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष**—मेरा कर्तव्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब एक प्रस्ताव इस बात का आ गया है कि अब प्रश्न पर वादाविवाद खत्म हो तो उसे मुझे लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि वादाविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री उमाशंकर**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य ने मेरे संशोधन की भावना से इत्तफाक़ किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि जब कि वह अधिवासी हो जायंगे तो उसमें मुझे एतराज क्या है वह मैं बताना चाहता हूं कि २५० रुपये से अधिक के जो जमींदार हैं उनकी सीर में शिकमी को मौरूसी हक़ मिल गया। अवधेशप्रताप सिंह जी समझते हैं कि मैं जमींदारों के बहुत खिलाफ हूं ऐसी बात नहीं है। जो जमींदार सीधे सादे हैं और तिकड़मबाज नहीं हैं उनकी सीर के शिकमी को मौरूसी हक़ मिल गया, लेकिन जो लोग तिकड़मबाज हैं और चालबाजी से अपना काम करते हैं और चालबाजी से उनका काम हो जाय तो यह हम लोगों के लिये बड़े शर्म की बात है। जो चालबाज हैं उन्होंने अपनी आराजी औरतों के नाम लिख दी है। जमींदारी के खात्मे के पहले ही सन् १९४६ ई० में उन्होंने अपना इन्तजाम कर लिया था। हर हालत में जो चालाक जमींदार थे उन्होंने अपनी जमींदारी का इन्तजाम कर लिया था और वह सजग हो गये थे और सन् १९४६ के पहले ही इस किस्म से जो जमीन लिखी हुई थी, मौक़ा मिलने पर उन्होंने अपनी सीर को अपनी औरतों के नाम काश्तकारी लिख दी और अपनी जमींदारी अपने लड़कों के नाम लिख दी। जहां-जहां भी मौक़ा मिला उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम लिख दिया था। तो ऐसी सीर के शिकमी को मौरूसी का हक़ नहीं मिल रहा है और वे अधिवासी सरकिल रेट का दुगुना लगान अदा करेंगे और १० गुना लगान जमा करने पर वह भूमिधर बन पायेंगे उनको कितना घाटा पड़ेगा। इन तिकड़मबाजों ने ग़रीब जनता को किस प्रकार से खन्दक में डाल दिया है इसकी तरफ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मित्र अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा है कि मैंने औरतों पर लांछन लगाया है। जब मैंने यह कहा कि जिन औरतों के शौहर जिन्दा नहीं हैं या जहां पर नाबालिग मालिक हैं उनको उक्त कानून का फायदा मिलना चाहिये। कुछ लोगों ने कहा कि परिवार कैसे मालूम किया जायगा, इसमें बहुत घपला बताया, उनसे मेरी अर्ज है कि इस हाउस में एक कानून और बनाया गया था पंचायत राज, उसके अनुसार गांव-गांव में कुटुम्ब रजिस्टर बना हुआ है। उससे कोई भी घर बाक़ी नहीं है तो यह कैसे हो सकता है कि अदालत उसका ग़लत अर्थ लगायेगी। इस ऐक्ट में भी मेरा ख्याल है परिवार का नाम आया है। परिवार में बाप, मां और भाई आदि होते हैं। राजनैतिक पीड़ितों को भी पेंशन देने के लिये आपने परिवार के बारे में कुछ सिद्धांत रखा है कि कौन-कौन पेंशन पायेगा। इसलिये यह दिक्क़त तो अब है नहीं कि परिवार में कौन-कौन आयेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि भूमि न मिलने वाले लोगों को लाभ पहुंचाया जाय। अगर २५० रुपया से ज्यादा मालगुजारी देने वाली सचमुच विधवा औरत है तो मैंने उसके लिये कब यह मांग की है कि उनको नुक्सान पहुंचा दिया जाय। इसी प्रकार पागल या नाबालिग वगैरह हैं जिनके बारे में अयोग्यता बतायी गयी है, मने उनके बारे में कभी भी यह नहीं कहा कि उन पर कोई किसी किस्म का प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैंने तो यह कहा है कि न्यायालय इसकी जांच करें, सरकार इसकी जांच करे, कानून में आप अधिकार दें, तब अगर यह मालूम हो कि अगर चालबाजी की गयी है तो उसके ऊपर रोक अवश्य लगायी जानी चाहिये। मैं बहुत से ऐसे जमींदारों को जानता हूं जो दूसरे जिलों के हैं और जिनकी हमारे यहां जमीन है, वे अपनी जमीन को बांट कर बेतहाशा लगान बढ़ा कर रुपया कमा रहे हैं। जहां तक राजस्व मंत्री जी का ताल्लुक़ है मैं जानता हूं कि किसानों की भलाई चाहते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये ही यह संशोधन लाया हूं। इस ऐक्ट में कहीं नहीं

[श्री उमाशंकर]

लिखा है कि उनका क्या हश्र होगा। वे अधिवासी होंगे या सीरदार होंगे। मेरा कहना यह है कि उनको सीरदारी का हक़ होना चाहिये, अधिवासी की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने विश्वास दिलाया कि उनको अधिवासी का हक़ होगा लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको सीरदार का हक़ ही होना चाहिये।

श्री चरणसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उमाशंकर जी ने यह कहा कि परिवार की परिभाषा कई जगह दी हुई है, उनकी यह बात ठीक है लेकिन इस धारा के लिये परिभाषा अलग करनी पड़ेगी। परिभाषा वाली धारा जो इस ऐक्ट के शुरू में आयी है उसमें अगर परिवार की परिभाषा होगी तो वह इस अधिनियम की सारी धाराओं पर लागू हो जायगी। इससे यह तो साबित ही होता है कि जो संशोधन माननीय उमाशंकर जी लाये हैं वह नामुकम्मल है। फिर परिवार भी दो तरह के हो सकते हैं, एक ज्वाइंट और दूसरा डिवाइडेड। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे दोस्त लाये हैं वे "इन इटसैल्फ कम्प्लीट" नहीं है। मुईज़ साहब ने जो टेक्नीकल एतराज़ किया था उसका जवाब मेरे दोस्त नहीं दे पाये।

मैं अपने मित्र की इनफरमेशन के लिये बता देना चाहता हूं कि धारा २० में कहा गया है कि जो असमर्थ ज़मींदार हैं और जिनकी मालगुजारी २५० रु० से ज्यादा थी उनकी सीर के काश्तकार अधिवासी होंगे। तीसरी बात मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि वह अधिवासी तो आज के कानून के मुताबिक हैं लेकिन माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन दिया है, अगर वह संशोधन स्वीकृत हो जाय तो अधिवासी और सीरदार में कोई अन्तर ही न रहेगा, रहने देने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

चौथी बात यह है कि अगर अधिवासी को हम सीरदार न भी बनायें और अधिवासी और सीरदार का अन्तर चालू ही रहे तो असमर्थ औरतें व नाबालिग वगैरह भूमिधर हो जायेंगे। अब भूमिधरों के अधिवासी न हो कर सीरदार हो जायं वह अधिवासी न रहें तो उन्हें भूमिधर का हक़ नहीं रह सकता, तब आपको उसके लिये मुआवज़ा देना पड़ेगा। आज मुआविज़े के स्टेटमेंट तैयार हो चुके हैं। जो कम्पेनसेशन स्टेटमेंट रौल है उसमें उनके लिये हमने मुआविज़ा नहीं दिलाया है क्योंकि ये अगर डिसएबिल्ड परसंस थे तो वे भूमिधर बन गये हैं, हमने उनको मुआविज़ा नहीं दिलाया। अगर आपका संशोधन स्वीकार हो तो कम्पेनसेशन स्टेटमेंट रौल फिर रिवाइज्ड हो। इसलिये यह स्वीकार हो ही नहीं सकता। बिना मुआविज़ा दिये हुए हम उनके अधिकार को नहीं ले सकते। क्योंकि ये असमर्थ होने के कारण ही भूमिधर हो चुके तो भूमिधर के अधिकार को ले कर उनकी जमीन में किसी को सीरदार नहीं बनाया जा सकता। अगर माननीय मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार कर लें तो इसमें कोई अन्तर नहीं आता है।

इसी सिलसिले में मैं इतना और कह दूं कि अभी तक मैं अपने माननीय मित्र श्री उमाशंकर जी को संजीदा और शांतिप्रिय सज्जन मानता रहा लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कहा उसे सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस कानून का बार एसोसिएशन में मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, बार एसोसिएशन में तो और भी बहुत सी बातों का मजाक उड़ाया जाता है, केवल कानून का ही नहीं उड़ाया जाता। लेकिन बार एसोसिएशन में जो बैठते हैं वे कानून को जरूर समझते हैं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि केवल ऐसी बातें यहां कहीं जायं जो सही हों तो ठीक है। जहां तक मजाक उड़ाने की बात है, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के मातहत जितने नियम बने हैं आज तक किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवैलिड करार दिया है? मुझे तो आज तक ऐसी कोई मिसाल मिली नहीं।

श्री उमाशंकर—हाईकोर्ट और बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के फैसले में डिफरेंस है।

श्री चरणसिंह—डिफरेंस नहीं है बल्कि दोनों वाकयात मुख्तलिफ़ हैं। दोनों अपनी जगह पर सही हैं। हाईकोर्ट के सामने जो फैक्ट्स गया उस बिना पर उसने अपना फैसला दिया लेकिन हाईकोर्ट ने उस कानून को इनवैलिड नहीं क़रार दिया और न उसका मजाक ही उड़ाया। मैं अपने दोस्त से फिर कहूंगा कि वे जरा दोनों के नजायर देखने की कोशिश करें। मैं इसका विरोध तो करता ही हूं लेकिन इसलिये और भी विरोध करता हूं कि यह बिलकुल गैरजरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के पश्चात् नया खंड ३-क के रूप में रख दिया जाय :—

"३-क- मूल अधिनियम की धारा १० के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रकार के सभी लोगों के परिवार में कोई वयस्क पुरुष जाति का न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—(१) मूल अधिनियम की धारा २० में:

(क) खंड (क) उपखंड (१) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं,

(ख) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "उपधारा (ख) के खंड (१) के" स्थान पर शब्द "खंड (ख) के उपखंड (१)" रख दिये जायं,

(ग) खंड (ख) के उपखंड (१) में संख्या "३२" के स्थान पर संख्या "३३" रख दी जाय,

(घ) खंड (ख) के उपखंड (२) में शब्द "धारा ३२ के खंड (ई) के अधीन १३५६ फसली के लिये तैयार किये गये अधिकार अभिलेख" के स्थान पर शब्द "क्रमशः धारा २८ तथा ३३ के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के खसरे या खतौनी" रख दिये जायं, और

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

(ङ) स्पष्टीकरण २ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण ३ तथा ४ के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण ३—स्पष्टीकरण २ के प्रयोजनों के लिये कोई इन्दराज निहित होने के दिनांक से पूर्व संशोधित किया गया समझा जायगा यदि किसी समर्थ न्यायालय की ऐसी आज्ञा या डिक्री जिसके अनुसार अभिलेखों में कोई संशोधन (correction) अपेक्षित हो, उक्त दिनांक से पूर्व दी गई हो और अन्तिम हो गई हो, चाहे अभिलेखों में अपेक्षित संशोधन न भी किया गया हो।"

"स्पष्टीकरण ४—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के संबंध में "अध्यासी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो १३५६

फसली में उक्त भूमि या उसके किसी अंश का, मध्यवर्ती के रूप में अधिकारी रहा हो।

(२) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड ( proviso ) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी ( occupant ) के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति मूल अधिनियम की धारा २० के खंड (ख) के उपखंड (१) के अधीन ऐसी भूमि का अधिवासी नहीं हो सकेगा, अतएव उक्त उपखंड में कोष्टक में आये शब्द "लागू होती है" के पश्चात् शब्द "अथवा जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न हो" बढ़ा दिये जायं और इस प्रकार किये गये संशोधन के विषय में यह समझा जायगा कि वह मूल अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावशाली था।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) में मद (क) के पूर्व निम्नलिखित नई मद (१-क) के रूप में रख दी जाय:--

"(१-क) शब्द "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,

(क) इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो, " के स्थान पर शब्द " ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो.....

(ख) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो....."रख दिये जायं।

यह तो सीधा सा संशोधन है, इसका मतलब कोई पेचीदा नहीं है हालांकि संशोधन लिखने में जरा बड़ा हो गया है। इसमें केवल ड्राफ्टिंग की बात रही, यह संशोधन कोई संशोधन की गरज से नहीं है कि इससे इसके अर्थ में कोई तब्दीली होती हो।

अगर धारा २० को माननीय सदस्य देखेंगे तो उसमें निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर जो लिखा हुआ है और जिस तरह से मौजूदा रखा गया है। सिर्फ "निहित होने के दिनांक से पहले के दिनांक पर" तो सिर्फ उपखंड (क) के लिये लागू होता है और (ख) के लिये १३५६ फसली का जिक्र आया है और वहा निहित होने के दिनांक से असंगत हो जाता है और जो था उसके होने की वजह दोनों को लागू हो जाता था। अब उसको (क) के लिये लागू कर दिया गया है तो यह केवल ड्राफ्टिंग की थोड़ी सी गलती रह गयी थी, अब वह दोनों के लिये न हो कर केवल (क) के साथ अटैच कर दिया गया है। केवल इतनी सी बात है इसमें डरने और घबड़ाने की बात नहीं है। कोई सब्सटेंस में चेंज नहीं है और मैं आशा करता हूं कि विरोधी लोग भड़केंगे नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में मद (क) के पूर्व निम्नलिखित नई मद (१-क) के रूप में रख दी जाय :--

"(१-क) शब्द 'ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,

(क) इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो,' के स्थान पर शब्द 'ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो..

(क) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो' रख दिये जायं।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री केशभान राय**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (घ) के पंक्ति (३) के शब्द "क्रमशः" को हटा कर पंक्ति ४ में शब्द "के" और "खसरे" के बीच में रख दिया जाय।

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---यह शाब्दिक है और स्वीकार है।

**श्री उपाध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (घ) की पंक्ति ३ के शब्द "क्रमशः" को हटा कर पंक्ति ४ में शब्द "के" और "खसरे" के बीच में रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री सीताराम शुक्ल**---हुजूरवाला, मैं निम्नप्रस्ताव मूव करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद मन्त्री महोदय शायद इसको मंजूर कर लेंगे। प्रस्ताव इस प्रकार है :

"खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ङ) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण ४ निकाल दिया जाय।"

इसका मतलब यह है कि जो शर्त लगायी है कि भूतपूर्व जमींदारों के नाम अगर कोई शिकमी है तो वह तो न छूटे और यदि किसानों के नाम से कोई शिकमी है तो वह न छूट जाय। प्रस्ताव पेश करने वालों की नियत बहुत अच्छी है इसलिये कि यह देख कर कि जमींदारों के पास पैसा था, वे प्रभावशाली थे, हो सकता है उसने फर्जी नाम लिखा लिया हो ग़लत चीज़ लेकिन किसान बेचारे के पास पैसा कहां, उसकी सुनता कौन है, उसका नाम फर्जी नहीं हो सकता। तो ऐसा कानून बना दिया जाय कि जो होशियार लोग हैं, चतुर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं और जिन्होंने अपनी होशियारी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो वह तो हमारे इस कानून से फायदा न उठा सकेंगे। मोटे तौर से बात ठीक मालूम होती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जैसे सब भूतपूर्व जमींदार अच्छे नहीं हैं, उनमें भी बेइमान, धूर्त और दगाबाज हैं, ठीक उसी तरह से किसानों में भी अच्छे बुरे आदमी हैं। चालबाजियां उधर से भी हुईं और इधर से भी हुईं। आज जब कानून कायदा बन गया है तब भी कुछ जमींदारियां ऐसी हैं कि वहां जमींदारी टूटने का कोई असर नहीं हुआ। आज भी वहां काश्तकार की हिम्मत नहीं है कि जमींदार के हुक्म से इन्कार कर जाय। मुझसे किसानों ने खुद कहा कि हम लोग तुम से शिकायत कर सकते हैं लेकिन लिख कर दरख्वास्त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा घर जलवा दिया जायगा। लेकिन इसके साथ मैं यह भी अर्ज करता हूं कि अच्छे और शरीफ जमींदार भी हैं। जो बुरे थे उन पर कानून का कोई असर नहीं पड़ा। हां, जो भले हैं उनको आप भले ही सजा दे लें।

दूसरी चीज़, इस पर भी हमें गौर करना है कि यह न तो जमींदारों की शिकायत है और न काश्तकारों की, बल्कि पटवारी साहब ने बहुत दूरदर्शिता से अपना काम किया और अपने खाते में वह फर्जी नाम लिखते रहे। ताकि जब मुक़दमा फंसेगा तब उस समय रुपया या तो इधर से मिलेगा या उधर से मिलेगा। पटवारियों के बारे में हाउस जानता है कि उन लोगों ने कितनी फर्जी कार्यवाही की है। कोई भी कानून कायदा बनने पर उन्होंने हमेशा अपने फायदे के रास्ते निकाल लिये हैं। किसान बेचारे को पता भी नहीं लेकिन उसका नाम दूसरे की जमीन पर लिख दिया गया। आप को क्या बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, मकान के सामने की जमीन किसी की है और पीछे की जमीन किसी और की। मैं आप से कहता हूं कि जहां ऐसे जमींदार हैं वहां उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहां मेरे कमबख्त कानों ने सुना है कि कांग्रेसी जमींदार जो खद्दर पहिनते हैं उन्होंने आ कर कहा कि पंडित जी,

[श्री सीताराम शुक्ल]

यह कानून आप बनाते हैं कि जमीन पर जिसका क़ब्जा हो, वह उसको मिल जाय। तहसील बांसी का वाकया है। उसकी सीर पर काश्तकार ने कहा कि हमारी जमीन है और मुझको मिलना चाहिये। मुकदमा हो गया और उसकी डिगरी हो गयी उसके बाद उसके लड़के ने बचे हुये खेत पर दावा किया और उस पर भी डिगरी हो गई। इस तरह से जमींदार को बुरी तरह अपने खेतों से हाथ धोना पड़ा। कानून एक होता है वह छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो लेकिन वह सब के लिये एक होता है। संस्कृत का एक श्लोक है : अग्नि दाहे न में दुखं न दुखं लौह ताड़नात एतद मंह दुखं गुंजयासः तौलनम्, सोना कहता है कि जब हमें परखा जाता है और उसके लिये जब हमें कसौटी पर घिसा जाता है तो हमें कोई चिन्ता नहीं होती, उसके लिये अगर हमें आग में डाला जाता है तो हमें कोई चिन्ता नहीं होती, हमें हथौड़ी से पीटा जाता है, तो कोई चिन्ता नहीं लेकिन चिन्ता हमें जब होती है जब हमें घुंघची से तौला जाता है। मुल्क आजाद हो गया। तिरंगा फहरा रहा है, पूरे देश में, लोग वर्गहीन समाज बनाना चाहते हैं लेकिन यह क्या इन्साफ है कि एक के लिये कुछ हो और दूसरे लिये कुछ और। अभी मेरे मित्र ने फरमाया कि कोई कानून बदला नहीं गया। मुझे डर है कि अगर कहीं कोई रिट दाखिल हो गया तो इसे बदल न दिया जाय। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को वैलिड रखने के लिये आप को संविधान को चेंज करना पड़ा, इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि कानून बनाने में जल्दी न कीजिये। एक निगाह से देखिये। जमींदार ने भी आप को सपोर्ट किया है, किसान ने आप को सपोर्ट किया है। किन्तु किसान ने आप को सिर्फ वोट ही दिया है जब कि जमींदार ने आपको वोट और नोट दोनों दिये हैं। इस-लिये मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि सब के लिये कानून एक से बनने चाहिये। इसलिये मैं अदब के साथ आप से अर्ज करता हूं कि इन्साफ, इन्साफ है, किसान हो या जमींदार हो, ग़रीब हो या धनी हो। इन्साफ सबके साथ एक सा ही होना चाहिये। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि वोट तो मैं अपना दूंगा क्योंकि पार्टी का सदस्य हूं, डिसिप्लिन को मानूंगा, पार्टी के डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप अपने दिमाग का दरवाजा जरा कुछ और चौड़ा कीजिये। राजनीति की मोटी बात है कि अगर किसी पर सख्ती की गई तो उस पर नरमी भी की जाती है.....

श्री चरणसिंह—मैं आपकी इजाजत से यह जानना चाहता हूं कि वह संशोधन है क्या, हाउस में जिसका विरोध आप कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष ( श्री सीताराम शुक्ल से )—माननीय सदस्य क्या अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल—जी हां।

*श्री उम्मेदसिंह—मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। यह जो स्पष्टी-करण ४ बढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ यह है कि कोई भी जमींदार छोटा या बड़ा, अगर वह बिला फैसला किसी जमीन पर काबिज है तो वह अधिवासी नहीं हो सकता। तो उपा-ध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में बहुत से ऐसे जमींदारान हैं जो खेवटदार थे जिनके पास एक बीघा भी खुदकाश्त या सीर नहीं थी। वह लोग बड़े-बड़े जमींदारों के यहां शिकमी या वैसे बिला फैसला काबिज थे। उनके पास जो भूमि आक्युपेंट के रूप में थी उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि वह लोग अधिवासी नहीं हो सकते। ऐसी हालत में यह स्पष्टीकरण ४ जो बढ़ाया जा रहा है यह उन छोटे जमींदारों के लिये जो कि काश्तकारों से भी बदतर हैं उनके लिये बहुत ही घातक है और इसी दृष्टिकोण से इसका यह जो संशोधन सीताराम जी शुक्ल जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं इन थोड़े से शब्दों में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सम्मुख यह जो संशोधन हमारे माननीय सीताराम जी शुक्ल ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी जानकारी में इस प्रस्तुत विधेयक में जो प्राण है जो प्रगतिशीलता है वह यही स्पष्टीकरण है। इस स्पष्टीकरण के कारण ही इसके अन्दर चार चांद लग जाते हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेशीय सरकार की भूमि व्यवस्था का प्राण-स्वरूप है। धारा २० के अन्तर्गत जिस समय उन्होंने यह विधान बनाया था कि १३५६ फसली में यह अध्यासी के रूप में जो कोई भी काबिज हो, उनको अधिवासी का अधिकार दिया जाय, उसमें एक कलंक था और वह कलंक यह था कि मध्यवर्तियों ने नाजायज फायदा उठा करके अपना नाम दर्ज करा लिया था। सरकार को यह बात बहुत बाद में मालूम हुई और उसके बाद यह परिशोधन होना जरूरी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो युगवाणी को नहीं समझ पा रहा है, जो समय की प्रगति को नहीं समझ पा रहा है उसके लिये मैं क्या कहूं। इस स्पष्टीकरण को निकालने के लिये जो तर्क दिये गये या जिन माननीय सज्जनों ने इसके विपरीत में कुछ कहा है, मैं उनके सामने केवल यही बात कहूंगा कि वह युग की वाणी को नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोगों के अधिकार में एक नहीं अनेक लोग थे, लेखपाल थे, उनके अधिकार के अन्तर्गत ऐसी सामग्रियां थीं उनके पास कि उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया था। नाजायज दर्ज करा लिया था। सरकार के पास तो ऐसे लेखों के आंकड़े आते हैं। आंकड़े देख करके ही सरकार कोई कदम उठाना चाहती है और सरकार की तरफ से यह जो संशोधन आया हुआ है यह बहुत ही उचित है और प्राणस्वरूप है। इसका विरोध किसी प्रकार से नहीं होना चाहिये।

*श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीताराम शुक्ल जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। जो स्पष्टीकरण नम्बर ४ यहां पर उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में जरा कानून की दृष्टि से देखना आवश्यक है। स्पष्टीकरण इसलिये आवश्यक हो गया कि मूल अधिनियम में धारा २३२ के अनुसार यह अधिकार उन अधिवासियों को दिया गया था जो धारा २० के अनुसार वह अधिकार प्राप्त कर सकते थे। तो जब यह मामले अदालत में गये तो उनके अनुसार यह देखा गया कि १३५६ फसली के खसरे में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज पाया गया वह इस धारा के अनुसार दरख्वास्त दे सकता है, यह मतलब निकलता था और इसमें उन व्यक्तियों को अधिकार मिल सकता था जो किसी भूमि के मध्यवर्ती रहे हों। तो यह असंगत सी बात मालूम होती थी क्योंकि वह व्यक्ति जो उस समय मध्यवर्ती के रूप में था वह अब अधिवासी के रूप में आकर प्रार्थना-पत्र धारा २३२ के अनुसार दे सके तो यह बात असंगत सी मालूम होती। इसलिये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण में यह दिखाया गया है कि जो व्यक्ति १३५६ फसली के खसरे में अगर कहीं नहीं दर्ज है यानी कैफियत के खाने में दर्ज पाया जाता है तो उस व्यक्ति को अधिवासी के अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

मुझे यह आश्चर्य होता है कि श्री सीताराम जी शुक्ल ने कैसे यह संशोधन पेश किया है कि इस स्पष्टीकरण को हटा दिया जाय। अगर वह यह चाहते हैं तो उसके माने यह हो जाते हैं कि जो व्यक्ति उस समय जमींदार रहा हो या मध्यवर्ती रहा हो वह अब अधिवासी के रूप में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और कब्जा पा सकता है। क्या यह किसानों के विरोध में नहीं जाती है और असंगत सी नहीं मालूम होती है। जैसा कि अभी हमारे मित्र श्री रामलखन जी मिश्र ने कहा, उसके अनुसार जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक की जो मंशा है वह बिलकुल यही है कि जो काश्तकार हैं उनको सहायता पहुंचायी जाय। जैसा कि आपने अभी बतलाया कि १३५६ फसली के खसरे में पुराने जमींदारों ने लेखपालों से मिलकर या तहसील में जाकर अपना नाम कैफियत के खाने में दर्ज करा दिया है। यह बहुत सी जगह हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)]

हैं। हमारे जिले में भी पुराने जमींदारों ने अपने नाम दर्ज करा दिये हैं और सैकड़ों जमींदारों ने धारा २३२ के अनुसार अदालत में दरख्वास्तें दे दी हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता थी कि वह लोग भूतपूर्व जमींदार थे और जिनका नाम १३५६ फसली के खसरे में दर्ज हो गया था या करा लिया था उनको अधिकार प्राप्त न हो सके और वह अदालतों में न जा सकें, यही इसका मंशा है। इसलिये मैं शुक्ल जी के संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीताराम जी का जो संशोधन है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं। माननीय शुक्ल जी ने जैसा अभी अपने विरोध में बतलाया कि जमींदार का लड़का भी जमींदार होना चाहिये तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। शुक्ल जी के दिमाग में अब भी वही बू आ रही है जो उस समय जमींदारों में थी। उन्हें मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिये कि उन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद गरीबों की मदद में अपना जीवन लगा दिया।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य माइक्रोफोन पर बोलें और धीमी आवाज से बोलें तो आवाज अच्छी आयगी।

श्री हरिसिंह---आज हमारे शुक्ल जी ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जिसे चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई भी पार्टी हो, मानने के लिये तैयार नहीं हो सकती है सिवाय जमींदारों के और कोई इसको मानने के लिये तैयार नहीं होगा, जो सच्चा देश सेवक है और अपने राष्ट्र की उन्नति चाहता है। आज जबकि जमींदारों की जमीदारियां समाप्त कर दी गयी हैं तो वह भी तैयार नहीं होंगे कि जो दबा हुआ वर्ग है उनको अधिकार न दिये जायं। हां, एक बात हो सकती है कि कम से कम इतने अधिक दिनों से जिनको पीड़ा महसूस हुयी है और दो वर्ष के बाद जमींदार व्याकुल हो उठें और अधिकार मांगने लगें, लेकिन किसान जब अपने अधिकार मांगते हैं तो उनके अधिकारों के लिये शुक्ल जी इस तरह का संशोधन लाते हैं इसको देखकर मुझको बड़ा दुःख हुआ। एक पार्टी के सदस्य का इस प्रकार संशोधन लाना कहां तक उचित हो सकता है। जिस जमींदारी के लिये हमने इतना आंदोलन किया, युद्ध लड़ा, अंग्रेजों को यहां से निकाला, उसके बाद जमींदारों को समाप्त करने की पूरी योजना बनायी, मुसीबतें झेली, आज हममें से वही लोग दुःख के साथ कहना पड़ना है, इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार के संशोधन लाते हैं। मुझे दुःख होता है और मैं अपने माननीय शुक्ल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना यह संशोधन वापस लें और एक राष्ट्रीय सिपाही को इस प्रकार के संशोधन नहीं लाने चाहिये। हमारी कभी ऐसी न तो नीति रही और न हमारे नेताओं की या राष्ट्रीय नीति रही, बल्कि यह सदैव नीति रही है कि हर एक को पूर्ण अधिकार और समानता दी जाय। आज किसानों का खून वह चूसते रहे और दबाते रहे और उन्होंने सहन किया आज मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य को इतना भी सहन नहीं हो सका। अभी तो वह नौबत आने वाली है कि जो खेती स्वयं कर सकता है उसी के पास जमीन रहेगी। यह देश की पुकार है और जनता की पुकार है, उनकी भले ही न हो। यह नहीं कि जिसको अब तक लोगों ने कमा कमा करके दिया वही अब भी खायें। आप कहते हैं कि माननीय मंत्री जी का दिमाग चौड़ा होना चाहिये। यदि उनका दिमाग चौड़ा नहीं होता तो आज वह गरीबों की पुकार यहां नहीं लाते, जिससे कि सारी जनता की जो मांग है उसकी वह पूर्ति कर रहे हैं। आपको तो उनका आभारी होना चाहिये। इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप यह संशोधन वापस ले लें।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सीताराम शुक्ल के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आज सदन में देखता रहा कि किस प्रकार व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वह किसी दल होने के नाते उन्हें खो बैठता है। आज मैं शुक्ल जी की सराहना करूंगा कि उन्होंने अपने मत और विचार निर्भयता से इस सदन में प्रकट किये, चाहे माननीय रामनरेश जी कितनी भी शिकायत बाद को करते रहें, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ सकता। श्रीमन्, मैं यह सुनता रहा और कुछ दुःख के साथ सुनता रहा कि आज भी कुछ माननीय सदस्य इसमें अपने को एक उच्च स्थान पर बैठा हुआ समझते हैं, जबकि वह कहना शुरू कर देते हैं कि जमींदारों को समाप्त करने की योजना बनायी। मैं यह चाहता था कि अगर जमींदारी प्रथा आप समाप्त करते तो वह किसी माने में आपकी विचारधारा के अनुकूल होता और किसी औचित्य पर हो सकता है, लेकिन जो माननीय सदस्य माइक्रोफोन से लड़ते रहे, पर जिनके भाषण को मैं प्रयत्न करने पर भी न समझ सका उन्होंने दूसरी ही मनोवृत्ति का परिचय दिया। श्रीमन्, वह अपने विरोध के आवेश में कुछ देर तो माइक्रोफोन से लड़ते रहे और कुछ देर के उपरान्त उनकी वह भावना प्रकट हुयी जिसके छिपाने के प्रयास में आज तक बहुत सी बातें कही गयी हैं। उन्होंने जमींदारों को समाप्त करना चाहा था। यदि इस पर उन्हें कोई बदनीयत कहे तो उन्हें बुरा मालूम होता है और कहते हैं की नीयत पर क्यों हमला करते हो। मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग कर रहा हूं।

श्रीमन्, जहां तक उस दल के लोग यह कहते हैं कि जमींदारों ने लेखपालों से गलत इन्दराज कराये। श्रीमन्, मैं नहीं समझता हूं कि अब इस उत्तर प्रदेश में वह जमींदार कौन है जो कि लेखपाल को विवश करके अपने हित में लिखा सके। श्रीमन्, इन्दराज तो आज अपने हक में तभी होता है जबकि कांग्रेसी टोपी हो, कुर्ता हो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलने का मौका हो और फिर लेखपाल की बुराइयां की जायं और उन शिकायतों से उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। श्रीमन्, आज वह जमींदार जिसका उस देहात में रहना असम्भव हो रहा है, जिसको पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर के रूप में जो कुछ भी वादा किया गया था वह भी आज नहीं मिल रहा है, जिसका आज जीवन दुर्भर है, जो सब चीजों पर स्वामित्व खोकर के आज जीवित रहने के लिये परेशान है उस जमींदार के लिये यह कहा जाय कि लेखपाल से गलत इन्दराज कराया, यह बिलकुल समझ में नहीं आता। एक वकील साहब हैं प्रतापगढ़ के, उनसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं उन्हें बड़ा गम्भीर व्यक्ति समझता था जब उन्होंने यह कहा कि जमींदारों ने यह कराया.....

**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे मित्र जानना चाहें तो मेरे पास इस समय भी कागजात हैं मैं दिखा सकता हूं।

**श्री अवधेशप्रताप सिंह**---श्रीमन्, मेरे पास भी बहुत से कागज हैं जोकि उचित समय पर बतलाऊंगा कि इसी सदन के एक सदस्य बल्कि एक सभासचिव भी लेखपाल से जबर्दस्ती इन्दराज कराते हैं और इस बात का सबूत दूंगा, कोई निराधार बात नहीं कहता हूं। श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि भविष्य में यह किसी माने में भी वैधानिक करार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह एक ही वर्ग में भेद-भाव करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुकूल किसी एक ही वर्ग के लोगों में आप इस तरह का भेद-भाव नहीं कर सकते हैं अगर एक क्षण के लिये यह भी मान लिया जाय कि उन जमींदारों को आप वह अधिकार नहीं देते हैं जो कि किसानों को या गैर लोगों को दे रहे हैं तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को जो यह गर्व था कि उनके द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये किसी भी विधेयक को किसी न्यायालय ने अवैध घोषित नहीं किया है वह गर्व टूट जायगा। माननीय सीताराम जी शुक्ल के अनुसार यह संशोधन करके आप संविधान की पवित्रता को आघात पहुचायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमला सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने माननीय सीताराम शुक्ल ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हूं। जहां तक स्पष्टीकरण का सवाल है मैं इस सदन के सामने उसको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ताकि फिर कोई गलतफहमी न हो सके। उसमें लिखा है, "इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के सम्बन्ध में अध्यासी के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो १३५६ फसली में उक्त भूमि या उसके किसी अंश का मध्यवर्ती के रूप में अधिकारी रहा हो।" यदि देखा जाय तो १३५६ में जब जमींदारी टूटी उस वक्त कोई भी जमींदार किसी भी खेत को किसी भी रूप में अगर जोतता था तो उसका वह सीरदार या खुदकाश्त होल्डर कहा जायगा और जो इन्दराज कागजात के अन्दर होंगे वे इस बात को साबित करेंगे कि वह खेत जो कोई भी मध्यवर्ती या जमींदार जोते हैं उसकी खुदकाश्त है या सीर है। तो जहां तक सीर या खुदकाश्त का सवाल है अगर उसको जमींदार खुद जोतता है तो उस वक्त कोई भी तीसरा व्यक्ति चाहे वह आक्यूपैंट कहा जाय या कुछ भी हो वह आक्यूपैंट के नाम पर नहीं आ सकता और इस तरीके पर मेरा ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जमीन को जोतता है तो वह उसका सीर या खुदकाश्त होल्डर ही कहा जायगा। यह रास्ता जो अध्यासी के लिये खुला हुआ है वह कोई भी काश्तकार जो किसी रूप में है, अगर वह जमींदार नहीं, उस जमीन को खुद जोतता है, उस पर काबिज है, तो वह किसी रूप में सीरदार या खुदकाश्त होल्डर नहीं कहला सकता है। उसके लिये यह अध्यासी शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिये आज इस सदन के अन्दर जो झगड़ा सुन रहा हूं, कि इंटरमीडियरी को आकूपैंट माना जाय यह बहुत बड़ी भूल है। यह कहना अनुचित न होगा कि उन लोगों ने शायद ठीक से इस संशोधन को या स्पष्टीकरण को पढ़ा न होगा। मैं यह भी कहूंगा कि अगर उन्होंने आकूपैंट की परिभाषा को पढ़कर इसका मनन करें तो कोई भी इस बात के लिये तैयार नहीं होगा कि कोई भी मध्यवर्ती जो किसी भी जमीन को जोतता है वह अध्यासी कहा जाय। इस तरीके पर हमें यह ताज्जुब है कि यह संशोधन हमारे माननीय सीताराम शुक्ल, जो डाभिनेटिंग पार्टी के हैं, उनकी तरफ से आया है। मैं उम्मीद करता था कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जो इस सदन के सामने अभी अपनी करुण पुकार कर चुके हैं अगर वह इस चीज को लाये होते तो मुझे ताज्जुब न होता। लेकिन फिर भी मैं माननीय सीताराम जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। रस्सी जल गयी लेकिन ऐंठन न गयी। जमींदार के नाम अब भ्रम में डालने की कोशिश न करें। न्याय होना चाहिये। यह एक कानून है जिसका इंटरप्रिटेशन अदालतों में होगा। गलत चीज सदन में नहीं लानी चाहिये। हर बात को सच्चे रूप में सदन में रखना चाहिये। अभी हमारे माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने यह बतलाया कि धारा २३२ के मुताल्लिक अधिवासी सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो कि टेनैंट्स हैं या मध्यवर्ती नहीं है। वह चैप्टर ९ के अन्दर आता है। चैप्टर ९ में दफा २३४ और २३७ यह सब धारायें पढ़ें तो साफ तरीके पर मालूम होगा कि अधिवासी कौन से लोग गिने जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि चैप्टर ९ को कोई भी आदमी पढ़े तो उसकी आंखें खुल जायंगी। मैं कहता हूं कि इस स्पष्टीकरण का आना बहुत जरूरी है। उसके आने पर सारी गलतफहमी खत्म हो जायगी। मैं समझता हूं कि इससे नीचे की अदालतों में, कलेक्टर, एस०डी० एम० जुडीशयल मैजिस्ट्रेट के यहां इसके इंटरप्रिटेशन में जो गलतफहमी हो सकती है वह भी दूर हो जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सीताराम शुक्ल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मंत्री विवाद के बीच में इटरवीन करेंगे?

श्री चरणसिंह---जी हां। एक बात जरा सी अर्ज करूंगा। श्रीमन्, संशोधन विधेयक में जैसी धारा है उसका उद्देश्य यह है कि अगर मध्यवर्ती ने स्वयं अपने आप को कैफियत

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

के खाने में लिखा कर अध्यासी दर्ज करा लिया और जो कानून है उसके मुताबिक आकूपेंट बन गया, अधिवासी बन गया, तो उसको अधिवासी के अख्तियारात नहीं होंगे अर्थात् मध्यवर्ती को स्वयं अपना अधिवासी नहीं माना जायगा। श्रीमन्, इससे कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे मामलात हुए हैं हमारे सूबे के अन्दर, जहां जमींदारों ने कागजात में अपने को, अपने ही काश्तकार का, सीर के काश्तकार का शिकमी दर्ज करा लिया। तो इसका मतलब यह है कि खुद अपने ही सब-टेनेन्ट हो गये तो ऐसे जमींदार अधिवासी न माने जायं अर्थात् जिस काश्तकार को उन्होंने आबाद किया था अपनी तरफ से उसके हक को वह बैकडोर से न छीन लें। श्रीमान्, इस तरह के केसेज गोंडा जिले में काफी तादाद में गवर्नमेंट की नोटिस में आये ठेकेदारों की तरफ से। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। ठेकेदार हमारे कानून के मुताबिक इंटरमीडियरी हैं। जमीन पर कब्जा छोड़ दिया और जमीन काश्तकारों को दे दी थी लेकिन किसी भी तरह से उनके नाम अकूपेंट्स में दर्ज हो गये। काबिज वे नहीं हैं, काश्तकार हैं लेकिन जैसा कानून है उसकी रू से अपने काश्तकारों को बहैसियत अकूपेंट के बेदखल करा सकते हैं। जिस वक्त विधान मंडल ने यह अधिनियम पास किया था तो यह मंशा कदापि नहीं थी और क्योंकि असली मंशा खत्म हो रही है इसलिये अब इस कानून के द्वारा वह नुक्स दूर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सीताराम जी शुक्ल यह समझते हैं कि जमींदारों के खिलाफ कुछ प्रिजुडिस है। आज कोई जमींदार है भी नहीं, सब किसान ही हैं और यह हमारा उद्देश्य रहा है कि हम अपने को किसी वर्ग विशेष के ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के भी दुश्मन नहीं मानते और न यह समझते हैं कि क्योंकि किसी वर्ग विशेष के कुछ व्यक्ति सदस्य हैं इसलिये बेईमान हैं, धोखेबाज हैं और न यह मानते हैं कि दूसरे वर्ग के आदमी ईमानदार होते हैं। न वर्ग विशेष का सवाल है, न व्यक्ति विशेष का और न बेईमानी का सवाल है और न ईमानदारी का। हमने सूझ बूझ कर जो नीति निर्धारित की थी उसको पूरा करने के लिये जो कानून बनाया था उस कानून में यह बात समझने से हम चूक गये कि ऐसे भी केसेज हो सकते हैं कि जमींदार खुद ही अपना अधिवासी हो जाय और बाकी किसी की नियत पर हमला करने का इरादा है नहीं। मैं अपने माननीय मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि वह ऐसे ख्यालात अपने दिल से निकल दें।

**श्री शिवनारायण**—मैं आप की इजाजत से इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। जैसा कि हमारे माल मंत्री जी ने बतलाया कि गोंडा जिले में इस क़िस्म के फर्जी केसेज हुए आज भी वही दशा मेरे जिले बस्ती में भी है। हम लोग छोटे-छोटे किसान हैं दो-दो बीघे के। आज भी हमारे जिले में जमींदार इस किस्म के हैं कि उन्होंने सन् ५९, ६० और ६१ में आप की इजाजत से माल मंत्री के गोश गुजार करना चाहता हूं ऐसे-ऐसे फर्जी इन्दराज करवाये हैं और आज भी पटवारी लोग १००, १०० रुपये एक-एक इन्दराज के लेते हैं। वे जमींदार जिन्दा हैं और काबिज हैं। कहने को जमींदारी खत्म हो गई कागज पर, लेकिन प्रेक्टिकली खत्म नहीं हुई। आज भी हमारे यहां कांसिपिरेसीज होती हैं और लाठी, डंडे और पिस्तौल का जोर है। मैं मुबारकबाद देता हूं माल मंत्री जी को। जो अमेंडमेंट आया है बड़ा क्रान्तिकारी है और कानून का जो लंगड़ापन था वह दूर हो गया। आज हमारे मालमंत्री जी ने चकबन्दी कानून बना कर ग़रीबों को जान प्रदान कर दी और ४ लाख आदमियों को सांस आ रही है। मैं तो समझता हूं कि भूमि व्यवस्था के मामले में टोडरमल को चरणसिंह जी ने रिप्लेस किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि वह हमारी बातों को शान्ति के साथ सुनें। जब वह कल बोल रहे थे तो हम उनको शान्ति के साथ सुन रहे थे। कल उन्होंने कश्मीर की मिसाल दी थी और दूसरी जगह की भी मिसाल दी थी लेकिन आज मैं उनको पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वह कछुये की चाल चल रही है। वह क्रांति को क्रांति से नहीं करना चाहती। वह तो लहमे-लहमे यहां पर क्रांति करना चाहती है और उसने जो काम किसानों के लिये किया है उसके लिये मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। ग़रीब खेतिहर मजदूरों के लिये मुसीबत को हल करने के लिये जो उपाय किया गया है वह उसके लिये धन्यवाद की पात्र है।

[श्री शिवनारायण]

५९, ६० वाले जो जमींदार वर्ज थे उनको निकाला जा रहा है । हम भी इसके ऊपर संशोधन देना चाहते थे लेकिन इसको स्वयं सरकार ने ही कर दिया है। हमारे अवधेशप्रताप सिंह जी बड़े परेशान हैं और वह जल्दी ही उबल जाते हैं लेकिन आप अपने अमालों को याद नहीं करते हैं । आज भी देहात के अन्दर आप के आमाल ज्यों के त्यों बने हुये हैं और आज भी नंगा नाच हो रहा है । लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी को ठीक रखे दूसरे लोग जो जनता का अहित करना चाहते हैं और १००,५० रुपया ले कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उनसे जनता को बचाया जा सकता है । हमारी सरकार ने इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया है कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनको बसाया जाय और उनको ठिकाने लगाया जाय । अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन और करूंगा कि जो २० गुना रखा गया है उसके बजाय १० गुना रखा जाय तो हमारा हर एक अधिवासी ६ महीने के अन्दर यह रुपया जमा कर देगा ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, दफ़ा २० में आकुपेंट का शब्द आया हुआ है । इसके पहले भी दफा १६ में आकुपेंट का शब्द आ चुका है । यह जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट है इसमें इसकी परिभाषा नहीं है और न तो सेक्शन ३ में है और न उसके बाद कहीं पर दी हुयी है । अब परिभाषा न देने की वजह से बहुत परेशानी तहसीलों में हुई है और विभिन्न जिलों में इससे पेचीदगी पैदा हुई है । मैंने जब यहां पर बातचीत की तो बहुत से साथियों ने चाहे वह इधर के हों और चाहे उधर के तो बहुत जिलों से ऐसी खबरें हमको मिलीं कि मध्यवर्तियों में अधिकतर वे लोग आते हैं जो नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं चाहे वह जमींदार हों या जमींदारों से सम्बन्धित ठेकेदार हों कोई भी हों जो लोग, इस सेक्शन में जो दफ़ा २० है जो पिछले साल संशोधित हुयी है, उसके अनुसार जिनका नाम १३५६ फसली में दर्ज था अब २३२ के अन्तर्गत उनको यह हक़ हो गया कि दोबारा उन खेतों पर जिनको वह छोड़ चुके हैं उनके ऊपर अपना कब्जा प्राप्त कर लें । अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी विचित्र अवस्था आपके सन्मुख आने जिले की रखता हूं कि जिसके लिये मुझे इत्मीनान है कि वह वाक़यात और ऐसी कहानी दूसरे जिलों में हुयी होगी । हमारे भवन के जितने सदस्य हैं उन सब को मालूम है कि जो जमींदार थे या जमींदारी का हक़ जिनको था उन लोगों को ३० जून, सन् १९५२ तक अपनी सीर की जमीन काश्तकारी पर हक़ हासिल था । १३५६ फसली से लगातार ३, ४ साल से लोग सोच रहे थे, और जमींदारी विनाश का प्रचार हो ही रहा था और यह सब को मालूम हो गया था कि मध्यवर्तियों की जमींदारी नहीं रह सकती तो उसके बाद उन्होंने यह प्रयास किया कि रुपया लेकर या रिआयत कर के लोगों के नाम जमीन को उठा दिया जाय । सन् ४९ से लेकर ५२ तक मैं समझता हूं कि मध्यवर्तियों ने सैकड़ों और हजारों आदमियों को जमीन दी होंगी, और हमारे जिले में स्पेशली हमारी तहसील में महाराजा बलरामपुर ने बगैर एक पैसा लिये हुए हजारों आदमियों को जमींनें दीं । लेकिन एक विचित्र बात यह हुयी कि वहां एक गांव के लिये एक-एक ठेकेदार रक्खा हुआ था और इस ठेकेदार की परिभाषा मध्यवर्ती में आ जाती है और ठेकेदार का नाम सन् १३५६ फसली में दर्ज भी था, हालांकि वह खेत छोड़ चुका था और रियासत के कहने से ५७-५८ फसली में उसको काश्तकार को दे दिया था लेकिन लालच के वशीभूत होकर, कायदे कानून का फायदा उसने उठाना चाहा। इसी प्रकार से दूसरी तहसीलों में, जमींदारों ने दफ़ा २०-२३२ के अन्तर्गत सैकड़ों और हजारों दावे गोंडा जिले में दायर कर दिये, जिनका मतलब यह था कि जमीन पुनः उनको वापिस की जाय जिसको ५-६ साल पहले वह, कुछ रुपया ले कर अथवा बिना कुछ लिये उसने छोड़ दिया था । अगर माननीय मंत्री जी का संशोधन स्वीकार नहीं किया गया और जैसा कि माननीय सीताराम जी ने कहा है, वह चीज मान ली गयी तो उसका मतलब यह होगा कि समाज में एक

बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायगी। जो लोग ५-६ साल से जमीन जोत रहे थे, जिन्होंने सरकार को भी लगान दिया और जमींदार को भी दिया है, उनको बेघरबार तथा बेकार हो कर जमीन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि गरीब आदमियों को जमीन न मिले। अतः मैं सीताराम शुक्ल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ माननीय सीताराम जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। माननीय सीताराम जी के संशोधन का यदि मैं विरोध नहीं करता तो शायद जो हजारों की तादाद में जोतने वाले किसान हैं, उनकी जमीन छिन जायगी और वह उनके पास चली जायगी जिन्होंने जालसाजी करके अपनी भूमि में अपने को अध्यासी दर्ज करा दिया था। माननीय अवधेशप्रताप जी को इससे नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खास तौर से किसी के लिये नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों का नाम १३५६ फसली में अध्यासी की तरह दर्ज था, जब उन्होंने यह देखा कि सरकार फैसला १३५६ के अध्यासी के हक़ में होने जा रहा है, उनको मौरूसी होने का हक़ दिया जा रहा है तो उसके बाद यह कोशिश की गई कि दर शिकमी या किसी और तरह के नाम लिख दिया जाय ताकि १३५६ में वह आदमी काबिज समझ लिया जाय। तो इस विधेयक की उन बातों को जिनको हम पसन्द करते हैं, उनमें यह भी एक बात है और इसके जरिये से हम उन ग़रीब लोगों को कुछ सहूलियत देने की बात सोचते हैं। माननीय राजस्वमंत्री जी ने और माननीय बलभद्रप्रसाद जी ने मेरा बोझ काफी हल्का कर दिया क्योंकि जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया उसको मैं भी कहना चाहता था लेकिन मैं कुछ और बात भी कहना चाहता हूं कि न सिर्फ गोंडा में ही यह बात हुई है बल्कि इसी प्रकार से दूसरी जगहों पर भी इसी प्रकार से नाम लिखाने की कोशिश की गयी। और फिर माननीय सीताराम जी शुक्ल ने जो कुछ कहा उसका अर्थ यह होता था कि मध्यवर्ती अगर कहीं पर शिकमी जोते तो उसे इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, यह अन्याय है। माननीय सीताराम जी ने यह कहा कि मध्यवर्ती तो वहा शिकमी होगा ही नहीं यानी मध्यवर्ती की जमीन पर कोई दूसरा आकुपेंट पहले से दर्ज हो और अपने को आकुपेंट दर्ज करावे तो उसमें उसको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर मध्यवर्ती ने दूसरे की जमीन में जाकर शिकमी होता तो उसको वही अधिकार हासिल होगा जो दूसरे आकुपेंट को दूसरी जगह पर हासिल होगा। इसलिये यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई खास दिक्कत पड़ती हो। इसमें यह नहीं है कि किसी का हक़ छीना जा रहा हो। ऐसी बात नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि अगर माननीय बलभद्र जी पहले ही श्री सीताराम जी को समझा लिये होते तो इस तरह का संशोधन नहीं आता। और अगर संशोधन आ भी गया तो फिर बातचीत हो गयी होती। तो मैं समझता हूं कि माननीय बलभद्र जी को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती और श्री रामसुन्दर पान्डेय जी को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन मालूम होता है कि न तो श्री रामसुन्दर जी से माननीय बलभद्र जी ने ही कोई बातचीत की और न माननीय बलभद्र जी से श्री रामसुन्दर पांडेय जी से ही कोई बातचीत की। अब माननीय राजस्व मंत्री जी के इतना स्पष्टीकरण करने के बाद मैं माननीय सीताराम जी शुक्ल से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में जो चर्चा हुई है, आप की आज्ञा से मैं उसको जरा पढ़ देना चाहता हूं। ४ (४) का स्पष्टीकरण यह है :--

श्री अध्यक्ष--यह तो यहां कई बार पढ़ा जा चुका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री जोरावर वर्मा**—अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह बतलाना चाहता था कि यहां जमींदार से तात्पर्य है कि वे जमींदार अपनी भूमि के जिसके कि वे मध्यवर्ती हैं अधिवासी हो ही नहीं सकते। इससे यह अर्थ निकलता है और माननीय शुक्ल जी ने बतलाया, पता नहीं इसको उन्होंने क्या समझा कि अगर कोई जमींदार है और वह दूसरे की जमीन पर अध्यासी है तो उसके लिये यह लागू नहीं होगा। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अगर कोई इंटेंशनली (नियत से) पटवारी या कानूनगो या जो और रेकार्ड सम्बन्धी अधिकारी हैं अगर उनसे मिल कर वह ऐसा लिखवा ले कि वह जमीन उसकी जोत में है तो उसका नाम न हो। इसलिये यह प्रतिबन्ध जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहूं कि जो अमेंडमेंट है वह इस ऐक्ट की जान है इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि यही एक सीधा स्पष्टीकरण ऐसा है जिसको माननीय मंत्री जी ने रखा है जिससे उन काश्तकारों को बहुत बड़ा हित होने जा रहा है जो कि पहले से उस जमीन पर काबिज रहे हैं और काश्त करते हैं। इस स्पष्टीकरण जैसी कोई धारा स्पष्ट नहीं होगी जो कृषकों के लिये या ऐसे लोगों के लिये जो जमीन पर काश्त करते रहे हैं उनको जमीन से उन्हें कोई बेदखल नहीं करा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं माननीय शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस ले लें। मैं इन शब्दों के साथ उसका विरोध करता हूं।

**श्री ब्रजभूषण मिश्र**—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोह बड़ा प्रबल होता है। वेदान्तियों ने इसका बहुत सुन्दर रूपक खींचा है। उन्होंने कहा है कि एक सांप है, उसने मेढक को पकड़ रखा है। मेढ़क आधा सांप के मुंह में और आधा बाहर, लेकिन उसने एक पतिंगें को पकड़ लिया। वही कहानी इन भूतपूर्व जमींदार भाइयों को भी मालूम पड़ता है। सब बातें खत्म हो गयीं, लेकिन यह सब होते हुए भी "विविध भेष धरि करहि लड़ाई"। भिन्न-भिन्न रूप में जमींदार भाई अपनी जमीनें दबोचने की सब तरह से कोशिश करते हैं। कहीं पर खुद शिकनी बन गये। न हैसियत का और न मर्यादा का ख्याल रखा। जिस तरह से जमीन कब्जे में आवे उस तरह से नाना प्रकार के वेश धर कर जमीन को दबोचने और कब्जे में रखने की कोशिशें यह करते रहे। उसी की दवा यह स्पष्टीकरण है। बहुत साफ बात है कि १३५६ फसली में जिन मध्यवर्तियों ने अपने आपको अध्यासी बना लिया हो, तो उनको उस पर अध्यासी न माना जाय बल्कि उसका जो असली काश्तकार है, उसका ही क़ब्जा बना रहे और वही अधिवासी रहे। साफ बात है कि वह सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं और यह चलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ पैर और नखदन्त चलाते हैं कि किसी तरह से वह क़ब्जे में बनी रहे। श्री सीताराम शुक्ल जी के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनकी नीति कुछ ऐसी है कि ऐसी उल्टी सी बात कही जाय कि सदन भर में एक तहलका मच जाय। सदन में इस संशोधन पर चर्चा बहुत हो गई और जितनी वार्तालाप इस पर हुई और जितने भाषण इस पर हुये, उतने शायद किसी दूसरे संशोधन पर नहीं हुये। ऐसा मालूम पड़ता है कि शुक्ल जी ने जान बूझ कर यह एक ऐसा राग छेड़ दिया कि काफी देर तक चर्चा चलती रहो। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका यह मंशा अब पूरा हो गया और अब उन्हें चाहिये, उस संशोधन को वापस ले लें और जो मूल विधेयक में है, उसको मान लें।

**श्री शिवनाथ काटजू** (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में केवल कानूनी दृष्टि से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक कि जमींदारों और किसानों का सम्बन्ध है उसके ऊपर मेरे माननीय मित्रों ने काफी अपनी राय जाहिर की है और उसमें मुझे ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरा संबंध है और मैं जिस समुदाय के साथ हूं, मेरी सहानुभूति भी किसानों के साथ है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, इस स्पष्टीकरण में कुछ कानूनी बाधायें पड़ सकती हैं। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि

उसका अभिप्राय यह है कि इस स्पष्टीकरण द्वारा जमींदारों को या मध्यवर्ती लोगों को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह अपने नाम चढ़वाकर उसका फायदा उठायें। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, वह बेशक ठीक है और अगर एक तरफ मध्यवर्ती है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जिसका क़ब्जा है, तो अधिकार उसी को दिया जाय जिसका कि क़ब्जा था, लेकिन यह भी संभव है कि क़ब्जा बेजा हो, नाजायज हो या फर्जी हो, तो ऐसी हालत में यह स्पष्टीकरण जो यहां रखा गया है उससे यह शक्ल पैदा हो सकती है कि वह व्यक्ति जिसका कोई अधिकार नहीं है जिसका नाम क़ब्जे के खाने में फ़र्जी चढ़ा हुआ है उसकी रोकथाम के लिये मध्यवर्ती कुछ नहीं बोल सकता और यह स्थिति हो कि जिसका क़ब्जा है या जो शख्स कहता है कि उसका क़ब्जा है वह अदालत में साबित कर दे कि उसका क़ब्जा जो है तो बेशक उसके सामने मध्यवर्ती नहीं आ सकता, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जमीन के बारे में कहता है कि इस नक्शे और काग़ज में उसका नाम दर्ज है और बाद में अदालत यह फैसला करती है कि उसका नाम बेजा तौर से लिखा गया और वाक़ई सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस स्पष्टीकरण द्वारा क्या स्थिति पैदा हो सकती है उसके बारे में मुझे कुछ भ्रम है और मैं यह चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से माननीय मंत्री महोदय देखें, क्योंकि यह न हो कि इसके अन्दर यह लांछन आवे कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है और इसी कारण से यह स्पष्टीकरण अल्ट्रा वायरस करार दे दिया जावे।

**श्री सीताराम शुक्ल**—इसके बारे में चन्द शब्द कहने हैं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया है कि सीताराम को कुछ ग़लतफ़हमी है मेरे बारे में। इसलिये ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं। उसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे ग़लतफ़हमी बिल्कुल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को खूब जानता हूं, उनके दिल को जानता हूं और मुझे नाज है और फ़क्र है कि हमारे प्रान्त का ऐसा मन्त्री है.....

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने अपने बारे में ग़लतफहमी है ऐसा नहीं कहा, संशोधन के अर्थ के बारे में कहा है।

**श्री सीताराम शुक्ल**—मैं सिर्फ यह कह रहा था कि आप इतना ज्यादा काम करते हैं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सके और इसलिये अगर आप इसे मंजूर कर लेंगे तो हाउस इसे मंजूर कर लेगा। अब मैं इसे यहां खत्म करता हूं और मैं अपने माननीय मित्र श्री रामलखन जी को, जो बस्ती जिले के हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने मुझे नेक सलाह दी कि वक्त के साथ, प्रगति के साथ चलो और समय की गति पहिचानों मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हरि सिंह जी ने जरा जोश से कहा, हालांकि जल्दी से कहा और इस वजह से मैं फालो नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने कहा कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन नहीं जाती। इनडाइरेक्ट इसका मतलब यह है कि जमींदार थे और उनकी हमदर्दी जमींदारों के साथ है और इसके अलावा हमारे ब्रज-भूषण जी ने जो बतलाया तो उन्होंने बतला कर के कुछ नुकसान नहीं किया, फायदा ही किया। यह ग़लतफ़हमी है और यह जो ग़लतफहमी आपको है इस हाउस के दूसरे मेम्बरों को भी हो सकती है। मुझे मौक़ा मिला है और इसलिये मैं इसका जवाब दूंगा। आपने कहा कि प्रगति के साथ चलो। किन्तु अगर प्रगति के साथ चलते तो स्वराज्य नहीं मिलता। कहा करते थे कि बड़े अंग्रेजों के साथ लड़ने चले हैं, हवा के साथ उसका रुख देख कर नहीं चलते। आपको ही हवा का रुख देख कर चलना मुबारक हो, हम तो हवा के खिलाफ ही चलते हैं। हवा के खिलाफ चल कर ही हमने स्वराज्य हासिल किया और हवा के साथ चलने वाले पिछड़ गये। किसी ने कहा है कि "लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं।"

**श्री अध्यक्ष**—जवाब संशोधन के संबंध में उठाई गई बातों का दें। कोई असंगत बात यदि किसी ने कही है तो उसका जवाब न दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत आक्षेप का जवाब देने का मुझे हक़ है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि सिर्फ पांच मिनट के अन्दर ही खत्म करना है।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि संशोधन के बारे में, जो बातें कही गई हैं, सिर्फ़ उन्हीं बातों का आप जवाब दें।

श्री सीताराम शुक्ल—जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है, उसका जवाब देने का तो मुझे मौक़ा मिलना ही चाहिये। हो सकता है कि इससे कुछ लोग नाराज़ हो जायं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम हवा के खिलाफ ही रहना चाहते हैं। भले ही उसमें तकलीफ हो, आप को आराम मुबारक रहे, हम तो सिर्फ इन्साफ अपने साथ चाहते हैं, ईश्वर अपने साथ चाहते हैं फिर उसमें भले ही आराम मिले या तकलीफ।

लोग कहते हैं कि रस्सी जल गयी किन्तु उसकी ऐंठन नहीं गई किन्तु वे नहीं जानते कि जमींदारी को आग लगा कर के ही कांग्रेस के काम में क़दम रखा था। हुजूर वाला! आपके दिल में ग़रीबों के लिये दर्द है और मेरे दिल में दर्द नहीं है। वाह, वाह, अच्छा आप का दिल है। जब देखता हूं कि मुल्क में आज भी लोग भीख मांगते हैं, खूबसूरत-खूबसूरत बच्चे भीख मांगते हैं तो कलेजा टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। बहुमत को खुश करने की कोशिश की गई और इसके लिये कानून बनाये गये कि सब लोग खुश रहें। नतीजा यह हुआ। अधिकतर म्युनिसिपल बोर्ड के गत चुनावों में आप हार गये। इंटेलीजेंशिया आपके खिलाफ रही, पढ़े-लिखे लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए सच्चाई को पकड़िये, इंसाफ को पकड़िये, वोट आपके क़दमों पर गिरेंगे। ऐसा करके आप अपना फ़ायदा करेंगे और मुल्क का फायदा करेंगे। किन्तु माननीय मंत्री महोदय यदि नहीं चाहते तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, मुझे अपना संशोधन पेश करने का अधिकार तो है ही।

श्री अध्यक्ष—आप मूव कर सकते हैं। मैं वोट ले लूंगा। अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो आप पेश कर दीजिये। मैं वोट ले लूंगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ङ) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण ४ निकाल दिया जाय।

श्रीमन्,.....

श्री अध्यक्ष—अब आप इसके ऊपर भाषण दे चुके हैं। मैंने यह कहा कि आप पेश कर दें। मैं वोट ले लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ङ) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण ४ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—प्रध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ङ) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण ४ के बाद स्पष्टीकरण ५ निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"स्पष्टीकरण ५—इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी भूमि के सम्बन्ध में (अध्यासी) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं शामिल है जो किसी भोगबन्ध मुर्तहिन का शिकमी असामी हो"।

अध्यक्ष महोदय, दफ़ा २० बनने के बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू ने आक्युपेंट शब्द का एक व्यापक अर्थ लगाया और उसमें उन्होंने फिक्स्ड रेंट टेनेंट, आक्युपेंसीटेनेंट हर-एक तरह के टेनेंट को शामिल किया और उन्होंने यहां तक कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हैसियत से अगर जमीन पर काबिज है तो आक्युपेंट है। मैं जहां तक समझता हूं, माननीय मंत्री जी ने उस फैसले को सामने रख करके सेक्शन २० का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। मगर एक पहलू उसका रह गया है जिसको कि मैं इस सदन के सामने लाना चाहता हूं। वह यह है कि अगर कोई भोगबन्धक मुर्तहिन किसी काश्तकार का है तो खंड २१ के मातहत वह असामी हो जाता है। और अगर असामी होने के बाद फिर वह किसी सब टेनेंट को दे देता है तो वह असामी का दर असामी हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि राहिन भोगबन्धक को छोड़ा जा सकता है जिसको वह रेहन रखता है। इसी वास्ते कानून के अंदर भोगबंध मुर्तहिन का असामी करार दिया गया है। अब असामी कुछ शर्तों के साथ बेदखल किया जा सकता है, जिस शर्त के साथ उसको जमीन दी गई हो, उसके खिलाफ वह काम करे। मान लीजिये, वह बाग लगाना चाहता है या बकाया लगान बाक़ी है। अगर दर शिकमी असामी है तो वह भी बेदखल किया जा सकता है। ऐसी सूरत में आक्यूपेंटस की डैफिनीशन के अन्दर मुर्तहिन भोगबंध का दर असामी को आना नहीं चाहिये। इस वास्ते मैं इस संशोधन को ले आया हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको कबूल करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि जो भी मार्गजी है, उन्होंने अगर किसी जमीन को उठा रखा है शिकमी को तो ऐसे शिकमी वालों को इस हमारे अधिनियम के जरिये कोई राइट्स नहीं होंगे और वह बेदखल हो जायगा। जहां तक सीर के मार्गेजी की बात है तो सीर पहले ऐक्ट में ट्रांसफरेबिल नहीं की गई थी। अगर कोई करता था तो सीरदार ऐक्स प्रोप्रायटरी टेनेन्ट हो जाता था, अगर वह इस हक को नहीं लेता था, छोड़ देता था तो मार्गेजी कब्जा करता था लेकिन उसे अधिकार था कि वह ऐक्स प्रोप्रायटरी टेनेन्ट है और अगर वह नहीं छोड़ता तो काबिज बने रहने का उसको हक़ था। अगर सीर का कोई मर्गेजी किसी को उठा देता था तो पहले कानून में था कि वह काश्तकार बन जाता था और अगर १२ वर्ष से ज्यादा हो जाते थे तो दखलकार बन जाता था तो पहले से ही मार्गेजी के टेनेन्ट को बड़ा हक़ मिल जाता था। आज इस संशोधन को मान लें, तो वह सब हक मार्गेजी के निकल जायंगे। वैसे ठीकेदार होते थे और जमींदार इन ठीकेदारों को उठा दिया करते थे। अगर ठेकेदार को उठा देते हैं तो उसको हमने राइट दिया है कि ऐसा मार्गेजी जो मार्गेजर की जगह आ जाता है और उसे उठा देता है तो उसकी लायबिलिटी उस पर आ जानी चाहिये। जैसा कि हमने कहा कि सीर के कानून में दखलकार तक बन जाता है और जो मार्गेजी उठा देता है तो मार्गेजर जिसने रेहन किया है तो उस जिम्मेदारी को उसे लेना चाहिये। तो इसलिये ऐसा मार्गेजी जो इन पाजस्सन है, वह तो इसमें होगा, जिसका कि क़ब्जा है, लेकिन अगर इन पाजस्थन नहीं है और दूसरे को उठाये हुये हैं दूसरे को कब्जा करा दिया है

[ श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य ]

अपनी तरफ से शिकमी वगैरा, का, तो जब कि पहले कानून में ही यह था कि उसको हक मिल जाता था तो आज उस हक़ को छीनना मुनासिब नहीं है और इस अमेंडमेंट के जरिये यह खतरा है। इसलिये मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी ने जिस भाव को व्यक्त किया है मैं उसी भाव के साथ हूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि श्री बेचनराम जी गुप्त ने यह संशोधन रख कैसे दिया। इसका श्रीमन्, सीधा साधा अर्थ यह है कि अगर हमारी जमीन है और हमने रुपया किसी महाजन से लिया और उसको हमने खेत अपना रेहन कर दिया और अगर वह खेत वह महाजन नहीं जोतता है, वह किसी दूसरे के पास है, कोई दूसरा शिकमी जोतता है, तो माननीय बेचनराम जी गुप्त चाहते हैं कि वह शिकमी उस पर आकूपेंट न माना जाय। सीधा-साधा इसका मतलब यही है। जब से जमींदारी उन्मूलन कानून आया है इस संबंध में बराबर चर्चा रही है। बहुत से रेहन कराने वाले महाजन कहते है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमने रुपया दिया और जमीन रेहन करायी और फिर उसको अगर हमने दूसरे को दे दी तो हमारा रुपया कहां गया? मालूम होता है कि माननीय बेचनराम जी गुप्त कुछ उसी रोग के रोगी हैं और उसी रोग को दूर करने के लिये ऐसा संशोधन यहां लाये हैं। तो इस रोग का इलाज दूसरी जगह तलाश करना चाहिये, कोई दूसरी तजवीज लानी चाहिये कि जो हमने रुपया दिया, उसका क्या हुआ। ऐसा न करके वह यह चाहते हैं कि जो खेत शिकमी जोत रहा है उसको हम अधिवासी न होने दें। तो इससे उनका मक़सद हासिल होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, हमको याद है, इसके पहले जब यहां पर जमींदारी उन्मूलन विधेयक पर विचार विनिमय हो रहे थे, तो काफी चर्चा इस बात पर हुई थी और क़रीब-क़रीब इस सदन की सम्मति यह थी कि महाजन के पक्ष में तो कभी विधेयक जा नहीं सकता और यदि माननीय बेचनराम गुप्त का संशोधन मान लिया जायगा तो पूर्णरूपेण यह महाजन के पक्ष में चला जायगा। यदि उस रुपये को भी न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो सवाल उठ सकता है कि उनके पास रुपया आया कहां से, आप ने कहां से पाया? और श्रीमन्, बड़ी कंट्रोवर्सी (वाद-विवाद) इस पर चलती है। प्रूधो का कहना है कि "प्रापर्टी इज राबरी" (धन लूट की सामग्री है)"। आखिर प्रापर्टी आयी कहां से? किसी ने जंगल को साफ किया, जंगल को साफ करके खेत को बनाया, खेत को बना कर उसको अपने क़ब्जे में रखा और फिर न मालूम कहीं से दूसरे लोग आ गये और उन्होंने अपना क़ब्जा जमा लिया। तो मुझे तो प्रूधो का कहना सत्य मालूम होता है कि "प्रापर्टी इज राबरी"। यह जिसके पास आयी वह डकैती के रूप में आयी। तो मैं माननीय बेचनराम गुप्त से कहना चाहता हूं कि कानूनी डकैती डालने की कृपा न करें। उस शिकमी को चाहे "दर-शिकमी" कहा जाय, या जो संज्ञा दे दी जाय वह खेत जोतता रहा है। उसके पास खेत जोतने की गुंजाइश अगर कहीं से आती है तो उसको वह छीनने की चेष्टा क्यों करते हैं। तो मैं उसका घोर विरोधी हूं और मौर्य जी के भाव का समर्थन करता हूं और माननीय गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। हमें मालूम है कि बहुत सी जगह पर बहुत से महाजन गये और माननीय बेचन राम जी के पास उनका प्रतिनिधि-मंडल आया हो तो उनको समझाना चाहिये कि तुमने, न मालूम कितने पापों का संचय इस रुपये के रूप में किया है और उससे तुमने दूसरे का खेत अपने यहां रखा। अगर वह दूसरे के यहां चला गया तो उसको जाने दीजिये। एक तीसरी बात उठती है जो कि माननीय द्वारका प्रसाद जी ने देखी। वह यह है कि हमारे पास अगर एक बीघा खेत था और हमको अपनी लड़की की शादी करनी थी। मैंने किसी से रुपया लिया और उस खेत को उसके यहां रेहन रख दिया। तो हमारी लड़की की शादी के लिये जिस शख्स ने हमारा खेत अपने यहां रेहन रख कर रुपया दिया, उसने कितना पाप किया। अब उसको माननीय

बेचनराम गुप्त चाहते हैं कि उसके लिये सहूलियत पैदा की जाय और अगर खेत कोई दूसरा जोत रहा है तो उससे खेत निकाल लिया जाय। ऐसा हर्गिज नहीं होना चाहिये और मुझे यक़ीन है कि माननीय मौर्य जी ने जो भाव यहां व्यक्त किया उसके साथ यह सदन होगा और जिस तरीक़े से ट्रेजरी बेंचेज के और भी बहुत से सदस्य संशोधन पेश करते हैं और फिर बाद में वापस ले लेते हैं उसी प्रकार माननीय बेचनराम जी भी महाजनों के हित में थोड़ी सी बात कर, अपने संशोधन को वापस ले ही लेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बेचनराम जी गुप्त के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता विरोधी दल आज कुछ सिद्धांतों को व्यक्त करना चाहते थे परन्तु वाद-विवाद के भय से उन्होंने यह उचित न समझा। वह यह समझते हैं कि लड़की की शादी के लिये अगर कोई रुपया मांगने जाय और कोई महाजन उसको दे दे तो उस महाजन ने पाप किया। परन्तु क्या वह इस पर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे कि आज अगर कोई भी धन किसी के पास है या किसी के पास अपनी आराजी है, जैसा कि इस सदन में कहा जा चुका है तो वह भी अगर एक महाजन का पेशा नहीं करता रहा होगा, तो कर सकता है। इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जिस राहिन ने किसी मुर्तहिन के पास कुछ आराजी रेहन कर दी और उस महाजन ने अगर उस आराजी को किसी को उठा दी तो यह एक वर्ग नहीं है जो वह समाजवाद के दृष्टान्त देकर हर आदमी को महाजन करार देना शुरू कर देते हैं। श्रीमन्, महाजन ऐसे ही लोग नहीं हैं, जिनको वह पूर्णरूपेण डकैत समझने लगते हैं बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो कि किसान थे, जिनको महाजन पेशे से कुछ लाभ नहीं होता था बल्कि उनके पास यदि कुछ रहा तो उन्होंने दूसरे को दे दिया और उसके साथ-साथ उसकी जमीन को अपने यहां रेहन करवा लिया। श्रीमन्, आज आजमगढ़ और गाजीपुर वगैरह की तरफ किसानों को भी खल रहा है। आज कोई भी क्रेडिट, कोई चीज किसी के पास न तो देने को है और इस भय से कि एक दिन के लिये भी अगर किसी को खेद दिया तो उसके अधिकार से वह निकल जाता है, अगर किसी के पास कुछ है भी तो वह देता नहीं है। माननीय राजनारायण जी को माननीय बेचनराम जी गुप्त के संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आइडियालोजी यदि अच्छी तरह से समझी जाय तो बहुत लाभदायक है। यदि उन सिद्धांतों में किसी प्रकार का भ्रम रहा तो उसके लिये भी वह दुखदायी होता है जो कि समझने का प्रयास करे और उससे कोई दूसरे लोग भी लाभ नहीं उठा पाते हैं जिनके लिये उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाय। मैं माननीय राजनारायण जी पर कोई आपत्ति नहीं उठाता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि जहां तक उनके दल का संबंध है वह प्राडक्ट ही ऐसा है, हर इज्ड के कनफ्यूजन में वह प्राडक्ट निकला है। न वह मार्क्सिज्म में है और न गांधीज्म में है। उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता निकाला है जिस आज भारत के निवासी क्या दूसरे देश के समाजवादी भी नहीं समझ पाते हैं। अगर आज माननीय ऐटली भारत में आ जाते तो ठीक तरह से समझ सकते थे जब कि आज लोहिया जी कोचीन मिनिस्ट्री की फार्यरिंग के सिद्धांतों को समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवधेशप्रताप सिंह जी की बातों को सुनता रहा। लेकिन मुझे मालूम है कि वह महाजनों के पुराने हमदर्द हैं।

श्री अध्यक्ष—आप यह वापस लें। आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं।

श्री शिवनारायण—मैं वापस लेता हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय गुप्त जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह विचार करें। वह गणितज्ञ हैं। हिसाब जानते हैं, और बड़े विद्वान् हैं। मैं आप की इजाजत से बताना चाहता हूं कि सौ रुपया जिसको दे दिया जाता है तो वह एक बीघा खेत बीस वर्ष के लिये रेहन करता है और उसको सौ रुपया प्रति वर्ष

[ श्री शिवनारायण ]

नेट प्राफिट होता है, अपना पूरा खर्चा निकाल कर। यानी बीस साल में बीस सौ रुपया मुनाफा होता है। अगर ऐसे किसानों पर गवर्नमेंट मेहरबानी कर रही है, उनको अधिवासी का अधिकार देकर, वह कल को भूमिधर हो सकते हैं तो उन लोगों को खुशी मनानी चाहिये। देश को हम बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के जिम्मेदार हैं। गुप्त जी भी इस देश के बनाने में भागी हैं। वह भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने स्वराज्य तो ले लिया लेकिन जो सब से बड़ी प्राबलम है, वह गरीबी हल करना है। उस मुसीबत को देखकर हमारा कलेजा फटता है। मैं आज श्री राजनारायण सिंह को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से माननीय मौर्य जी की बातों का समर्थन किया। मैं पुनः कहता हूं कि यह बिल क्रांतिकारी बिल है। उन्होंने कल इसका विरोध किया लेकिन आज स्वयंसिद्ध कर रहे हैं कि क्रांतिकारी है। जो लोग इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, वह भूल में हैं। उनको गति का पता नहीं है कि देश कहां जा रहा है, देश की क्या पुकार है, आज जमाना क्या कह रहा है। मैं आप की इजाजत से कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, बीमारी से परेशान हैं। जो महाजन लोग हैं उस मृगतृष्णा को तजें, और यह सोचें कि हम लोग राणा प्रताप की औलाद हैं जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति देश-हित में दे दी थी। माननीय गुप्त जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, जिसमें महाराणा प्रताप ने अपनी सारी सम्पत्ति देश की आजादी के लिये दे दी थी। तो अब गरीबों की हमदर्दी में सरकार निहायत नेकनियती से उनकी मदद करना चाहती है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

(श्री अध्यक्ष ने श्री कमलासिंह को बोलने के लिये बुलाया।)

श्री रामनरेशशुक्ल--मैं प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---श्री कमलासिंह समाप्त कर लें उसके बाद।

श्री कमलासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन बेचनराम गुप्त जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत सीधी सी बात है---अगर कोई आदमी अपनी जमीन दूसरे से रुपया ले कर देता है तो जो मार्गेजर या मार्गेजी है उनका राइट एक ही है। अगर मार्गेजी किसी क़िस्म का राइट क्लेम करे यानी अधिवासी, सीरदार या भूमिधर बनना चाहे, तो वह हक़ उसे नहीं देना चाहिये लेकिन टिलर आफ दि स्वायल, जो है जो जमीन जोतने के एवज में मार्गेजी को या मार्गेज को लगान देता है उसको भी अधिवासी का हक़ मिलना चाहिये। जैसे और लोग हैं जो खेत को जोतते हैं, अक्यूपेंट समझे जाते हैं, उसी तरह से उनको भी वही हक़ मिलना चाहिये क्योंकि वे भी खेत को जोतते हैं और एवज में मालगुजारी मार्गेजी को देते हैं। जैसा मौर्य साहब ने कहा पहले यह चीज थी कि अगर मार्गेजी अपने तरफ से सीर के जमीन को सबलेट करता था तो उसका टेनेन्ट हेरेडेटरी टेनेन्ट हो जाता था और साथ ही साथ जो मार्गेजर होता था वह अगर तीन साल के अन्दर अपना प्रोप्राइटरी राइट को क्लेम नहीं करता था तो उसका हक़ खत्म हो जाता था। इस दृष्टि से भी देखें तो इतने दिन के बाद जमींदार का कोई हक़ नहीं रह जाता। कोई भी भूमि जो दूसरे से ले कर किसी ने मार्गेज कर ली, तो मार्गेजी उसका लगान लेता है तो न्याय की दृष्टि में उचित यही होगा कि टिलर आफ दी स्वायल है, उसको अधिवासी का हक़ अवश्य दिया जाय और इन शब्दों के साथ मैं गुप्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री बेचनराम गुप्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मौर्य जी ने शायद मेरे संशोधन को समझा नहीं। उनका ध्यान शायद दफा १४ की तरफ है। दफा १४ में यह है

कि अगर कोई अपनी स्टेट को दूसरे के यहां मार्गेज कर दे तो वह चाहे खुदकाश्त हो या सीरदार हो, वेसिटंग के दिन, वह जितनी प्रापर्टी है सब मार्गेजर के पास वापस आ जायगी। मैंने जो यह संशोधन रखा है मेरे दिमाग में फिक्स्ड रेट टेनेंसी और अकूपेंसी टेनेंसी है जो बनारस स्टेट में मार्गेज हो सकती है और बेची जा सकती है। मैं मौर्य जी के इस कथन से सहमत तो हूं कि जहां तक सीर का ताल्लुक़ है सीर में तो अधिवासी हो जायगा। मैं मौर्य जी से जानना चाहता हूं कि दफा २१ के मातहत जब कोई फिक्स्ड रेंट टेनेन्सी मार्गेज होती है तो उसे मार्गेजी को असामी के राइट होते हैं और असामी को बेदखल किया जा सकता है और आप कहते हैं कि दर असामी अधिवासी हो जायगा, तो कैसे फिर बेदखल हो सकेगा। मार्गेजी तो वही राइट दे सकता है जो राइट उसके पास है, उससे अलग कोई राइट नहीं दे सकता। अगर अधिवासी मान लिया जाता है तब तो वह जमीन का मलिक हो जाता है और जब मार्गेजर जमीन का छुड़ाना चाहेगा तो क्या हालत होगी। ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट को यह ऐक्ट ओवर राइड नहीं कर सकता। मार्गेजी इस ऐक्ट के मातहत तो वही राइट दे सकता है जो उसके पास है, असामी का राइट उसके पास है, उसे बेदखल किया जा सकता है तो जो दर असामी है, उसे भी बेदखल किया जा सकता है। इसमें महाजन होने का सवाल पैदा नहीं होता। यह कानूनी मसला था इसलिये मैंने रख दिया। मैं पर्सनल बातों में कभी जाना नहीं चाहता कि राजनारायण जी ने क्या किया और हम क्या हैं और वे क्या हैं। क्योंकि यह कानूनी मसला है और माननीय मंत्री जी को मंजूर है, तो ठीक है। मैं तो यही समझता हूं कि जो राइट मेरे पास है उसके बेटर राइट मैं किसी को नहीं दे सकता। कानून के मुताबिक वह आसामी है तो दूसरे को मैं कैसे अधिवासी का राइट दे सकता हूं, दर आसामी को आसामी के राइट से ज्यादा राइट नहीं मिल सकता।

**श्री चरणसिंह**—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर जमींदारों के मुतंहिन दखली अगर अपनी जमीन पर किसी काश्तकार को आबाद कर देते तो उस काश्तकार को हक़ हो जाता सीरदार का, इस कानून के मुतबिक और मार्गेजी अपने पास से कोई जमीन नहीं देता केवल उसको रुपया उसका मिल जाता है। जो कर्जा है उसका रुपया मिल जाता। तो माननीय बेचनराम जी कैसे यह दलील देते हैं कि मार्गेजी अपने से ज्यादा राइट अपने सब-टेनेन्ट को या टेनेन्ट को कैसे दे सकता है। वह दलील जिस तरह से जमींदार का मुतंहिन दखली अगर लेट कर देता या किसी आदमी को आकुपेंट करा लेता तब तो वह सीर का लगान नहीं देता और ट्रान्सफर का राइट उसको देता, लेकिन उसको फिक्स्ड रेट टेनेन्ट उसने नहीं रखा लेकिन सेक्शन १८ के मुताबिक जब वह भूमिधर हो गया तो उसको वह राइट मिल गया। इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं श्री बेचनराम जी को याद दिलाऊंगा कि जब वह फिक्स्ड रेट टेनेन्ट की बात करते कि जिनको वह कहते हैं कि वे जमींदार हैं, मैं कहता हूं कि उनको भी यहां पर जमींदार का स्थान था। फिक्स्ड रेट टेनेन्ट के लिये मालगुजारी फिक्स होती है। यहां पर रेंट फिक्स होता है। तो वही राइट उसको था जो कि अब उनको दिया जा रहा है। इसमें कोई अन्तर नहीं मालूम होता है। उसी लाजिक के हिसाब से वही बात यहां पर है। जब मार्गेजी रुपया उसको अदा कर देगा तो वह बेदखल हो जायगा। लेकिन अगर उसको किसी काश्तकार ने जमीन दे दी है तो वह अधिवासी हो जायगा। बिलकुल वही बात है और उसी सिद्धांत पर यह आधारित है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री बेचनराम जी जरा इसके ऊपर और विचार करें तो उनकी समझ में यह बिलकुल आ जायगा और इसको वह वापस लेने की कृपा करेंगे :

**श्री बेचनराम गुप्त**—अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् मंत्री जी के तर्क से सहमत नहीं हूं फिर भी इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के प्रारम्भिक शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ वा ४ में शब्द "अध्यासी के रूप में" तथा शब्द "अभिलिखित" के बीच में शब्द तथा संख्या "१३५६ फसली में" रख दिये जायं।

(इसके बाद सदन ६ बजे सांयकाल अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१५ सितम्बर, १९५४।

संसद टीवी

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५४ एल० ए०—१९५४—८५०।